इरकॉन

36वीं वार्षिक रिपोर्ट
2011-2012

इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड

विज़न

आधार संरचना के क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों और सेवाओं के सम्पूर्ण आयाम को शामिल करते हुए इस क्षेत्र की सर्वोत्तम कम्पनियों की तुलना में विशिष्टता प्राप्त निर्माण संगठन के रूप में देश तथा विदेशों में अपनी पहचान बनाना।

लक्ष्य

क) भारत तथा विदेशों में परिवर्तनशील आर्थिक परिदृश्य के अवसंरचनात्मक विकास की निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम्पनी को प्रभावपूर्ण रूप से तैयार करना।

ख) सर्वोत्तम इंजीनियरिंग मानकों के अनुरूप व समय पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद व सेवाएँ प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करना।

इरकॉन

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

निदेशक मंडल	3
विगत पांच वर्षों के दौरान कार्य का निष्पादन	4
अध्यक्ष का संबोधन	5
निदेशक की रिपोर्ट	7
धारणीय विकास रिपोर्ट	20
प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट	21
कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट	25
कॉर्पोरेट शासन पर प्रमाणपत्र	37
पुरस्कार और प्रमाणपत्र	38
इरकॉन की वित्तीय विशेषताएं	40
वार्षिक लेखे 2011-12	
तुलन पत्र	42
लाभ और हानि का विवरण	43
रोकड़ प्रवाह विवरण	44
लेखाकरण की महत्वपूर्ण नितियाँ (नोट सं.1)	45
प्रकटनों सहित लेखों में टिप्पणियां - (नोट सं.2 से 49)	50
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	80
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	84
इरकॉन तथा उसकी 100% सहायक कंपनी, इरकॉन आईएसएल के समेकित वित्तीय विवरण:	
समेकित तुलन पत्र	86
समेकित लाभ और हानि विवरण	87
समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण	88
लेखाकरण की महत्वपूर्ण नीतियाँ-नोट सं.1 (समेकित)	89
प्रकटनों सहित लेखों में टिप्पणियां -नोट सं.2 से 49 (समेकित)	93
समेकित वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	123

पंजीकृत कार्यालय
प्लॉट सं.सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत
नई दिल्ली-110017

कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि)
ललिता गुप्ता

मुख्य बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
एचडीएफसी बैंक

सांविधिक लेखापरीक्षक
वाही एंड गुप्ता,
सनदी लेखाकार,
होटल रैक्स बिल्डिंग (ओबीसी बिल्डिंग),
5, नेताजी सुभाष मार्ग,
दरियागंज, नई दिल्ली-110002

इरकॉन का कार्पोरेट कार्यालय भवन, साकेत, नई दिल्ली

निदेशक मंडल

अध्यक्ष

ए. पी. मिश्रा
अंशकालीन निदेशक (सरकारी)

पूर्णकालीन निदेशक

मोहन तिवारी
प्रबंध निदेशक

हितेश खन्ना
निदेशक निर्माण

के. के. गर्ग
निदेशक वित्त

दीपक सबलोक
निदेशक परियोजना

अंशकालीन निदेशक (सरकारी)

डी. के. सराफ

स्वतंत्र निदेशक

डॉ. जी. वी. राव

प्रोफेसर (डॉ.) एस. एस. चटर्जी

बी. एम. शर्मा

विगत पांच वर्षों के दौरान कार्य का निष्पादन

(₹ करोड़ में)

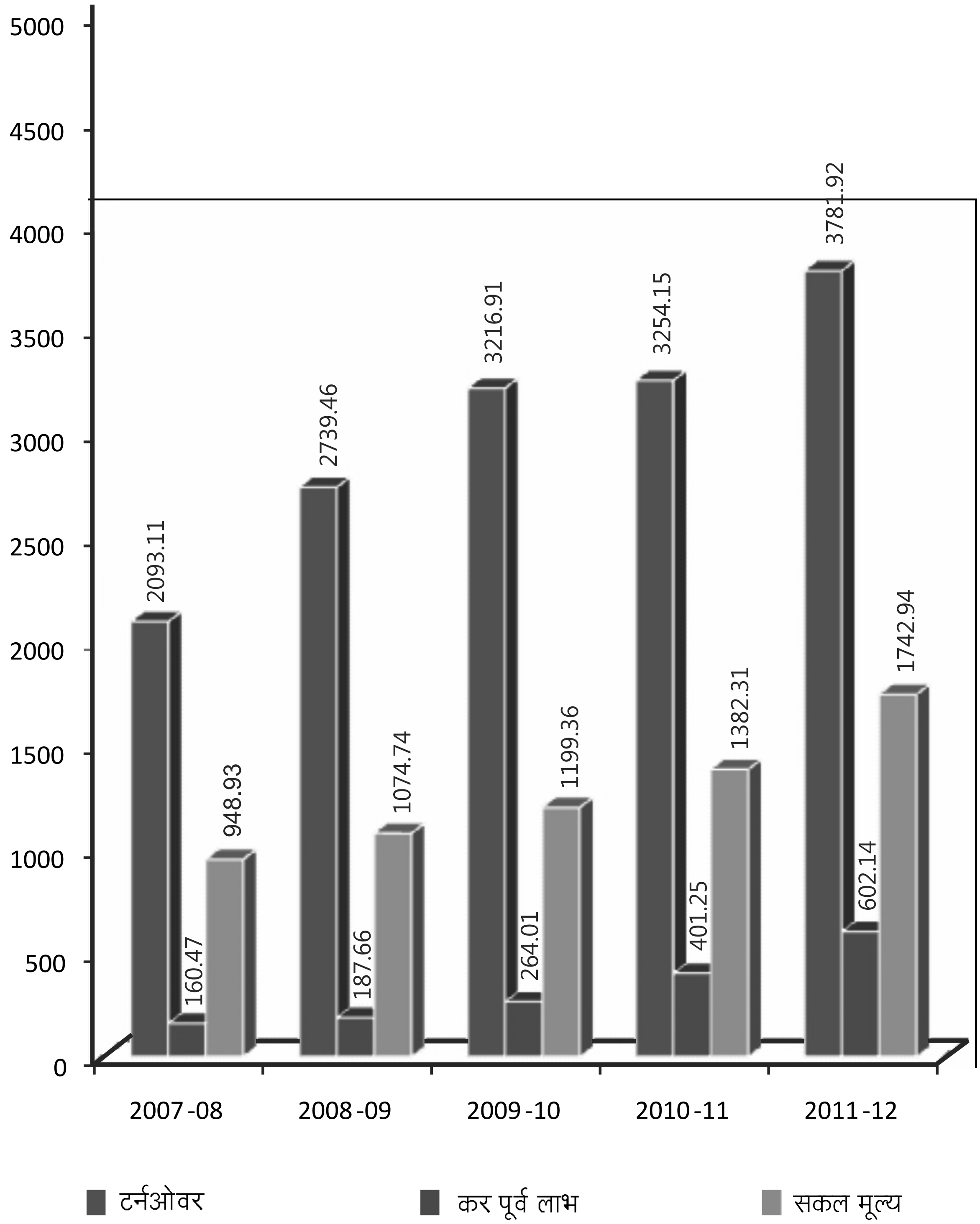

अध्यक्ष का भाषण

गणमान्य शेयरधारकों,

मैं इरकॉन की 36वीं वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का हार्दिक तथा तहेदिल से स्वागत करता हूँ। वर्ष के दौरान कंपनी के उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन को 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों तथा अन्य रिपोर्टों के माध्यम से देखा जा सकता है जो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं।

विशेषताएं

आदरणीय शेयरधारकों, हमारी खुशी के दो कारण हैं।

आपकी कंपनी ने 9.898 करोड रू. की प्रदत्त शेयर पूंजी पर 650% की दर से 64 करोड रूपए के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जिसे इस वार्षिक साधारण बैठक में घोषित किया जाएगा और इस प्रकार पहले से प्रदत्त 300% के अंतरिम लाभांश के पश्चात वर्ष 2011-12 के लिए कुल लाभांश प्रदत्त शेयर पूंरी के 950% प्रतिशत के रिकार्ड स्तर तक पहुंच जाएगा। यह 94.03 करोड़ रुपए की राशि का अब तक का सर्वाधिक कुल लाभांश है और वर्ष 2010-11 के लिए प्रदत्त 49.49 करोड़ रुपए से 90 % अधिक है।

आपके निदेशक मंडल ने 1:1 के अनुपात में बोनस इश्यू की सिफारिश की है जिसे इस वार्षिक साधारण बैठक में स्वीकृति दिए जाने का प्रस्ताव है। इससे कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 9.898 करोड़ रुपए से बढ़कर 19.796 करोड़ रुपए हो जाएगी।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

कंपनी के उत्कृष्ट वित्तीय निष्पादन को इन तथ्यों से देखा जा सकता है कि कंपनी के कर पश्चात लाभ में 95% की वृद्धि हुई हो जो वर्ष 2010-11 में 240 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 470 करोड़ रुपए हो गया है तथा कर पूर्व लाभ में 50% की वृद्धि हुई है जो वर्ष 2010-11 में 401 करोड़ रुपए से बढ़कर 2011-12 में 602 करोड़ रुपए हो गया है। कर पूर्व लाभ में यह वृद्धि मुख्य रुप से विदेशी परियोजनाओं के कारण हुई है। 2010-11 में टर्नओवर में 3254 करोड़ रुपए से वर्ष 2011-12 में 3782 करोड़ रुपए की 16 प्रतिशत की आंशिक बढ़त द्वारा कंपनी की लाभप्रदत्ता में वृद्धि के लिए कंपनी प्रशंसा की पात्र है।

विकास की रुपरेखा

कंपनी के लाभों में पिछले चार वर्षों यथा वर्ष 2008-09 से 2011-12 में तीन गुना वृद्धि हुई है तथा इसी अवधि के दौरान कंपनी के टर्नओवर में 38% की वृद्धि हुई है। इसका मुख्य श्रेय विदेशी परियोजनाओं से आय को जाता है जिसमें 30% से 49% की वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, रेलवे क्षेत्र में परियोजनाओं से प्रचालनिक आय में भी पिछले चार वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है जो वर्ष 2008-09 में 55% से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 81% हो गई है जबकि राजमार्ग क्षेत्र से प्रचालनिक आय में कमी आई है जो वर्ष 2008-09 में 35% से कम होकर वर्ष 2011-12 में 14% हो गई है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान, आपकी कंपनी ने टर्नओवर की दृष्टि से 19.63% तथा कर पूर्व लाभ की दृष्टि से 40.24% की चक्रवृती वृद्धि दर रिकार्ड की है। तथापि, इस वृद्धि को बनाए रखने के लिए आर्डर बुक में संवर्धन किए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

प्रचालनिक निष्पादन

आपकी कंपनी भारत में अनेक प्रमुख परियोजनाओं को निष्पादित कर रही है जिसमें शामिल हैं - प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

(पीएमजीएसवाई), राष्ट्रीय सम विकास योजना(आरएसवीवाई) के अंतर्गत राष्ट्र निर्माण परियोजनाओं के अतिरिक्त गंगा नदी के ऊपर रेल-सह-सड़क पुल, राजस्थान तथा बिहार राज्यों में सड़क उपरिपुल, राय बरेली में नया रेल डिब्बा कारखाना, शिवोक-रंगपो नई रेल लाइन परियोजना आदि तथा जम्मू और कश्मीर रेल संपर्क परियोजना। कंपनी ने राय बरेली में रेल डिब्बा कारखाना निर्माण कार्य के संबंध में वर्ष के दौरान 1280.29 करोड़ रुपए मूल्य के अतिरिक्त कार्य प्राप्त किए हैं।

कंपनी दस विदेशी परियोजनाओं में से पांच परियोजनाएं श्रीलंका में निष्पादिन कर रही है जिसका मूल्य 652 मिलियन अमरीकी डालर है। आपकी कंपनी ने अप्रैल 2012 में श्रीलंका में कोलंबो-मतारा तटीय रेल लाइन परियोजना के स्तरोन्नयन के कार्य को समयसीमा से छह महीने पूर्व ही समाप्त कर दिया है। कंपनी मलेशिया तथा अल्जीरिया में बड़े मूल्य की परियोजनाओं सहित अफगानिस्तान तथा इथोपिया में भी परियोजनाएं निष्पादित कर रही है।

निगमित शासन तथा उत्तरदायित्व

मैं आपका ध्यान अच्छे निगमित शासन, निगमित सामाकि उत्तरदायित्व, धारणीय विकास आदि के क्षेत्र में कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

वर्ष के दौरान कंपनी ने एक औपचारिक जालसाजी निवारण, अभिज्ञान तथा नियंत्रण नीति के साथ साथ बोर्ड चार्टर स्थापित किए हैं जिसमें निगमित शासन उद्देश्य तथा निदेशकों तथा प्रबंधन की भूमिका और उत्तरदायित्व समाविष्ट हैं। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी डीपीई के निगमित शासन दिशानिर्देशों का विधिवत रुप से अनुपालन कर रही है।

आपकी कंपनी अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति जागरुक है और उसने वर्ष के दौरान आईटीआई धौलपूर में अवसंरचना तथा अन्य लाजिस्टिक्स सहित सीएसआर गतिविधियों; स्कूली बच्चों को पुस्तकें, बैग, स्कूल फीस आदि के संवितरण; सौर लाईटों के प्रावधान; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा एम्बुलेंस के प्रावधान; इरकॉन परियोजनाओं/कार्यालयों के आसपास पौधरोपण/पार्कों के अनुरक्षण आदि पर 2.25 करोड़ रुपए व्यय किए हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान धारणीय विकास के क्षेत्र में कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट तथा वर्ष 2012-13 के लिए चिह्नित गतिविधियों को निदेशक की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है। हाल ही में आपकी कंपनी ने धारणीय विकास पर जागरुकता उत्पन्न करने तथा प्रशिक्षण के लिए कदम उठाए हैं।

आपकी कंपनी, जो पहले से गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली - आईएसओं 9001:2008 के लिए प्रमाणित है, को अब पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली - आईएसओ 14001:2004 के लिए भी प्रमाणित किया गया है।

इरकॉन की सहायक कंपनियां

यह उल्लेखनीय है कि इरकॉन प्रगतिरत रुप से अपना विस्तार कर रही है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) सहित भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगमित लिमिटिड (आईआरएसडीसी) नामक कंपनी को प्रमोट किया है। इरकॉन की इस सहायक कंपनी (इरकॉन की 51 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी तथा आरएलडीए की 49 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी सहित) का मुख्य उद्देश्य मानकों में सुधार करने के लिए यात्री सुविधाओं के स्तरोन्नयन के लिए नए स्टेशन (स्टेशनों) को विकसित करना तथा मौजूदा स्टेशनों को पुनर्विकसित करना है। आरएलडीए ने विकास/पुनर्विकास के लिए आईआरएसडीसी को पांच स्टेशन सौंपे हैं।

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि आपकी कंपनी की 100% स्वामित्व वाली इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल), जिसका गठन बहुउद्देशीय परिसरों सहित अवसंरचना परियोजनाओं और सेवाओं के निष्पादन के लिए 30 सितंबर 2009 को किया गया, ने वर्ष 2011-12 के दौरान 3.82 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ और 2.56 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ प्राप्त किया है, हालांकि सहायक कंपनी द्वारा कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं है।

आभारोक्ति

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं निदेशक मंडल और कंपनी की ओर से हमारे ग्राहकों, रेलवे बोर्ड तथा अन्य मंत्रालयों, बैंकरों, तथा सभी स्टेकधारकों को उनके मूल्यवान सुझावों, सहयोग तथा समन्वय के लिए हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उनकी सत्यनिष्ठा तथा समर्पित सेवाओं के लिए उनकी सराहना करता हूं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी कंपनी आने वाले वर्षों में इसी प्रकार प्रगति करती रहेगी।

ए.पी.मिश्रा
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 25.09.2012

निदेशकों की रिपोर्ट

इरकॉन के विशिष्ट शेयरधारकगण

कम्पनी के निदेशकों को वित्त वर्ष 2011-12 की कम्पनी की 36वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त खुशी हो रही है।

कार्य निष्पादन

आपकी कंपनी ने 3601 करोड़ रुपए की अब तक की अपनी अधिकतम प्रचालनिक आय प्राप्त की है जो वर्ष 2010-11 में प्राप्त प्रचालनिक आय से लगभग 13 प्रतिशत अधिक है और इसमें से 51% विदेशी परियोजनाओं से है ।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने कर पूर्व आय में पिछले वर्ष 2010-11 में 401 करोड़ रुपए के कर पूर्व लाभ में 50% की व्यापक वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2011-12 में 602 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ अर्जित करके अपनी लाभप्रदत्ता में व्यापक संवर्धन किया है। उच्चतर कर पूर्व लाभ, विदेशी परियोजानाओं में निम्नतर कर व्यय तथा पूर्ववर्ती वर्षों में कर प्रावधानों का पश्चलेखन, और अधिभार में 7.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत की कमी के कारण कर पश्चात लाभ वर्ष 2010-11 में 240 करोड़ रुपए से लगभग दुगना होकर इस वर्ष 2011-12 में 470 करोड़ रुपए हो गया है

वर्ष 2011-12 के लिए आपकी कंपनी तथा रेल मंत्रालय के बीच समझौते ज्ञापन के अंतर्गत अधिकतर लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है जिसके परिणामस्वरूप आपकी कम्पनी **"उत्कृष्ट समझौता ज्ञापन रेटिंग"** बनाए हुए है।

वित्तीय विशेषताएँ

वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 के लिए कम्पनी के वित्तीय निष्पादन के कुछ महत्वपूर्ण संकेतन निम्नानुसार हैं:

वित्तीय निष्पादन संकेतन

(रुपये करोड़ में)

		2011-12	2010-11	% वृद्धि
1.	कुल आय/सकल बिक्री	**3782**	3254	16
2.	कुल प्रचालन आय	**3601**	3175	13
3.	विदेशी परियोजनाओं से प्रचालन आय	**1850**	1577	17
4.	कर पूर्व लाभ	**602**	401	50
5.	कर पश्चात लाभ	**470**	240	95
6.	सकल उपांत	**670**	440	52
7.	निवल सम्पत्ति	**1743**	1382	26
8.	प्रति शेयर आमदनी (रुपए में)	**474.76**	242.99	95
9.	कुल विदेशी विनिमय आमदनी	**1862**	1545	21
10.	विदेशी विनिमय निर्गम	**1418**	1118	27
11.	निवल विदेशी विनिमय आमदनी	**444**	427	4
12.	लाभांश	**94.03**	49.49	90

विदेशी मुद्रा अर्जन

निवल विदेशी मुद्रा अर्जन में 4% की सामान्य वृद्धि हुई है जो वर्ष 2010-11 में 427 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 444 करोड़ रुपए हो गई है ऐसा बनिहाल परियोजना (जम्मू और कश्मीर) द्वारा विदेशी मुद्रा में सामान तथा सेवाओं के आयात के कारण हुआ है जबकि पिछले एक वर्ष में विदेशी परियोनाओं से प्रचालनिक आय में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

लाभांश

निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के लिए नवंबर, 2011 में 9.898 करोड़ रूपए की प्रदत्त शेयर पूँजी पर 30 रुपए प्रति शेयर की दर से (यथा 300%) 29.694 करोड़ रूपए के अंतरिम लाभांश की घोषणा की थी, जिसका भुगतान शेयरधारकों को दिसंबर, 2011 में किया गया था । निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के विचारार्थ 65 रुपए प्रति शेयर की दर से 64.34 करोड़ रूपए की प्रदत्त शेयर पूँजी पर 650% की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है । इस प्रकार, 2011-12 के लिए कुल लाभांश प्रत्येक 10 रुपए के शेयर के लिए 95 रुपए की दर से 94.03 करोड़ रूपए हो गया है जो 49.49 करोड़ रूपए के कर पूर्व लाभ का लगभग 20% है जो पिछले वर्ष के दौरान 50 रुपए प्रति शेयर की दर पर था। प्रस्तावित लाभांश के अनुमोदन एवं भुगतान के पश्चात 2011-12 तक शेयरधारकों को दिया गया संचित लाभांश लगभग 426.54 करोड़ रूपए हो गया है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने वार्षिक आम बैठक में कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन के आधार पर वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक आम बैठक की तिथि को मौजूदा सदस्यों के पास धारित प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 1:1 अर्थात वार्षिक आम बैठक की तारीख को मौजूदा सदस्यों द्वारा धारित 10 रूपए के प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 10 रूपए का एक बोनस शेयर ।

विनियोजन/कर प्रावधान/आरक्षित निधि

(रुपये करोड़ में)

		2011-12	2010-11
1	अंतरिम लाभांश	**29.69**	25.73
2	प्रस्तावित अंतिम लाभांश	**64.34**	23.76
3	अंतरिम लाभांश पर कर	**4.82**	4.28
4	प्रस्तावित अंतरिम लाभांश पर कर	**10.44**	3.85
5	आवासीय परियोजना आरक्षित निधि से अंतरण	-	4.80
6	विदेशी परियोजना आरक्षित निधि से अंतरण	-	2.90
7	सामान्य आरक्षित निधि से अंतरण	**360.63**	190.65

आर्डर बुक

कंपनी को वर्ष 2011-12 के दौरान 4073 करोड़ रुपए मूल्य के कार्य प्राप्त हुए हैं जिनमें से 1139.50 करोड़ रुपए के कार्य विदेशी परियोजनाओं से संबंधित हैं। 31.03.2012 को कार्य का भार लगभग 12609 करोड़ रुपए है।

सहायक कंपनी की वित्तीय स्थिति

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने 25 जुलाई 2012 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी के वार्षिक लेखों सहित वित्त वर्ष 2011-12 के लिए लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों को स्वीकृति प्रदान की है जिसमें सहायक कंपनी, इरकॉन आईएसएल की वित्तीय सूचना उपलब्ध होती है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8) के अंतर्गत निगमित मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा 8 फरवरी 2011 के सामान्य परिपत्र सं. 2/2011 के संदर्भ में निदेशक मंडल की सहमति के आधार पर सहायक कंपनी के लाभ व हानि विवरण तथा रिपोर्ट सहित पृथक तुलन पत्र को इरकॉन की वार्षिक रिपोर्ट का भाग नहीं बनाया गया है। इसके स्थान पर, लाभ व हानि विवरण तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा की रिपोर्ट सहित समेकित तुलन पत्र वाले समेकित वित्तीय विवरणों के एक सेट को आपकी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रुप में शामिल किया गया है। सहायक कंपनी की प्रमुख वित्तीय स्थितियों का सार नोट सं 36(ग) में शामिल किया गया है जो समेकित वित्तीय विवरणों का भाग है।

निगमित मामले मंत्रालय के उक्त परिपत्र के अनुसार, आपकी कंपनी या सहायक कंपनी के किसी सदस्य द्वारा अनुरोध किए जाने पर आपकी कंपनी इरकॉन आईएसएल के तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण, निदेशक की रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षा की रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा। ये अभिलेख कंपनी की वेबसाईट (www.ircon.org) पर उपलब्ध है तथा किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए कंपनी तथा सहायक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे।

प्रचालनिक निष्पादन

क. पूरी की गई विदेशी परियोजनाएं

1. आपकी कंपनी ने 30 अप्रैल 2011 को सेरेम्बन से संगई गदूत खंड (1 मिलियन अमरीकी डालर की एसजीडीटी मलेशिया परियोजना का चरण 1) का कार्य पूरा कर लिया है और इस परियोजना का मूल्य 156 मिलियन अमरीकी डालर है। 24 मई 2011 को इस कम्प्यूटर रेल प्रचालन का उद्घाटन किया गया तथा इसका प्रचालन आरंभ किया गया।

सेरेम्बन गेमास डबल ट्रैक परियोजना, मलेशिया का शुनगाई गेडट यार्ड - चरण 1

2. इस वर्ष के समाप्त होते ही भारतीय ऋण से वित्तपोषित 78 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की कोलम्बो-मतारा तटीय रेल लाईन के स्तरोन्नयन की सम्पूर्ण परियोजना का कार्य पूरा हो गया है जो कि अपने निर्धारित समय से 6 महीने पहले ही पूरा हो गया है।

इस परियोजना का चरण 1 (गल्ले-मतारा खंड), मूल्य 36.24 मिलियन अमरीकी डालर, का कार्य पूरा हो गया है और 16 फरवरी 2011 को इस खंड को यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस परियोजना के चरण 2 (कलुतारा-गल्ले) (41.26 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य) पर अक्टूबर 2010 में कार्य आरंभ किया गया था। गल्ले से हिक्कादुआ के एक खंड का कार्य पूरा हो गया है और 19 जनवरी 2012 को यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया है। शेष खंड (हिक्कादुआ-कलुथार) का कार्य भी पूरा हो गया है और इस खंड को यात्री यातायात के लिए 19 अप्रेल 2012 को खोला गया है।

कालूतरा - गाले - मटारा खंड पर उन्नत रेलवे ट्रैक का शुभारंभ

ख. नई/चालू विदेशी परियोजनाएं :

नई परियोजनाओं सहित दस परियोजनाएं प्रगति पर हैं - मलेशिया में दो, श्रीलंका में पांच तथा अफगानिस्तान, इथोपिया तथा अलजीरिया में एक-एक परियोजनाएं।

मलेशिया

1. आपकी कंपनी 31 दिसंबर 2012 तक बढ़ाए गए पट्टा एवं अनुरक्षण ठेके के रुप में मलेशियन रेलवे प्रणाली (केटीएमबी) पर 25 मीटर गेज डीजल इंजनों के प्रचालन का कार्य जारी रखे हुए है।

सेरम्बन-गेमास विद्युतीकृत दोहरी रेलपथ परियोजना का रेम्बउ स्टेशन भवन, मलेशिया

2. कंपनी को 4084 करोड़ रुपए (लगभग 1 बिलियन अमरीकी डालर) मूल्य पर रेल मंत्रालय, मलेशियन सरकार द्वारा दिसम्बर, 2007 में मलेशिया में सेरेम्बान व गेमास के बीच डिजाइन व निर्माण आधार पर विद्युतीकरण, सिगनलिंग व दूरसंचार कार्यों सहित लगभग 98 कि.मी. की दूरी की एक रेल पथ-दोहरीकरण परियोजना प्रदान की गई थी। मार्च 2012 को समग्र कार्य की वास्तविक प्रगति 88% है। स्थल पर कब्जा लेने के लिए कुछ दूरस्थ स्थलों में विलम्ब होने के कारण इस कार्य के अगस्त 2013 को पूरा होने की संभावना है।

श्रीलंका

3. आपकी कंपनी ने श्रीलंका के उत्तरी प्रोविंस में निम्नलिखित रेलवे लाइन के स्तरोन्नयन के लिए परिवहन मंत्रालय श्रीलंका के साथ भी संविदा में प्रवेश किया था।

(i) ओमनथाई से पल्लई (815 करोड़ रुपए अर्थात 185.36 मिलियन अमरीकी डालर)। इस परियोजना के दिसंबर 2013 तक पूरा होने की संभावना है।

(ii) मधु रोड से तलई मन्नार(659 करोड़ रुपए अर्थात 149.74 मिलियन अमरीकी डालर)। इस परियोजना के सितंबर 2013 तक पूरा होने की संभावना है।

(iii) मडवाच्चिया से मधु रोड(358 करोड़ रुपए अर्थात 81.31 मिलियन अमरीकी डालर) इस परियोजना के मार्च 2013 तक पूरा होने की संभावना है।

भारतीय आयात निर्यात बैंक तथा श्रीलंका सरकार के बीच ऋण करार पर हस्ताक्षर होने, तथा कंपनी को अग्रिम राशि का भुगतान किए जाने के पश्चात से परियोजनाएं मार्च 2011 में प्रचालन में आई हैं।

4. वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने श्रीलंकाई रेलवे के साथ दो संविदाओं में प्रवेश किया :

(iv) 392 करोड़ रुपए अर्थात 86.51 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य पर श्रीलंका के उत्तरी प्रोविंस में सम्पूर्ण रेलवे नेटवर्क के लिए अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण तथा सिगनलिंग व दूरसंचार प्रणाली को आरंभ करना। 17 अगस्त 2011 को इस करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(v) 747 करोड़ रुपए अर्थात 149.37 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य पर श्रीलंका के उत्तरी प्रोविंस में पल्लई से कन्केसनथुरई के बीच रेल लाईन का पुनर्निमाण। 18 नवंबर 2011 को इस करार पर हस्ताक्षर किए गए।

इन दोनों संविदाओं के वित्तपोषण के लिए 18 जनवरी 2012 को भारत के आयात-निर्यात बैंक तथा श्रीलंका सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए।

अफगानिस्तान

5. आपकी कंपनी को 28 दिसंम्बर, 2008 में उर्जा एवं जल मंत्रालय, अफगानिस्तान में मौजूदा मजार-ए-शरीफ उपस्टेशन पर 220/20 कि.वा. के नए ऐबक उपस्टेशन की आपूर्ति और संस्थापन तथा बे विस्तार का कार्य प्राप्त हुआ था। परामर्शदाता द्वारा आरेखणों/अभिकल्पों की देरी से स्वीकृति दिए जाने के कारण परियोजना की प्रगति को धक्का लगा है। इन स्वीकृतियों के पश्चात वास्तविक कार्य अप्रैल, 2010 में आरंभ हुआ। मजार-ए-शरीफ तथा एबैक में भौतिक निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना का अब मूल्य 44 करोड़ रुपए है और इस कार्य के अक्टूबर 2012 तक पूरा होने की संभावना है।

इथोपिया

6. आपकी कंपनी ने 66.3 करोड़ रुपए के मूल्य पर इथोपियन विद्युत ऊर्जा निगम (ईईपीसीओ) के लिए उप-स्टेशन हेतु उपकरणों की आपूर्ति, परीक्षण व उनका प्रचालन आरंभ करने के लिए अगस्त, 2008 में एक परियोजना प्राप्त की थी। कंपनी ने मार्च, 2010 में अभिकल्प कार्य तथा उपकरणों की आपूर्ति का कार्य पूरा कर लिया है । कुछ सब-स्टेशनों में ईईपीसीओ द्वारा इरैक्शन कार्य अभी भी किया जा रहा है। आपकी कंपनी परीक्षणों तथा कार्य आरंभ पर निगरानी रख रही है और यह परियोजना दिसंबर 2012 को समाप्त हो जााएगी।

अल्जीरिया

7 आपकी कंपनी को 1103 करोड़ रुपए अर्थात 230 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य पर अल्जीरिया सरकार से उऐद स्लाई तथा यल्लेल के बीच 93 किमी के दोहरे ट्रैक को बिछाने के कार्य का ठेका प्राप्त हुआ था। इस कार्य में अलजीयर-ओरान खंड में उऐद स्लाई से यल्लेल तक दूसरी लाईन बिछाने का कार्य तथा मौजूदा लाईन के स्तरोन्नयन का कार्य शामिल है।

वर्ष के दौरान, भूमि संबंधी 70 प्रतिशत कार्य तथा कल्वर्ट संबंधी 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। तथाति, क्लाइंट द्वारा संविदा में मात्राओं में परिवर्तन के लिए संशोधन के मुद्दे पर विलंब के कारण, परियोजना का कार्य जनवरी 2012 से पूरी तरह रुक गया है और क्लाइंट के अनुसार मार्च 2012 में संविदा अवधि भी समाप्त की गई है। अनेक वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि होने के कारण संविदा के मूल्य में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। संविदा मूल्य में संशोधन तथा संविदा अवधि को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव क्लाइंट द्वारा सरकार को भेज दिया गया है और यह आशा है कि इस संबंध में संशोधन सितंबर 2012 तक हो जाएगा। उपर्युक्त संशोधन के होने के पश्चात परियोजना के कार्य को गति मिलेगी।

ग. सम्भावित विदेशी परियोजनाएं

बांग्लादेश, श्रीलंका, मध्य पूर्व देशों, म्यानमार, नेपाल तथा अफ्रीकी देशों में ठेके प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्थित उपाय किए जा रहे हैं ।

घ. भारत में पूरी की गई परियोजनाएं

वर्ष के दौरान भारत में 4 परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जो इस प्रकार हैं:

क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए उत्तरी क्षेत्र(जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब)में सड़क उपरी पुलों का निर्माण।

ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए तमिलनाडु राज्य में पहुंच मार्गों व पुलियाओं के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के मदुरै-कन्याकुमारी खंड में सड़क उपरी पुलों का निर्माण।

ग) दिल्ली एमआरटीएस परियोजना चरण-II परियोजना (संविदा बीई-8)-जहांगीरपुरी, मुंडका, अंबेडकर कॉलानी(अंतरराष्ट्रीय सहयोग जापान बैंक द्वारा वित्तपोषित) तथा बॉटनिकल पार्क(नोएडा) और सुशांत लोक(गुड़गांव)(गैर-जेबीआईसी वित्तपोषित)पर प्राप्त-सह-कर्षण-सह-ऑगलरी मुख्य उपस्टेशन के लिए आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण तथा प्रचालन आरम्भ का कार्य।

घ) वरसोवा, मुंबई में सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीस एजुकेशन की मुख्य एकेडमिक भवन के वर्टिकल विस्तार के लिए निर्माण।

वर्ष की समाप्ति के पश्चात, रेल विकास निगम लि. के लिए अलीगढ गाजियाबाद रेल परियोजना का कार्य पूरा हो गया है और इसे 19 मई 2012 को यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया है।

ड. नई भारतीय परियोजनाएं :

वर्ष 2011-12 के दौरान आपकी कंपनी ने भारत में अतिरिक्त निर्माण कार्यों सहित निम्नलिखित नई परियोजनाएं प्राप्त की हैं :

क) 892.32 करोड़ रुपए मूल्य पर राजस्थान में सड़क उपरि-पुल का निर्माण कार्य;

ख) 1280.29 करोड़ रुपए के मूल्य पर राय बरेली में नए रेल डिब्बा कारखाने में चरण 2 का निर्माण कार्य

ग) 761 करोड़ रुपए मूल्य पर जम्मू और कश्मीर लिंक परियोजना का भावी निर्माण कार्य अर्थात उद्यमपुर-श्रीनगर-बारामुला नई बीजी रेल लाईन परियोजना के धर्मा-काजीगुंड खंड पर सुरंग टी-74आर (किमी 125 तथा 134 के बीच) का निर्माण ।

जम्मू और कश्मीर रेल संपर्क परियोजना की सुरंग टी-80 (परि पंजल सुरंग) का ब्रेक-थ्रू समारोह

च) संयुक्त उद्यम कंपनी

मोजांबिक में संयुक्त उद्यम कंपनी

वर्ष 2004 के दौरान मोजांबिक में संयुक्त उद्यम कम्पनी डोस कमीनोस डी फिरो डा बेरा (सीसीएफबी) का गठन किया गया था जिसमें, आपकी कंपनी की 25% की इक्विटी हिस्सेदारी है तथा राइट्स की 26% की और मोजांबिक के रेल उपक्रम, सीएफएम की 49% की इक्विटी हिस्सेदारी है।

सीसीएफबी में निवेश की स्थिति निम्नानुसार है:

		आज की तारीख को कुल प्रतिबद्धता (मिलियन अमरीकी डालर)
(क)	इक्विटी	1.25
(ख)	शेयरधारकों का ऋण	21.08
	कुल	22.33

सीसीएफबी ने 31.03.2012 तक उपर्युक्त ऋण पर 0.81 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के मूल तथा ब्याज के पुर्नभुगतान में चूक थी। रियायत की समाप्ति के कारण 1 अप्रेल 2011 के पश्चात उपर्युक्त ऋण पर संचित ब्याज को लेखा बहियों में शामिल नहीं किया गया है। एक परंपरागत दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए इस निवेश के प्रति एक उपयुक्त प्रावधान भी किया गया है।

रियायत की समाप्तिः

पुनर्वासन कार्य की समाप्ति में कथित विलंब के कारण संबंधित प्राधिकरण (परिवहन एवं संचार मंत्रालय, मोजांबिक सरकार)द्वारा रियायत समाप्ति का नोटिस सीसीएफबी का जारी किया गया था, जिसका उत्तर सीसीएफबी द्वारा किया गया है।

मोजांबिक सरकार चाहती है कि सीसीएफबी कोयले के परिवहन के लिए युक्तिसंगत दरसूची पर सहमत हो जाए, जिस पर सीसीएफबी सहमत नहीं है। तदनुसार, सीसीएफबी में इरकॉन तथा राइट्स की इक्विटी भागीदारी को बेचकर इसके मैत्रीपूर्ण समाधान के प्रयास आरंभ किए गए थे। सभी तीनों शेयरधारक (सीएफएम, राइट्स तथा इरकॉन) इस पर सहमत थे और उन्होंने मैत्रीपूर्ण समाधान पर हस्ताक्षर किए किन्तु इस पर संबंधित अधिकारी ने अपनी सहमती व्यक्त नहीं की, क्योंकि वह चाहता था कि यह करार पूर्णतः उनके पक्ष में रहे। हालांकि इस रेललाईन के पुनर्वासन का कार्य पूरा किया गया था और इस पर कोयले की आवाजाही प्रवाहपूर्ण रुप से आरंभ हो गई है, पुनर्वासन कार्य में विलंब और मैत्रीपूर्ण निपटान के लिए वार्ता के विफल रहने का कारण देते हुए संबंधित प्राधिकारी ने दिसंबर 2011 में रियायत को समाप्त करके उस को अपने अधिकारक्षेत्र में ले लिया था।

सीसीएफबी ने इस मुद्दे के निपटान के लिए मध्यस्थ खंड का प्रयोग किया है और इस संबंध में दावे तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें शीघ्र ही दायर किया जाएगा।

भारत में संयुक्त उद्यम कंपनी

'इरकॉन-सोमा टॉलवे प्राइवेट लिमिटेड' (आईएसटीपीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन 19 अप्रैल, 2005 को इरकॉन तथा सोमा इन्टरप्राइस लिमिटेड (निर्माण कंपनी) की 50% की इक्विटी साझेदारी के साथ की गई थी। यह कंपनी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए महाराष्ट्र में किमी 380 से किमी 265 तक राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के पींपलगांव-धूले खंड को चार लेन का बनाने की बीओटी परियोजना निष्पादित कर रही है।

आईएसटीपीएल में इरकॉन के निवेश का मूल्य 63.87 करोड़ रुपए है जो कि आईएसओपीएल की इक्विटी पूंजा का 50 प्रतिशत है।

शेयरों का वचन तथा आश्वासन

आपकी कंपनी ने पूर्व में आईएसटीपीएल द्वारा प्रमुख ऋणदाता बैंक, भारतीय स्टेट बैंक सहित 8 बैंकों से लिए गए 450 करोड़ रूपए के ऋण अवधि के संबंध में इरकॉन ने आईएसटीपीएल में अपनी शेयरधारिता (63.87 करोड़ रूपए का धारित मूल्य के साथ) का वचन प्रस्तुत किया था। वर्ष के दौरान, अपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने 450 करोड़ रुपए के उक्त दीर्घकालीन ऋण की शेष राशि का भुगतान सहित अपनी विभिन्न देयताओं, शेयरधारकों से ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए अपनी निधि की आवश्यकता को पूरा करने हेतु पीएनबी से 600 करोड रूपये तक के आवधिक ऋण को प्राप्त करने के लिए आईएसटीपीएल को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में प्रतिभूति का विस्तार करके (एसबीआई के पक्ष में मौजूदा 100 प्रतिशत वचन के निष्पादन के पश्चात)आईएसओपीएल की 50 प्रतिशत इक्विटी साझेदारी को स्वीकृति प्रदान की है। आईएसटीपीएल ने वास्तव में 521.53 करोड़ रुपए का ऋण लिया है।

पंजाब नेशनल बैंक से उक्त अवधि ऋण के संबंध में, आपकी कंपनी ने आईएसटीपीएल में 50 प्रतिशत इक्विटी भागीदान के रुप में पंजाब नेशनल बैंक को निम्नानुसार वचन दिया हैः

(क) आईएसटीपीएल तथा एनएचएआई के बीच निष्पादिन रियायत करार के समाप्त होने की स्थित में पंजाब नेशनल बैंक को देय राशियों, यदि कोई हो, में किसी प्रकार की कमी होने पर 50 प्रतिशत राशि की व्यवस्था करेगी।

(ख) पीएनबी के पक्ष में अपनी 30 प्रतिशत शेयरधारिता तथा एसबीआई में मौजूदा 100 प्रतिशत वचन के निष्पादन के पश्चात अपनी शेयरधारिता के 21 प्रतिशत का निपटान न किए जाने का वचन।

यह परियोजना वर्ष 2010-11 में पूरा हो गया है और 118.158 किमी की सम्पूर्ण लंबाई पर वर्ष 2011-12 के दौरान प्रतिदिन लगभग 40 लाख रुपए का औसत टोल सृजित हुआ है।

छ. सहायक कंपनियां

1. इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लि. (इरकॉन आईएसएल)

आपकी कंपनी ने 10 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी सहित 30 सितम्बर, 2009 को ''इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड'' (इरकॉन आईएसएल) नाम से एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया था। इरकॉन आईएसएल ने 10 नवम्बर, 2009 को व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। इरकॉन आईएसएल की प्रदत्त शेयर पूंजी 4.90 करोड़ रुपए है। इरकॉन आईएसएल के मुख्य उद्देश्य हैं भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बहुउद्देशीय परिसरों हेतु अवसंरचना के निर्माण के क्षेत्र में नियोजन, अभिकल्पन, विकास तथा सुधार आदि कार्य करना; तथा रियल इस्टेट तथा संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सभी मुद्दे। वर्ष के दौरान, इरकॉन आईएसएल हायर पर्चेस, सभी प्रकार की चल तथा अचल परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने तथा सामाजिक कल्याण उपायों सहित सभी प्रकार से सेवाएं व अनुरक्षण व सहायता सहित सभी प्रकार की इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए परामर्श उपलब्ध कराने के व्यवसाय के साथ अपने प्रचालनों के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया है।

इरकॉन आईएसएल को रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा रेल प्रयोक्ताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिह्नित स्टेशन परिसरों पर बहुउद्देशीय परिसरों को विकसित करने का कार्य सौंपा गया था। इरकॉन आईएसएल द्वारा लिए गए 23 स्टेशन परिसरों में से 18 स्टेशनों पर कार्य पूरा हो गया है, और शेष 5 स्टेशनों का कार्य प्रगति पर है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण के साथ पट्टा करार पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात ही इरकॉन आईएसएल पूरे किए गए बहुउद्देशीय परिसरों को आरंभ करेगी।

इरकॉन आईएसएल को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से लगभग 3 करोड़ रुपए की कुल लागत पर ''म्यानमर के चिन राज्य में एक सड़क परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु तकनीकी सेवायें उपलब्ध कराने'' की परियोजना प्राप्त हुई है। इरकॉन आईएसएल इरकॉन के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व वाली चिह्नित परियोजनाओं को भी कार्यान्वित कर रही है।

उदयपुर में बहुउद्देशीय परिसर

इरकॉन आईएसएल में निवेश में शामिल है:

	कुल निवेश (₹ करोड़)
इक्विटी (100% शेयरधारिता)	4.90
ऋण (प्रतिबद्ध 75 करोड़ रुपए)	50.92
कुल	**55.82**

2. भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम लिमिटेड

आपकी कंपनी ने 100 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ 12 अप्रेल 2012 को "भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरडीसी)" नामक एक सहायक कंपनी का निर्माण किया है। आईआरएसडीसी में आपकी कंपनी की शेयरधारिता 51 प्रतिशत है और रेल मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय, रेल भूमि विकास प्राधिकरण की शेयरधारिता 49 प्रतिशत है। इसने 9 मई 2012 को अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है। 30.06.2012 को इसकी प्रदत्त शेयर पूंजी 2.50 करोड़ रुपए है। आपकी कंपनी के 51 प्रतिशत का मूल्य 1.27 करोड़ रुपए है।

समझौता ज्ञापन में निर्धारित अनुसार आईआरएसडीसी का मुख्य उद्देश्य भारत में यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर मानक स्थापित करने हेतु स्टेशन भवनों, प्लेटफार्म स्थलों, आसपास क्षेत्रों आदि के पुनर्विकास सहित नए निर्माण/नवीकरण कार्यों द्वारा यात्री सुविधाओं के स्तर में स्तरोन्नयन सहित मौजूदा/नए रेलवे स्टेशनों का विकास पुनर्विकास करना तथा भूमि/वायु क्षेत्र का वाणिज्यिक विकास करना है।

अनुपालन

क) लेखांकन उपचार का प्रकटन

1) बंद ईराक परियोजना के बकाया देय - आस्थगित ईराकी बकाया और उस पर ब्याज व बैंक-टू-बैंक आधार पर उप ठकेदारों को देय ब्याज के प्रावधान को भारत सरकार के साथ तय अंतिम निपटान दर यथा (1 अमरीकी डालर =35.802 रूपए) पर परिवर्तित किया जाता है, जैसाकि पिछले वर्ष किया गया था, एएस-11 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार तुलन पत्र की तारीख की दरों के स्थान पर। इसका ब्यौरा वित्तीय विवरणों के नोट सं 40(ग) में दिया गया है।

2. **बेरा रेल रियायत परियोजना -** सीसीएफबी को दिए गए ऋणों पर संचित मूल तथा ब्याज को लेखांकन मानक-11 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित तुलन पत्र की तिथि को विद्यमान दरों के स्थान पर विवेक के आधार पर 31 मार्च 2011 को प्रचलित विनिमय दर (यथा 1 अमरीकी डालर = 44.23 रुपए) पर रुपांतरित किया गया है। इसका ब्यौरा वित्तीय विवरणों के नोट सं 41 में दिया गया है।

ख. राष्ट्रपति का आदेश

वर्ष 2011-12 के दौरान कोई राष्ट्रपति आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

ग. राजभाषा

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों को नियमित रुप से आयोजित करके तथा यूनिकोड प्रणाली के कुशलतापूर्वक प्रयोग के लिए कार्यशालाएं आयोजित करके राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य किया जा रहा है। सभी कंप्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा उपलब्ध है। राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

घ. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी तथा एक सहायक जन-सूचना अधिकारी के साथ-साथ कंपनी के चार क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रत्येक कार्यालय के एक राज्य स्तरीय जन-सूचना अधिकारी के नामों सहित आवश्यक अद्यतन सूचना कम्पनी की वेबसाइट में डाल दी गई है । प्राप्त शिकायतों का उत्तर निर्धारित समय सीमा के भीतर दिया जाता है। शिकायतें मुख्य रुप से सेवा संबंधी मुद्दों और उनके ब्यौरों तथा ठेकेदारों व वेंडरों के कार्य से संबंधित होती हैं।

वर्ष के दौरान, कंपनी को 117 अपील प्राप्त हुए हैं जिनमें से 103 का उत्तर दिया गया था। शेष 14 अपीलों के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार अपेक्षित शुल्क/सूचना उपलब्ध कराने से संबंधित लागत के प्रति शुल्क का भुगतान नहीं किया था।

ड. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975, जिसे 31 मार्च, 2011 की अधिसूचना के तहत संशोधित किया गया है, के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के प्रावधानों के अनुसार 2011-12 के दौरान प्रतिवर्ष 60 लाख रुपए या अधिक या प्रतिमाह 5 लाख रुपए या अधिक पारिश्रमिक किसी भी कार्मिक ने प्राप्त नहीं किया है।

कार्मिक विकास

कम्पनी में वर्षभर कर्मचारियों के मध्य सोहार्दपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध विद्यमान हैं। आपकी कंपनी कार्यात्मक तथा सामान्य प्रबंधन क्षेत्रों, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुगम कौशलों के क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन क्षमताओं के निर्माण के लिए निरंतर कदम उठा रही है। जहां कहीं आवश्यक होता है वहां बाहरी शिक्षक वर्ग को आमंत्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि के लिए अधिकारियों को प्रख्यात संस्थानों के साथ नामित किया जाता है।

31 मार्च 2012 को कार्मिकों की कुल संख्या 1703 है जिनमें 108 कार्मिक प्रतिनियुक्त पर हैं तथा इनमें से अधिकतर (85) को विदेशी परियोजनाओं में लगाया गया है । 1416 नियमित कार्मिकों में से 1188 कार्मिक भारतीय परियोजनाओं पर तैनात हैं। महिला कार्मिकों की कुल संख्या 78 है, जिनमें से 46 कार्यपालक हैं। कंपनी के 841 (49.38%) कार्मिक इंजीनियर हैं।

आपकी कंपनी में कर्मचारी कल्याण की विभिन्न योजनाएं विद्यमान हैं, जैसा कर्मचारियों के मेधावी बच्चों के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति, व्यावसायिक डिग्री तथा डिप्लोमा पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए एक बार शैक्षिक अनुदान, शैक्षिक पुरस्कार, मृत कर्मचारियों के परिजनों को भी शैक्षणिक सहायता, समूह ग और घ कर्मचारियों की बेटियों तथा आश्रित बहनों के विवाह में सहयोग, आदि। निगमित कार्यालय, राय बरेली में परियोजना कार्यालय तथा गुड़गांव में प्रशिक्षण केन्द्र में व्यायाम (जिम) सुविधाओं के अतिरिक्त पुरुष व महिला दोनों वर्ग के कर्मचारियों के लिए योग कक्षायें चलाई जाती हैं।

इरकॉन की मेधावी महिला कर्मचारियों को अपने कार्य के अतिरिक्त सामाजिक गतिविधियों तथा खेलकूद में रुचि दिखाने के लिए रेल महिला कल्याण संगठन द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है। आपकी कंपनी महिला कर्मचारियों के लिए सहयोगपूर्ण तथा सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध करा रही है। कंपनी में कार्य स्थल में महिला उत्पीड़न के निवारण के लिए एक शिकायत समिति विद्यमान है जो किसी प्रकार की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करती है, चाहे वह अनौपचारिक ही क्यों न हो ताकि समस्या को आरंभ में ही समाप्त किया जा सके।

28 अप्रैल, 2012 को 36वां वार्षिक दिवस परम्परागत उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों द्वारा भारत तथा विदेशी परियोजनाओं तथा चुनिंदा परियोजनाओं में किए गए उत्कृष्ट कार्य की सराहना की गई व उन्हें पुरस्कृत किया गया। कार्मिकों के होनहार बच्चों को शैक्षिक पुरस्कार प्रदान किए गए।

गुणवत्ता प्रबंधन

वर्ष 1996 से जब टीयूवी सड्यूस्चलैंड प्रा. लिमिटेड (टी यू वी) द्वारा कम्पनी को समग्र रूप से पहली बार आईएसओ 9002-1994 के लिए प्रमाणित

किया गया था, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यू एम एस) को सफलतापूर्वक चलाया तथा निरंतर उन्नत किया गया है । अक्टूबर 2011 में आपकी कंपनी को टीयूवी द्वारा अद्यतन संशोधित कोड आई.एस.ओ 9001-2008 के अनुसार पुनःप्रमाणित किया गया है।

निगमित गुणवत्ता परिषद तथा परियोजना गुणवत्ता परिषद की बैठकें क्रमशः निगमित कार्यालय तथा परियोजनाओं में तिमाही आधार पर आयोजित की जाती हैं ताकि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सके। गुणवत्ता उद्देश्यों को निगमित तथा परियोजना दोनों ही स्तरों पर मापा जाता है तथा इनकी समीक्षा की जाती है। सभी कार्यालयों तथा परियोजनाओं में प्रति वर्ष आंतरिक गुणवत्ता ऑडिट तथा गुणवत्ता आश्वासन ऑडिट किया जाता है। इन ऑडिटों की रिपोर्टों में न केवल आडिट के दौरान सामने आए गैर अनुपालन का ब्यौरा होता है बल्कि प्रमुख विशेषताओं, प्रगति सकारात्मक बिन्दु, यदि कोई हो, आदि का भी उल्लेख होता है। परीक्षण सुविधाओं, प्रयोगशाला, मास्टर गुणवत्ता नियंत्रण योजना तथा परीक्षण रिकार्डों में व्यापक सुधार हुआ है।

ऊर्जा संरक्षण तथा पर्यावरण महत्व

ऊर्जा संरक्षण के लिए निगमित कार्यालय भवन में विभिन्न अत्याधुनिक प्रणालियां संस्थापित की गई हैं तथा पर्यावरण सहिष्णु तकनीकों को अपनाया गया है।

आपकी कंपनी में सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण (एसएच एवं ई) मैनुअल सहित एसएच एवं ई नीति विद्यमान है। वर्ष के दौरान कंपनी ने पर्यावरण से संबंधित अद्यतन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैनुअल में संशोधन/स्तरोन्नयन का कार्य आरंभ कर दिया है। सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। इस वर्ष पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली तथा सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया था। आपकी कंपनी ने पर्यावरण पर निर्माण गतिविधियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए जम्मू में एक पर्यावरण प्रयोगशाला की भी स्थापना की है।

गुणवत्ता प्रबंधन विभाग ने आईएसओ 14001:2004 के अनुसार अक्टूबर 2011 में पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है। यह प्रमाणपत्र अगले तीन वर्षों के लिए वैध है। गुणवत्ता प्रबंधन विभाग ने वर्ष की समाप्ति के पश्चात व्यावसायिक, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिए प्रचालनिक स्वास्थ्य सुरक्षा आकलन शृंखला (ओएचएसएएस) की अपेक्षाओं का क्रियान्वयन भी आरंभ कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरुकता के परिणामस्वरुप, निगमित कार्यालय में ऊर्जा की खपत में निरंतर कमी आई है। कंपनी के परियोजनाओं/ कार्यालयों में ऊर्जा सहिष्णु उपकरण जैसे सौर हीटर/सौर लाईट संस्थापित की गई हैं। वृक्षारोपण, वायु तथा जल प्रदूषण नियंत्रण तथा ईएमएस के क्रियान्वयन के माध्यम से परियोजनाएं भी पर्यावरण संरक्षण में योगदान कर रही हैं।

अनुसंधान एंव विकास

आपकी कंपनी कोई विशुद्ध अनुसंधान परियोजना पर कार्य नहीं करती है किन्तु अपेक्षित गुणवत्ता के साथ लागत कुशलता के रुप में विभिन्न परियोजनाओं को निष्पादित करने हेतु विभिन्न पद्धतियों और तकनीकों को विकसित करने के लिए परामर्शदाताओं और फर्मों का सहयोग प्राप्त करती है।

वर्ष के दौरान अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों में रेलपथ स्थापन उपकरणों का स्वदेशीकरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन में सक्षमता का विकास आदि शामिल हैं। कंपनी ने उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी पर विशिष्ट बल देत हुए तथा तकनीकी श्रमशक्ति के कौशलों में सुधार करने के लिए परियोजना सुपुर्दगी में सुधार करने, लागत में कमी करने तथा स्थायी सामान्य व्यवसाय के उद्देश्य से प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित वस्तुओं के लिए अनुसंधान तथा विकास प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से एक योजना तैयार की है।

प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन तथा समावेशन

आपकी कम्पनी ने प्रौद्योगिकी तथा निर्माण तकनीकों के निरन्तर स्तरोन्नयन के लिए एक 'इंजीनियरिंग नियंत्रण तथा लेखापरीक्षा कक्ष' स्थापित किया है, और यह उपयुक्त अभिकल्पन तथा बहुमूल्य इंजीनियरिंग के पहलुओं पर निगरानी रखता है। यह कक्ष विभिन्न प्रकार की संरचनाओं से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए अभिकल्प तथा आरेखों की समीक्षा भी करता है, तथा संरेखण अभिकल्प, भू-तकनीकी आदि क्षेत्रों में तकनीकी बैक-अप के साथ नई परियोजनाओं के विपणन प्रयासों व अवधारणीकरण में सहयोग देने के लिए अभिकल्प डाटा के मानकीकरण के साथ इंजीनियरिंग उपाय उपलब्ध कराता है। आपकी कंपनी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निष्पादन में नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ईआरपी का विकास

आपकी कंपनी एक अत्याधुनिक डाटा केन्द्र का अनुरक्षण कर रही है। यह डाटा केन्द्र समर्पित लीज लाईनों के माध्यम से हर समय राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के साथ जुड़ा रहता है। यह डाटा केन्द्र प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के लिए सुरक्षित रुप से सुरक्षित उच्च गति लेन तथा वेन सम्पर्कता के लिए नेटवर्क तथा इंटरनेट सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित है।

प्राइमावेरा जैसे परियोजना प्रबंधन साफ्टवेयरों का वीडियो कांफ्रेंसिंग जैसी लागत कुशल संचार सुविधाओं सहित कम्प्यूटर आधारित आरेखण और अभिकल्प वाल घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं की कुशल मानिटरिंग के लिए सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है।

कंपनी ने उन्नत व्यवसाय प्रक्रियाओं सहित नये /बेहतर कार्यात्मक संवर्धन का लाभ प्राप्त करने के लिए एसएपी ईसीसी 6.0 के अद्यतन वर्जन पर बिजनेस क्रिटिकल एप्लिकेशन तैयार किया है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी में निगमित मामले मंत्रालय द्वारा जारी सीएसआर दिशा-निर्देश की तर्ज पर सीएसआर नीति तथा संरचना विद्यमान है।

सीएसआर योजना के अन्तर्गत मैडावाचिया, श्रीलंका में स्वास्थ्य केन्द्र

वर्ष 2011-12 के लिए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत निर्धारित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं में आधारभूत सर्वेक्षण यथा आईटीआई, धौलपुर पर अवसंरचना तथा अन्य लॉजिस्टिक का विकास; चुनिंदा स्टेशनों पर चिह्नित स्कूलों को पुस्तकें, बैग, शुल्क आदि का वितरण; गावों में सौर प्रकाश का संस्थापन; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना/एम्बुलेंस तथा चिकित्सा उपकरणों का प्रावधान/ जोधपुर आदि में ट्रौमा केन्द्र के लिए आपातकालीन चिकित्सा उपकरणों का संस्थापन तथा उन्हें आरंभ करना तथा पौधरोपण/पार्कों के अनुरक्षण के पश्चात परियोजनाओं के क्षेत्र में चुनिंदा स्थलों पर 5 क्षेत्रों पर बल दिया गया है।

सतर्कता गतिविधियां

सतर्कता विभाग की अध्यक्षता केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा नियुक्त पूर्णकालीन केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा की जाती है। केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी इंजीनियरों के सतर्कता दल का प्रमुख होता है। यह विभाग निवारक तथा दंडात्मक सतर्कता का प्रयोग करके सतर्कता से संबंधित सभी मुद्दों में शीर्ष प्रबंधन के लिए सलाहकार की भूमिका अदा करता है। यह संविदाओं की कार्यप्रणाली तथा निष्पादन में अनैतिक पद्धितियों को रोकने के लिए कदम उठाता है और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों पर जांच करता है। इन मामलों के परिणामों को शीर्ष प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ताकि अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने / प्रक्रियात्मक खामियों से बचने के लिए प्रणाली में सुधार करने के लिए कदम उठाए जा सकें।

वर्ष के दौरान विभाग ने वार्षिक कार्य योजना 2011-12 के आधार पर नियमित तथा औचक जांचों सहित 14 निवारक निरीक्षण किए हैं। अन्य प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं - अपने तार्किक स्तर तक अधिकारियों, प्रक्रियाओं आदि के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करना, प्रमुख तकनीकी परीक्षा कार्यालय द्वारा उठाए गए पैराओं को समाप्त करने के लिए कार्रवाई करना, दंडात्मक सतर्कता मामलों में तीव्रता लाना, कर्मचारियों के अचल संपत्ति रिटर्न की संवीक्षा करना तथा नियमों/ प्रक्रियाओं तथा सामान्य अनियमितताओं पर कार्यशालाओं/प्रशिक्षण सत्रों/प्रकाशन सामग्री आदि के माध्यम से कर्मचारियों में जागरुकता उत्पन्न करना।

एक सतर्कता अनुभाग / पोर्टल विकसित किया गया है और यह वेबसाईट www.ircon.org पर उपलब्ध है। प्रोद्योगिकी के स्तर पर एक ओर कदम बढाते हुए पोर्टल में शिकायतों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सामान्य प्रकृति की वस्तुओं के प्रापण तथा वस्तुओं की आपूर्ति का कार्य ई-टेंडरिंग के माध्यम से आरंभ किया गया है। बेहतर पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर ई-टेंडरिंग /ई-प्रोक्यूरमेंट की प्रणाली आरंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विसूचीकरण

रेल मंत्रालय ने दिनांक 19.05.2010 के अपने पत्र के तहत सूचित किया है कि आपकी कंपनी के शेयर विसूचीकृत होंगे। तदनुसार, आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात दिनांक 3 नवंबर 2011 से बीएसई से तथा 15 मार्च 2012 से डीएसई के रिकार्डों से कंपनी के शेयरों को विसूचिकृत कराया गया है।

पुरस्कार

वर्ष के दौरान कंपनी को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं:

1. वर्ष 2011 के लिए परिवहन में केन्द्रीय सार्वनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्कृष्टता के लिए दैनिक भास्कर तथा दैनिक समाचार एवं विश्लेषण (डीएनए) द्वारा संस्थापित ''भारत गौरव पुरस्कार'' के अंतर्गत ''स्वर्ण पुरस्कार' प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार 21 अक्टूबर, 2011 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह आहलुवालिया द्वारा इरकॉन के प्रबंध निदेशक श्री मोहन तिवारी को प्रदान किया गया था। निरंतर दो वर्षों में कंपनी को प्राप्त यह दूसरा भारत गौरव पुरस्कार है।

प्रबंध निदेशक, इरकॉन को इंडिया प्राइड पुरस्कार सम्मानित

2. 1000 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाली सर्वाधिक व्यावसायिक प्रबंधकीय कंपनी की श्रेणी में निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) से विश्वकर्मा पुरस्कार।ये पुरस्कार 10 मार्च, 2012 को नई दिल्ली में श्री सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग के केन्द्रीय मंत्री श्री वीरभद्र सिंह द्वारा इरकॉन के प्रबंध निदेशक श्री मोहन तिवारी को प्रदान किया गया था।

3. कंपनी को वर्ष 2010-11 के लिए शीर्ष मर्चेंट निर्यातक की श्रेणी में निर्यात उत्कृष्टता के लिए ईईपीसी से रजत ट्रॉफी प्राप्त हुई। इरकॉन के संयुक्त महाप्रबंधक श्री डी.के.शर्मा ने चेक रिपब्लिक के उद्योग एवं व्यापार उपमंत्री श्री मिलान हावोर्का से मुंबई में 23 मार्च 2012 को यह पुरस्कार प्राप्त किया।

   वित्त वर्ष 2011-12 के समाप्त होने के पश्चात कंपनी को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं:

4. वर्ष 2012 के लिए इंजीनियरिंग एवं कंस्ट्रक्शन की श्रेणी में डन एंड ब्रेडस्ट्रीट द्वारा सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम व भारत के शीर्ष पीएसयू का पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार 28 मई 2012 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में निगमित कार्य मंत्री डॉ.एम.वीरप्पा मोइली द्वारा इरकॉन के प्रबंध निदेशक श्री मोहन तिवारी को प्रदान किया गया।

एकीकृत रिपोर्ट

"धारणीय विकास रिपोर्ट", प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट तथा "कार्पोरेट शासन रिपोर्ट" अपने उप अनुबंधों सहित निदेशक रिपोर्ट का अभिन्न अंग हैं तथा इन्हें क्रमशः इस रिपोर्ट के अनुलग्नक "क" "ख" तथा "ग" के रूप में रखा गया है।

धारणीय विकास रिपोर्ट वर्ष के दौरान आरंभ की गई धारणीय विकास योजना, नीति तथा गतिविधियों को दर्शाने वाली रिपोर्ट है।

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट कम्पनी की गतिविधियों, उसके व्यावसायिक परिवेश, लक्ष्य एवं उद्देश्यों, दृष्टिकोण, प्रचालनिक निष्पादन, उसके संसाधनों व प्रणालियों, विशेषताओं, अवसरों, सीमाओं, जोखिमों और महत्वपूर्ण पहलुओं, नीतियों, भावी सम्भावनाओं आदि का प्रारूप प्रस्तुत करती हैं।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट, निगमित शासन के दर्शन, निदेशक मंडल तथा उसकी समिति की संरचना, उनका ब्यौरा, जिसमें वर्ष 2011-12 के दौरान कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशकों का प्रोफाइल शामिल है और इसके अतिरिक्त, निदेशकों आदि की उपस्थिति तथा वेतन, अन्य संगत प्रकटन, सीईओ/सीएफओ प्रमाणन, शेयर धारकों के लिए सामान्य सूचना उपलब्ध कराती है। इसमें निम्नलिखित अनुपालन प्रमाणपत्र भी शामिल होते हैं।

(i) वर्ष 2011-12 के दौरान सभी मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार सहिंता तथा प्रमुख मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने हेतु प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र (अनुलग्नक 'ग'-1 पर); और

(ii) वित्तीय विवरणों की सत्यतता तथा विश्वसनियता, देय अनुपालनों व वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में प्रबंधन निदेशक तथा निदेशक वित्त से प्रमाण पत्र(अनुलग्नक 'ग'-2 पर);

(iii) सनदी कम्पनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित खडं 49 के प्रावधनों के अनुसार निगमित शासन के अनुपालन का प्रमाण पत्र(अनुलग्नक ग-3 पर)।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कम्पनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:-

1. वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है और कोई विशेष विचलन नहीं हुआ है बशर्ते वार्षिक लेखों में अन्यथा उल्लेख किया गया हो।
2. ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया था और निरन्तर लागू किया गया था और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए तथा वर्ष 2011-12 के कम्पनी के लाभ के लिए कम्पनी की कार्य स्थिति का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके।
3. जैसा कि वार्षिक लेखा में घोषित है, परिसंपतियों की सुरक्षा करने तथा छल कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रख-रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
4. वार्षिक लेख-सुनाम-प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किया गया है।

निदेशक मंडल

अप्रैल 2011 से मार्च, 2012 के दौरान निदेशक मंडल की पांच बैठकें आयोजित हुईं थीं जिनमें से दो बैठकें जून 2011 को समाप्त तिमाही में, एक-एक बैठक सितंबर 2011, दिसंबर 2011 तथा मार्च 2012 को समाप्त तिमाहियों में आयोजित की गई थीं।

श्री बी.एन.राजशेखर 10.11.2011 (पू) में अपर सदस्य (योजना), रेलवे बोर्ड का पदभार ग्रहण करने के उपरांत अंशकालीन (कार्यालय) निदेशक के पद से कार्यमुक्त हुए। वे कार्यालय में 25.10.2010 से 10.11.2011 तक पदासीन थे।

आज की तारीख को निम्नलिखित निदेशकों ने पद ग्रहण किए हुए हैं।

	नाम	प्रभावी
1	श्री ए.पी. मिश्रा, अंशकालीन अध्यक्ष (सरकारी)	27.10.2010
2	श्री मोहन तिवारी प्रबंध निदेशक	01.02.2009
3	श्री के.के. गर्ग निदेशक वित्त	03.11.2009
4	श्री दीपक सबलोक निदेशक परियोजना	16.04.2010
5	श्री हितेश खन्ना निदेशक, कार्य	07.03.2011
6	डॉ0 जी.वी. राव अंशकालीन निदेशक (गैर-सरकारी)	08.10.2010
7	प्रो.(डॉ)एस.एस.चटर्जी अंशकालीन निदेशक (गैर-सरकारी)	16.09.2011
8	श्री बी.एम. शर्मा अंशकालीन निदेशक (गैर-सरकारी)	19.09.2011
9	श्री डी.के. सराफ अंशकालीन निदेशक (सरकारी)	17.02.2012

लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2011-2012 के लिए कम्पनी के लेखापरीक्षक नियुक्त किए गए हैं -

सांविधिक लेखापरीक्षक :	
वाही एण्ड गुप्ता, नई दिल्ली	कम्पनी के लिए समग्र रुप से
भारत में शाखा लेखापरीक्षक :	
ए एस पी एन एंड कंपनी, नई दिल्ली	उत्तरी और कानपुर क्षेत्र के अन्तर्गत सभी परियोजनाएं
गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएट, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत सभी परियोजनाएं
के.के.एस एंड कंपनी, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	पूर्वी क्षेत्र की सभी परियोजनाएं
जी पी कपाडिया एंड कंपनी, मुंबई (महाराष्ट्र)	पश्चिमी क्षेत्र की सभी परियोजनाएं
जी.डी आप्टे एंड कंपनी, बंगलुरु (कर्नाटक)	दक्षिण क्षेत्र की सभी परियोजनाएं
विदेशी परियोजनाओं में शाखा लेखापरीक्षक :	
वाही एण्ड गुप्ता, नई दिल्ली	मलेशिया में सभी परियोजनाएं
मैनबेरे ल्यूल एण्ड कम्पनी, इथोपिया	इथोपिया
ऑडीकोंटास, ल्डे, बेरा	मोजांबिक
राज सेठ एण्ड कम्पनी, अफगानिस्तान	अफगानिस्तान
फिडेसियेर डी'एक्सपर्टीस कम्पटेबल फिडैक्सा, अल्जीरिया	अल्जीरिया
जयसिंधे एंड कंपनी, कोलंबो, श्रीलंका	श्रीलंका

आभारोक्ति

हम रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों, विभिन्न बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, निर्यात-आयात बैंक, निर्यात ऋण तथा गारण्टी निगम, राजदूतावासों, आप्रवासन प्राधिकारियों, पासपोर्ट प्राधिकारी, दूरदर्शन तथा भारत और विदेश दोनों में हमारे सम्मानित ग्राहकों के प्रति कम्पनी में रूचि बनाए रखने और समर्थन के लिए सराहना करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं ।

हम कंपनी के कार्यनिष्पादन तथा लाभप्रदत्ता में सुधार करने के लिए कम्पनी के कर्मचारियों के अथक प्रयासों, समर्पण तथा कृतज्ञता के प्रति आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

के. के. गर्ग
निदेशक वित्त

मोहन तिवारी
प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली
दिनांक : 25.07. 2012

संलग्नक "क"

धारणीय विकास रिपोर्ट

1. धारणीय विकास गतिविधियां - 2011-12

वर्ष 2011-12 के दौरान, कंपनी ने धारणीय विकास की दिशा में पहल आरंभी की है। जैसा कि वर्ष 2011-12 के लिए समझौता ज्ञापन में प्रतिबद्धता प्रस्तुत की गई है, निगमित कार्यालय, केन्द्रीय निरीक्षण प्रकोष्ठ, नोएडा, निर्माण प्रबंधन केन्द्र, गुड़गांव के भवनों में बागवानी आदि जैसे कार्यों में प्रयोग के लिए रीसाइकल पानी के प्रयोग के लिए कदम उठाए गए थे। राय बरेली रेल डिब्बा कारखाना परियोजना में चयनित भवनों के अभिकल्प में हरित भवन विशेषताओं को शामिल किया गया था।

2. धारणीय विकास योजना

कंपनी के पास निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत धारणीय विकास योजना विद्यमान है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों को समेकित करने के साथ-साथ परियोजना अनुसंधान और विकास, अधिग्रहण/ विविधीकरण आदि सहित अपने व्यापार नियोजन और निर्णय निर्धारण प्रक्रियाओं में पर्यावरण दृष्टिकोण को शामिल करना है। कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक बोर्ड स्तरीय धारणीय विकास समिति है जिसकी बैठक 24 जुलाई 2012 को हुई थी और इसमें धारणीय विकास योजना की समीक्षा की गई थी।

3. धारणीय विकास नीति

धारणीय विकास योजना के अंतर्गत धारणीय विकास नीति में यह संकल्प है किः

(i) अपनी परियोजानाओं तथा कार्यालयों में ऊर्जा प्रबंधन, जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन तथा सामग्री व प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए धारणीय विकास योजना विकसित तथा कार्यान्वित किया जाए।

(ii) वायु, जल, भूमि तथा ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास करना।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मचारी धारणीय विकास की आवश्यकता को समझें और उसके प्रति पूर्णत जागरुक बनें।

(iv) परियोजनाओं के नियोजन तथा अभिकल्पन में धारणीय विकास मापदंडों को शामिल किया जाए तथा निरंतर इसमें सुधार किया जाए।

4. धारणीय विकास बजट

वर्ष 2012-13 के लिए धारणीय विकास गतिविधियों के लिए बजट 50 लाख रुपए जमा वर्ष 2011-12 के लिए पीएटी की राशि, जो 100 करोड़ रुपए से अधिक है, का 0.1 प्रतिशत है अर्थात लगभग 87 लाख रुपए क्योंकि वर्ष 2011-12 के लिए पीएटी 469.92 करोड़ रुपए है।

5. धारणीय गतिविधियां - 2012-13

इरकॉन तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत पहचानी गई धारणीय गतिविधियां, जो प्रगतिरत हैं :

(i) सीक्वेंशियल बैच रियेक्टर प्रकार का सीवेज उपचार संयंत्र तथा जल रीसाइकलिंग।

(ii) राय-बरेली में नई प्रकार की वर्षा जल संरक्षण प्रणाली उपलब्ध कराना।

(iii) कारखाना शेड में पाईप लाईड का प्रावधान।

(iv) धारणीय विकास के पहलुओं पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण ।

(v) स्थानीय समुदाय तथा अन्य स्टेकधाराकों को प्रशिक्षण।

6. मूल्यांकन

आंतरिक समीक्षा के अतिरिक्त प्रमुख धारणीय विकास गतिविधियों का अंतिम मूल्यांकन स्वतंत्र बाहरी एजेंसी/ विशेषज्ञ / परामर्शदाता द्वारा किया जाता है।

संलग्नक "ख"

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

एक विहंगावलोकन

आपकी कंपनी टर्नकी आधार पर और अन्यथा रेलवे और राजमार्ग निर्माण कार्य की विशेषज्ञता के साथ देश में सार्वनिक क्षेत्रक निर्माण कम्पनियों में निरन्तर क्षेत्रक अगुआ बनी हुई है। कंपनी अपनी स्थापना के दूसरे वर्ष से ही लगातार वर्ष प्रतिवर्ष लाभ अर्जित कर रही है। कंपनी ऐसी कुछ एक सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कम्पनियों में से एक है जो देश के लिए विदेशी विनिमय अर्जित कर रही हैं तथा सरकार को प्रत्येक वर्ष लाभांश का भुगतान कर रही हैं। रेलवे निर्माण कम्पनी के रूप में व्यवसाय शुरू करने के पश्चात् वर्ष 1985 से इसने उत्तरोतर विविध कार्यों तथा सड़कों, भवनों, विद्युत सब-स्टेशन एवं वितरण कार्य, हवाई अड्डा निर्माण, वाणिज्यिक कॉम्लेक्स के अतिरिक्त मेट्रो निर्माण कार्य को निष्पादित किया है।

आपकी कंपनी ने पिछले 36 वर्षों से देश और विदेश दोनों में महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं का निष्पादन किया है। भारत में इरकॉन विशेष रूप से जोखिम भरे भूभागों और गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में कार्य निष्पादित करने के लिए जानी जाती है।

इरकॉन एक अनुसूची 'क' की सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी है तथा मिनिरत्न श्रेणी -I कम्पनी है।

वैधानिक स्थिति तथा स्वायत्ता

कंपनी, सरकार से एक पृथक वैधानिक निकाय है जिसे, वैधिक, कार्यात्मक तथा वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है और एक स्वतंत्र वाणिज्यिक उद्यम के रुप में निगमित कानूनों के अंतर्गत प्रचालन कर रही है, सरकार से किसी प्रकार की बजटीय या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करती है, और न ही यह सरकार पर आश्रित एजेंसी है। बहरहाल, रेल मंत्रालय तथा भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम विभाग के माध्यम से भारत सरकार सभी सरकारी कंपनियों के संबंध में संसद के प्रति जवाबदेही के भाग के रुप में प्रत्येक वर्ष प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के संबंध में समझौता ज्ञापन की प्रणाली के माध्यम से इसकी मानीटरिंग करती है। सरकार, सरकारी कंपनियों की कार्यप्रणाली को विनियमित करने तथा कुछ समरुपता लाने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर सकती है और जारी करती भी है। बहरहाल, सरकार के किसी भी विभाग को इस कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का पर्यवेक्षण का अधिकार या प्रभाव या नियंत्रण का प्रयोग करने की क्षमता नहीं है तथा यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इसके निदेशक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशों के अंतर्गत प्रबंधित तथा प्रचालित की जाती है।

व्यवसाय वातावरण

दो पूर्ववर्ती वर्षों में 8.4 प्रतिशत की विकास दर के पश्चात वर्ष 2011-12 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद के 6.9 प्रतिशत की दर के विकसित होने का अनुमान है। विकास की इस धीमी गति के लिए अनेक वैश्विक तथा घरेलू कारक जिम्मेदार हैं जैसे यूरोजोन में संकट, यूरोप में मंदी जैसी स्थिति, जापान में स्टेगनेशन, कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि, भारत में मौद्रिक नीति को कड़ा करना जिसके कारण निवेश और विकास में मंदी आई विशेष रुप से औद्योगिक क्षेत्र, आदि में। अंतरराष्ट्रीय मोनिटरी फंड के आर्थिक आउटलुक (जुलाई 2012) द्वारा भारत के आर्थिक विकास की 6.1 प्रतिशित की दर का पूर्वानुमान लगाया गया है।

आगामी वर्षों में अवसंरचना के वित्तपोषण का कार्य एक बड़ी चुनौती होगी और इसके लिए वित्तपोषण के क्षेत्र में सृजनात्मक विचारों तथा नए मॉडलों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान 45 लाख करोड़ रुपए (लगभग 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर)से अधिक के निवेश की आवश्यकता का अनुमान लगाया है, जिसमें से 50 प्रतिशत निजी क्षेत्र से आने का अनुमान है।

आगामी वर्षों में निजी क्षेत्र के वित्तपोषण के क्षेत्र में व्यापक कदम उठाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से अवसंरचना में निजी क्षेत्र के निवेश को पोषित करने में 11वीं पंचवर्षीय योजना की सफलता की नीव रखी जा चुकी है। सार्वानिक निजी भागीदारी से संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि होने तथा अवसंरचना सेवा सुपुर्दगी की कुशलता में सुधार होने की संभावना है।

भौतिक अवसंरचना के सृजन में कंपनी के लिए अवसर निम्नलिखित क्षेत्रों में विद्यमान हैं:

रेलवे: "भारतीय रेल विजन 2020" में 25000किमी नई रेल लाईन बिछाने , यात्री तथा मालभाड़ा रेल लाईनों के पृथकिकरण के साथ 6000 किमी नेटवर्क को चौगुना करना, 14000 किमी रेल विद्युतीकरण, आमान परिवर्तन के कार्य को पूरा करना, 2000 किमी उच्च गति गलियारे का निर्माण पर बल दिया गया है। समर्पित मालभाड़ा गलियारा (डीएफसी) परियोजना में मुम्बई से रेवाड़ी तक पश्चिमी कॉरीडोर तथा लुधियाना से दनकुनी तक पूर्वी कॉरीडोर को दुपक्षीय / बहुपक्षीय ऋण, बजटीय सहायता तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी के मिश्रित प्रयासों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इन गालियारों को 12वीं योजना के अंतिम वर्ष यथा 2016-17 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। यात्री सुविधाओं का स्तरोन्नयन तथा रेलवे स्टेशनों का विकास वे दो अन्य क्षेत्र हैं जहां कंपनी के लिए अवसर विद्यमान हैं।

सड़कें : सड़क क्षेत्र में मुख्य बल न्यूनतम स्वीकार्य दो-लेन मानक तक संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को विकसित करना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष गति सड़क विकास कार्यक्रम, नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का विकास, जम्मू और कश्मीर राज्य में सड़कों के निर्माण/पुन:निर्माण के लिए प्रधान मंत्री पुनर्निमाण योजना, प्रगतिरत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएनजीएसवाई) के माध्यम से ग्रामीण सड़कों का निर्माण, आदि पर दिया गया है।

विद्युतीय परियोनाएं : बीओटी/बीओओटी/बीओएलटी के अंतर्गत विद्युतीय परियोजनाएं प्रत्यक्ष रुप से या संयुक्त उद्यम / कंसोर्टियम के सदस्य के रुप में कंपनी को अवसर उपलब्ध करा सकती हैं।

सिगनलिंग और दूरसंचार परियोजनाएं: कंपनी के पास सिगनलिंग और दूरसंचार के क्षेत्र में अंतररष्ट्रीय परियोजनाएं प्राप्त करने के लिए अवसर विद्यमान हैं।

आपकी कंपनी पहले से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत परियोजनाओं, भारतीय रेलवे के लिए सड़क ऊपरी पुलों का निर्माण तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पोत संपर्कता परियोजना, विद्युतीय उप-स्टेशनों, रेल विद्युतीकरण, ऊर्जा आपूर्ति वितरण नेटवर्क तथा औद्योगिक विद्युतीकरण परियोजनाओं का निष्पादन कर रही है।

कंपनी मलेशिया, श्रीलंका, अल्जीरिया, इथोपिया तथा अफगानिस्तान में भी परियोजनायें निष्पादित कर रही है। इसके अतिरिक्त, **बांग्लादेश, म्यानमार, वियतनाम, अन्य मिडिल ईस्ट के देशों तथा अफ्रीकी देशों** में भी अवसर विद्यमान हैं।

दृष्टिकोण

वर्ष 2012-13 के लिए रेल मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में उल्लिखित कम्पनी का विजन, लक्ष्य तथा उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

विजन

आधार संरचना के क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों और सेवाओं के सम्पूर्ण आयाम को शामिल करते हुए इस क्षेत्र की सर्वोत्तम कम्पनियों की तुलना में विशिष्टता प्राप्त निर्माण संगठन के रूप में देश तथा विदेशों में अपनी पहचान बनाना।

लक्ष्य

1. भारत तथा विदेशों में परिवर्तनशील आर्थिक परिदृश्य के अवसंरचनात्मक विकास की निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम्पनी को प्रभावपूर्ण रूप से तैयार करना।
2. सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उच्च गुणवता वाले उत्पाद व सेवाओं को इंजीनियरिंग तथा बेहतर कार्पोरेट शासन व ग्राहक संतुष्टि की दृष्टि से उपलब्ध कराकर विश्वव्यापी पहचान बनाना।

उद्देश्य

1. कम्पनी की व्यावसायिक गतिविधियों के आकार व मूल्य को बढ़ाना ताकि वर्ष 2012-13 तक 5500 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त किया जा सके।
2. लगाई गई पूँजी से इष्टतम लाभ प्राप्त करना।

वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2011-12 में कंपनी ने अब तक की सर्वाधिक कुल आय अर्जित की है यथा 3782 करोड़ रूपए है जो वर्ष 2010-11 में प्राप्त 3254 करोड़ रूपए की कुल आय से अधिक है। कुल आय (3601 करोड़ रुपए) का लगभग 95% निर्माण प्रचालनों से प्राप्त हुआ है जिसमें से लगभग 51% (1850 करोड़ रुपए) विदेशी परियोजनाओं से प्राप्त हुआ है । स्पष्ट शब्दों में पिछले एक वर्ष के दौरान विदेशी परियोजनाओं से प्रचालनिक आय में लगभग 17% की वृद्धि हुई है। कर पूर्व लाभ 2010-11 में 401 करोड़ रुपए से बढ़कर 2011-12 में 602 करोड़ रुपए हो गई है जो 50% की वृद्धि को दर्शाता है। कर पश्चात लाभ लगभग दुगना हो गया है। वर्ष के दौरान निवल आय में 26% की वृद्धि हुई है तथा सकल मार्जिन में 52% की वृद्धि हुई है। प्रति शेयर आमदनी 2010-11 में 242.99 रुपए से बढकर 2011-12 में 474.76 रुपए हो गई है जो कि 95% की वृद्धि है।

निदेशक मंडल ने 65 रुपए प्रति (शेयर प्रदत्त शेयर पूंजी पर 650%) की दर से लाभांश की घोषणा व भुगतान पर विचार करने की सिफारिश की है। कंपनी ने पहले ही दिसंबर, 2011 में 30 रुपए प्रति शेयर (300%) की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। वार्षिक आम बैठक की घोषणा के पश्चात देय 64.34 करोड़ रुपए का लाभांश तथा पहले से भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश (29.69 करोड़ रुपए), मिलकर वर्ष 2011-12 के लिए 94.03 करोड़ रुपए का कुल लाभांश होगा, जो कि कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 950% है।

प्रचालनिक निष्पादन

क्षेत्रीय निष्पादन

रेलवे और राजमार्ग लाभ के मूल क्षेत्र बने हुए हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान प्रचालन आय-रेल से 81%, हाईवे से 14% तथा शेष 5% भवनों, विद्युत उप-स्टेशनों आदि से प्राप्त हुई। क्षेत्रवार तुलनात्मक स्थिति नीचे दर्शाई गई है। तालिका राजमार्ग निर्माण कार्यों की तुलना में रेलवे के कार्यों में पिछले तीन वर्षों की तुलना में वृद्धि को दर्शाती है। रेलवे निर्माण कार्यों से प्रचालनिक आय का अनुपात वर्ष 2010-11 में 64% से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 81% हो गया है, जबकि राजमार्ग क्षेत्र में यह अनुपात 2009-10 में 29% से घटकर 2011-12 में 14% हो गया है।

विद्युतीय परियोजनाओं तथा उप-स्टेशनों (जो कि 'अन्यों' का भाग है) से आय के भाग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1% की भी कमी हुई है।

(₹ करोड़ में)

	2009-10		2010-11		2011-12	
	प्रचालन आय	%	प्रचालन आय	%	प्रचालन आय	%
रेलवे	1801	57	2033	64	**2907**	**81**
राजमार्ग	1004	32	935	29	**489**	**14**
भवन	27	1	61	2	**76**	**2**
अन्य*	321	10	146	5	**129**	**3**
कुल	**3153**		**3175**		**3601**	

*विद्युतीय परियोजनाओं से आय सहित (वर्ष 2009-10 के दौरान 285 करोड़ रुपए, 2010-11 के दौरान 128 करोड़ रुपए तथा 2011-12 के दौरान 124 करोड़ रुपए)

क्षेत्र-वार कार्यनिष्पादन

वर्ष 2011-12 और 2010-11 के दौरान विदेशी परियोजनाओं से कुल आय का अंशदान 49% है जो कि 2009-10 में 38% तथा पिछले 3 वर्षों के दौरान तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

	2009-10		2010-11		2011-12	
	कुल आय	%	कुल आय	%	कुल आय	%
विदेशी	1217	38	1587	49	**1865**	**49**
घरेलू	1967	61	1613	50	**1764**	**47**
अनावंटित	33	1	54	1	**153**	**4**
जोड़	**3217**		**3254**		**3782**	

शक्तियाँ

आपकी कंपनी के पास बड़ी संख्या में अन्तरराष्ट्रीय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का व्यापक अनुभव है, विशेष रुप से विकासशील देशों में। इसकी मुख्य शक्तियाँ हैं विशाल वित्त व्यवस्था (निरंतर लाभ प्रदत्त तथा कम्पनी के तुलनपत्र से प्रदर्शित होता है) स्थापित विश्वसनीयता, सक्षम श्रमशक्ति। ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर तक गुणवत्तापूर्वक समय पर निष्पादन कंपनी का ट्रैक रिकार्ड रहा है।

अवसर

भारत तथा विदेशों में, विशेष रूप से रेलवे सेक्टर में पिछले दो वर्षों में अवसंरचना के क्षेत्र के विकास में पुनःजागृति होने से कम्पनी को अधिक व्यवसाय प्राप्त करने की स्थिति को बेहतर बनाने के अवसरों में बहुत वृद्धि हुई है। रेलवे तथा राजमार्ग क्षेत्र में बीओटी परियोजनाएं तथा रियल एस्टेट कंपनी की वित्तीय शक्ति का प्रयोग करने के लिए अत्यंत आकर्षक अवसर उपलब्ध कराता है।

बाध्यताएँ

हालांकि प्रत्येक संगठन को एक निश्चित विधिक ढाँचे के भीतर काम करना पड़ता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रूप में कंपनी को उन अतिरिक्त बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है (निजी क्षेत्र की कम्पनियों पर लागू नहीं होती) जिसके परिणामस्वरूप प्रतियोगी बाजार में उन्हें असुविधा होती है। विदेशी प्रतियोगियों के पास आसान ऋण की उपलब्धता तथा निजी निवेशकों के पास प्रापण तथा प्रचालन का लचीलापन जैसे कुछ अन्य कारक हैं।

रणनीति

अपने महत्वपूर्ण सक्षमता तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में बल देकर कम्पनी कार्य प्राप्त करने की स्थिति में सुधार करने और उसे बनाए रखने के लिए विपणन रणनीति की ओर ध्यान केंद्रित कर रही है। कम्पनी की मूल सक्षमता यथा रेलवे, विद्युतीकरण उपस्टेशन, रेल विद्युतीकरण तथा वाणिज्यिक परिसरों को और अधिक समेकित किया जा रहा है।

जोखिम और चिन्ता

क. परियोजना जोखिम प्रबंधन

अगस्त 2007 से एक औपचारिक जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क उपलब्ध है। कम्पनी में पूर्णकालीन निदेशकों की एक जोखिम प्रबंधन समिति तथा महाप्रबंधक/कार्यपालक निदेशक (मंडल स्तर से नीचे) के स्तर की एक त्वरित कार्यदल विद्यमान है जो इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। इस फ्रेमवर्क के अनुसार जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं तथा जोखिम प्रबंधन पर एम आई एस रिपोर्ट सहित एमआईएस रिपोर्टों के फार्मेट तैयार किए हैं जिनकी लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है। जोखिमों के प्रबंधन तथा उन्हें कम करने के लिए त्वरित कार्यदल से प्राप्त रिपोर्टों को जोखिम प्रबंधन समिति के माध्यम से लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

भारत में परियोजनाओं के निष्पादन में मुख्य चिन्ता का विषय दायित्वों से मुक्त भूमि की गैर उपलब्धता है जिसके कारण समय तथा लागत के बढ़ जाने का जोखिम है, जिसकी क्षतिपूर्ति अधिकतर क्लाइंट द्वारा की जाती है। दायित्वों से मुक्त भूमि की निरंतर गैर उपलब्धता के कारण एनएचएआई की कुछ परियोजनाओं को पूरा करने में कंपनी को विलंब हुआ है। तथापि, कंपनी ने भारी हानियों के बावजूद इन परियोजनाओं से अपना हाथ नहीं खींचा है।

जोखिम भरे भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य करने के दौरान कम्पनी के कर्मचारियों तथा परियोजनाओं को जोखिम उठाना पड़ता है और यहाँ जोखिम की सम्भावना रहती है तथा कर्मचारियों की जान, स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति को खतरा बना रहता है। बहरहाल, कम्पनी राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने में गर्व का अनुभव करती है। कम्पनी ने सरकार की मदद से पर्याप्त सुरक्षा सुविधाएँ तथा ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने के लिए बीमा आदि जैसे उपाय किए हैं। स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नीति और प्रक्रियाएं विद्यमान है।

ख. कोषीय जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के बीएएसईएल-।। मापदंडों के आधार पर वर्ष 2008-09 के दौरान क्रेडिट एनलाइसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (सीएआरई) द्वारा दीर्घकालीन गैर निधि आधारित बैंक सुविधाओं के लिए 'सीएआरई एए' रेटिंग तथा अल्पकालीन गैर निधि आधारित बैंक सुविधाओं के लिए ए1+ रेटिंग (इसे पहले 'पीआर 1+' रेटिंग कहा जाता था और इसे अब सेबी द्वारा 15 जून 2011 को जारी परिपत्र के अनुसार मानकीकृत कर दिया गया है) प्रदान की गई है। सीएआरई द्वारा दिसंबर, 2011 में वार्षिक निगरानी समीक्षा द्वारा इन रेटिंगों की पुनः पुष्टि की है।

विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा संचलनों की निरंतर निगरानी की जाती है और लागू कानूनों के अनुसार अतिरिक्त निधियों को भारत वापस लाया जाता है। विदेशी मुद्रा इनफ्लो तथा आऊटफ्लो की मैचिंग के दौरान प्राकृतिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए विदेशी मुद्रा में निधियों को रखकर तथा धरेलू बाजार में ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए समग्र प्रतिपूर्ति को अधिकतम बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। पारदर्शी तथा सुव्यवस्थित तरीके से विदेशी बैंकों में निधियों के स्थापन को सुनिश्चित करने के लिए विदेशी परियोजनाओं हेतु निवेश दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कम्पनी के पास उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा विद्यमान है जो इसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और परियोजना विशिष्ट बनाने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा पुस्तिका को उचित रूप से संशोधित किया गया है और उसमें आंतरिक लेखपरीक्षकों के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त दिए गए हैं।

प्रमुख निष्पादन सूचकांकों को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग फार्मेट के माध्यम से गहन मानीटरिंग की जाती है। मार्जिन से नीचे चल रही परियोजनाओं के निष्पादन को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी व वित्तीय लेखापरीक्षा व नियंत्रण की एक प्रणाली आरम्भ की गई है।

कंपनी में ढांचागत संगठनात्मक चार्ट तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन की प्रणाली विद्यमान है। व्यापाक आंतरिक एमआईएस प्रणाली (ऑनलाइन रिपोर्टिंग फार्मेट) के साथ यह प्रभावी मॉनीटरिंग को सुलभ बनाने के लिए उपयुक्त सूचना प्रवाह को सुनिश्चित करती है। इन प्रक्रियाओं के अनुपालन की मॉनीटरिंग प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान दो चरणों में आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से की जाती है। कंपनी में एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली विद्यमान है जिसके लिए आंतरिक लेखा परीक्षा फर्मो की आवश्यकता है ताकि उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की उपस्थिति तथा उस प्रणाली के भीतर अनुपालन के अतिरिक्त उचित जोखिम आकलन व निवारण तंत्र की उपस्थिति के विकल्प पर टिप्पणियां प्रस्तुत की जा सके। आंतरिक लेखापरीक्षक सनदी लेखाकार होते हैं जो सीधे प्रबंधन को रिपोर्ट करते हैं। जो अपनी स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करते हैं। आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है अनुपालनों को सुनिश्चित किया जाता है तथा अनुपालन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्टों के समेकन को लेखापरीक्षा समिति द्वारा विचार किए जाने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग को प्रस्तुत किया जाता है

आंतरिक नियंत्रण तथा लेखपरीक्षा प्रणाली के प्रबंधन व लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है तथा निरन्तर सुधार की प्रक्रिया के रूप में कदम उठाए जाते हैं। वर्ष के दौरान संरचनात्मक जालसाजी निवारण, निर्धारण तथा नियंत्रण नीति (एफपीडीसी नीति) तथा विसल ब्लोवर नीति को अंतिम रुप दिया गया है और निदेशक मंडल द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई है।

मानव संसाधन

कंपनी का उद्देश्य संगठन के लिए मानव संसाधन/कर्मचारियों के सही आकार तथा सही मिश्रण को प्राप्त करना है चूंकि आपकी कंपनी एक परियोजना आधारित कंपनी है श्रमशक्ति आवश्यकताओं की प्रकृति अस्थाई है। इसलिए कर्मचारियों की भर्ती, प्रतिनियुक्ति, संविदा तथा सेवा संविदा में किए जाने को वरीयता दी जाती है। भर्ती नीतियों को पुनर्निधारित किया गया है ताकि उन्हें कंपनी की समग्र नीति की तर्ज पर बनाया जा सके। वर्ष के दौरान संविदा/सेवा संविदा के आधार पर तैनात किए गए कर्मचारियों की संख्या में व्यापक वृद्धि हुई है। इससे कंपनी की नियमित कार्यप्रणाली पर प्रभाव डाले बिना विभिन्न परियोजनाओं पर जब कभी आवश्यकता हो, तकनीकी रूप से योग्य कर्मचारियों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सकता है।

कर्मचारियों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय कौशलों में संवर्धन करने की दृष्टि से प्रशिक्षु कार्यक्रमों को तैयार किया गया है। पदोन्नति से पूर्व भी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वो पदोन्नति प्रक्रियाओं से निपट सकें और उच्चतर स्तर पर कार्य संबंधी प्रक्रियाओं और उत्तरदायित्वों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

दूसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों पर आधारित कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली को रेल मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कंपनी के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की तर्ज पर सभी परियोजनाओं और कार्यों के लिए प्रमुख परिणाम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान आकर्षित करके सुव्यवस्थित बनाया जा रहा है।

कंपनी दूसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के आधार पर अधिवर्षिता लाभ के भाग के रुप में एक पेंशन योजना तैयार कर रही है जिस पर रेल मंत्रालय से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त की जा रही हैं। कंपनी में अंशदायी भविष्य निधि, उपदान, तथा सेवानिवृत्ति पश्चात एक चिकित्सा ट्रस्ट के माध्यम से अंतरण चिकित्सा लाभ मौजूद है

संलग्नक "ग"

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

1. कार्पोरेट शासन तथा आधारभूत मूल्यों के संबंध में कंपनी के विचार।

1.1 कंपनी का कार्पोरेट शासन कोड है **"व्यावसायिक, लाभकारी एंव उत्तरदायी रहते हुए कंपनी की प्रत्येक गतिविधि के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना"**

1.2 निदेशक मंडल द्वारा ग्रहण किए गए कम्पनी के **आधारभूत मूल्य** हैं :-

1. रचनात्मक दृष्टिकोण
2. एक टीम के रूप में कार्यरत
3. कार्य में उत्कृष्टता
4. कार्य और लेन-देन में सत्यनिष्ठा
5. जिम्मेदार और उत्तरदायी होना

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल की संरचना

निदेशक मंडल की वर्तमान संरचना में नौं निदेशक हैं जिनमें तीन स्वतंत्र निदेशक, चार पूर्णकालीन निदेशक (प्रबंध निदेशक, निदेशक निर्माण, निदेशक वित्त तथा निदेशक परियोजना) तथा अध्यक्ष सहित दो सरकार द्वारा मनोनीत (अंशकालीन-सरकारी) निदेशक हैं। स्वतंत्र निदेशक कुल संख्या का एक तिहाई हें जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 ए, डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों (डीपीई सीजी दिशानिर्देशों) तथा डीपीई की मिनी रत्न अपेक्षाओं के अनुरुप है।

2.2 इस रिपोर्ट की तारीख को निदेशकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक मंडल तथा
निदेशक मंडल/समितियों में उनकी सदस्यता
(इस रिपोर्ट की तारीख तक)

निदेशक	पूर्णकालिक/ अंशकालिक सरकारी / स्वतंत्र	प्राईवेट कंपनियों में मंडलों की सदस्यता इरकॉन को छोड़ कर	इरकॉन समेत(प्राईवेट कम्पनियों में) समिति सदस्यता की कुल संख्या	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में (अध्यक्ष के अलावा)
ए.पी. मिश्रा	अध्यक्ष-अंशकालीन (सरकारी)	3 (आरवीएनएल, डीएमआरसी तथा केआरसीएल)	शून्य	शून्य
मोहन तिवारी	प्रबंध निदेशक - पूर्णकालीन	1 (आईआरएसडीसी)	1	शून्य
के.के. गर्ग	निदेशक वित्त - पूर्णकालीन	2 (आईआरएसडीसी तथा सीसीएफबी)	1	2
दीपक सबलोक	निदेशक परियोजना- पूर्णकालीन	1 (आईआरएसडीसी)	शून्य	3
हितेश खन्ना	निदेशक कार्य - पूर्णकालीन	1 (इरकॉन आईएसएल)	शून्य	1
जी वी राव	स्वतंत्र निदेशक - अंशकालीन (गैर सरकारी)	शून्य	1	2
एस.एस.चटर्जी (16.09.2011 पू. से)	स्वतंत्र निदेशक - अंशकालीन (गैर सरकारी)	1 (आरवीएनएल)	1	2
बी.एम.शर्मा (19.09.2011 पू. से)	स्वतंत्र निदेशक - अंशकालीन (गैर सरकारी)	शून्य	1	1
डी.के.सराफ (17.02.2012 पू. से)	अंशकालीन (सरकारी)	1 (एमआरवीसी)	1	2

टिप्पणियाँ :

1. कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निदेशकों की अधिकतम सीमा संख्या पंद्रह (15) तक है।
2. अंतिम कॉलम में शामिल की गई समितियां हैं लेखापरीक्षा समिति, शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति, पारिश्रमिक समिति, धारणीय विकास समिति, शेयर जारी समिति तथा निवेश समिति।
3. निदेशकों की समिति सदस्यों की संख्या 10 की अधिकतम सीमा के भीतर है जिसमें 5 अध्यक्षता की अनुमेय सीमा भी शामिल है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखा परीक्षा समिति तथा शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति को ही गिना जाएगा।
4. इस रिपोर्ट में प्रयुक्त "पूर्णकालिक निदेशक" पद का आशय प्रकार्यात्मक/कार्यपालक निदेशकों से है जैसाकि सूचीकरण करार से अपेक्षित है।
5. इस रिपोर्ट में "अंशकालिक निदेशक" पद का आशय गैर-कार्यपालक निदेशकों से है जैसाकि सूचीकरण करार से अपेक्षित है।
6. 'सरकारी' शब्द अंशकालिक सरकारी नामित निदेशकों को दर्शाता है जिन्होंने सरकार में पदग्रहण किया हुआ है।
7. शब्द "गैर-सरकारी"स्वतंत्र उन अंशकालिक निदेशकों को दर्शाता है जो सरकार में पदधारक नहीं हैं।
8. पूर्णकालिक निदेशकों को उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को बैठक में भाग लेने की फीस हकदारी से अलग, जैसाकि इस रिपोर्ट के पैरा 4 मे दिया है, किसी भी निदेशक का कंपनी के साथ कोई भी अन्य भौतिक या आर्थिक संबंध नहीं है जिससे निर्णय की स्वतंत्रता प्रभावित होती हो।
9. संदर्भित कंपनियों के पूरे नाम :
   - क) एमआरवीसी - मुम्बई रेल विकास निगम लिमिटेड
   - ख) आरवीएनएल - रेल विकास निगम लिमिटेड
   - ग) डीएमआरसी - दिल्ली मेट्रो निगम लिमिटेड
   - घ) केआरसीएल - कोंकण रेल निगम लिमिटेड
   - ड.) सीसीएफबी - कंपनिया डोज कैमिनोज डी फेरो डा बेरा (सीसीएफबी) मोजांम्बिक में एक संयुक्त उद्यम कंपनी
   - च) इरकॉन आईएसएल - इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
   - छ) आईआरएसडीसी - भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लि., इरकॉन तथा रेल भूमि विकास प्राधिकरण के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है और इरकॉन की सहायक कंपनी है।

पदमुक्त हुए निदेशक
(वर्ष 2011-12 के दौरान तथा तत्पश्चात इस रिपोर्ट की तारीख तक)

निदेशक	पूर्णकालिक/ अंशकालिक सरकारी /अंशकालिक	सार्वजानिक कंपनियों के निदेशक मंडलों की सदस्यता (इरकॉन को छोड़कर)	सार्वजनिक कंपनियों के समिति सदस्यों की संख्या (इरकॉन सहित)	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
बी.एन.राजशेखर (25.10.2010 (पू) से 10.11.2011 (अ) तक पद पर रहे। अपर सदस्य (नियोजन) रेलवे बोर्ड के पद से पदमुक्त हुए)	अंशकालीन (सरकारी)	1 (एमआरवीसी)	1	2

3. निदेशकों के संबंध में प्रकटन :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 299 के अन्तर्गत निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटनों के अनुसार निदेशकों के मध्य आपस में कोई संबंध में नहीं होगा । केवल दो अंशकालीन (सरकारी) निदेशकों (अध्यक्ष सहित) में जो प्रशासनिक मंत्रालय यथा रेल मंत्रालय के अधिकारी होंगे और इस प्रकार प्रमोटरों से संबंधित हैं। चूंकि अंशकालीन निदेशकों सहित सभी निदेशकों की नियुक्त कंपनी के हाथ में नहीं है और यह कार्य सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से किया जाता है, इसलिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के खंड-255 से 257 के अनुसार निदेशक की नियुक्ति के लिए वार्षिक आम बैठक के नोटिस में मद को रखना सभंव नहीं है जो सामान्य बैठक में निदेशकों के 2/3 सदस्यों तक नियुक्ति के लिए कार्यविधि उपलब्ध कराता है। निदेशकों की नियुक्ति सरकार करती है और वह भी निर्धारित कार्यकाल के लिए जिसके कारण प्रत्येक वर्ष रोटेशन द्वारा किसी निदेशक की वास्तविक सेवानिवृत्ति की संभावना नहीं है और इस प्रक्रिया में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 255 से 257 लागू नहीं होती है। सरकार कंपनी की 100% प्रदत्त शेयर पूंजी पर अधिकार नहीं रखती है।

3.1 **अंशकालीन/ निदेशक के रुप में बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त कार्यवृत्त**

क. **श्री देव कुमार सराफ, अंशकालीन (सरकारी) निदेशक, इरकॉन**

(17.02.2012 से)

श्री डी.के.सराफ, अपर सदस्य (नियोजन), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.02.2012 को जारी राष्ट्रपति आदेशों के अनुसार 17.02.2012 से इरकॉन के अंशकालीन सरकारी निदेशक हैं।

श्री सराफ का जन्म 01.07.1953 को हुआ और इन्होंने बी.ई (मकैनिकल) तथा एमबीए की डिग्री प्राप्त की। ये भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियर्स सेवा (आईआरएसएमई) के अधिकारी हैं और इन्होंने 04.10.1976 को भारतीय रेल में अपना कार्यभार ग्रहण किया। इन्हें भारतीय रेल में विभिन्न पदों पर कार्य करने का 33 वर्ष का व्यापक अनुभव प्राप्त है। इन्होंने विख्यात संस्थानों जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश रेल इंजीनियरिंग लि., यूके, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सट्रिकेशन टैकनीक्स, नीदरलैंड तथा इंस्ट्टयूट ऑफ मेनेजमेंट, पैरिस, फ्रांस से प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

ख. **श्री ब्रिजमोहन महादेवप्रसाद शर्मा, स्वतंत्र निदेशक**

(19.09.2011से)

श्री बी.एम.शर्मा, अध्ययनकर्ता लागत लेखाकार, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के लागत लेखांकन मानक बोर्ड (सी.ए.एस.बी.) के सदस्य हैं और इस संस्थान के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं। इन्होंने रेल मंत्रालय द्वारा जारी 05.09.2011 के राष्ट्रपति आदेश के तहत 19.09.2011 को स्वतंत्र निदेशक (अंशकालीन-गैर सरकारी) के रूप में इरकॉन के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

इनका जन्म 01.04.1964 को हुआ और इन्होंने एम.कॉम, एफसीएमए (भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के फेलो सदस्य), एफआईपीए (जन लेखाकार संस्थान के फेलो सदस्य (आस्ट्रेलिया)), तथा एफसीएमएएसएल (इंस्ट्टीयूट ऑफ सर्टिफाइड मैनेजमेंट एकाउंटेंट्स और श्रीलंका के फेलो सदस्य) की योग्यता प्राप्त की है।

श्री शर्मा ने विभिन्न संगठनों, संस्थानों आदि में विभिन्न व्यावसायिक पदों पर कार्य किया है, जिसमें विभिन्न समितियों, विजिटिंग फैकल्टी आदि में निदेशक पद, अध्यक्ष पद, सदस्य पद शामिल हैं। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के परिषद सदस्य तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के रुप में श्री शर्मा ने भारत वर्ष तथा विदेश में व्यापक भ्रमण किया और लेखाकारों के अंतरराष्ट्रीय निकाय की विभिन्न समितियों और बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। इन्होंने केनवॉट ऑडिट, मूल्यांकन लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, सेवा कर में इनपुट कर क्रेडिट आदि पर दिशा-निर्देशों और प्रबंधन लेखांकन दिशा-निर्देशों से संबंधित विभिन्न व्यावसायिक विकास प्रकाशनों में व्यापक योगदान किया है।

ग) **प्रो0 (डॉ0) सुभ्रांशु शेखर चटर्जी, स्वतंत्र निदेशक**

(16.09.2011 से)

प्रो0 (डॉ0) एस.एस. चटर्जी, प्रमुख तथा डीन, फैकल्टी ऑफ लॉ, कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता, ने रेल मंत्रालय द्वारा जारी 05.09.2011 के राष्ट्रपति आदेशों के अनुसार 16.09.2011 को स्वतंत्र निदेशक के रुप में इरकॉन के निदेशक मंडल में अपना कार्यभार ग्रहण किया। ये 13.05.2011 से रेल विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक भी हैं।

प्रो0 (डॉ0) चटर्जी का जन्म 15.05.1955 को हुआ और इन्होंने एलएल.एम तथा लॉ में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने वाराणसी बार एसोसिएशन में एडवोकेट के रुप में अपना कैरियर आरंभ किया। फैकल्टी ऑफ लॉ के प्रमुख तथा डीन होने के अतिरिक्त ये कोलकाता विश्वविद्यालय में सेनेट तथा सिंडिकेट के सदस्य भी हैं। ये पिछले 23 वर्षो से कोलकाता विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। इन्होंने राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में वक्तव्य देने, विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा लॉ कॉलेजों में कार्यशालाएं आयोजित करने तथा लॉ में पीएचडी करने के अतिरिक्त विधि संबंधी विभिन्न विषयों पर पुस्तकें तथा लेख लिखे/प्रकाशित किए हैं। इन्हें इनके उत्कृष्ट शैक्षिक निष्पादन के लिए 2007 में इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसायटी, नई दिल्ली द्वारा "शिक्षा रत्न पुरस्कार" से सम्मानित किया गया था। इन्हें हिन्दू प्रकाशन हाऊस, नई दिल्ली द्वारा 2008 में भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक का पुरस्कार भी प्रदान किया गया था।

4. **निदेशकों का पारिश्रमिक**

सरकारी कंपनी होने के कारण पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और सरकार द्वारा पूर्व-निर्धारित औद्योगिक मंहगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमानों तथा सरकार द्वारा जारी की गई उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उन्हें पारिश्रमिक मिलता है।

निदेशक मंडल के अंशकालीन अध्यक्ष सहित अंशकालिक सरकारी नामितियों को निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है बल्कि उन्हें सरकारी अधिकारियों के रूप में सरकार से केन्द्रीय मंहगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमानों के अधीन पारिश्रमिक मिलता है।

शेयरधारकों ने दिनांक 26 सितम्बर, 2007 को आयोजित 31वीं वार्षिक आम सभा में निदेशक मंडल को कम्पनी (केन्द्र सरकार) के सामान्य नियमों तथा फार्मों के नियम 10 बी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर सिटिंग शुल्क के रुप में अंशकालीन (गैर-सरकारी) स्वतंत्र निदेशकों के देय वेतन का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत किया। इस प्राधिकार का अनुसरण करते हुए निदेशक मंडल ने 26 अक्तूबर, 2007 को आयोजित अपनी 174वीं बैठक में निदेशक मंडल तथा उनकी किसी समिति की प्रत्येक बैठक के लिए 10,000 रुपए का सिटिंग शुल्क निर्धारित किया है।

4.1 2011-12 के लिए पूर्णकालीन निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज पर प्रकटन :

(₹ में)

क्र सं0	निदेशकों के नाम	वेतन एवं भत्ते	अन्य लाभ एवं पर्क	कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन*	सेवानिवृत्ति लाभ	बोनस/ कमीशन/ अनुग्रह राशि	वर्ष के दौरान स्टॉक ऑप्शन	कुल
1	श्री मोहन तिवारी, प्रबंध निदेशक (2011-12 में वर्ष भर)	20,99,901	6,16,803	19,76,880	1,89,787	-	-	48,83,371
2	श्री के.के. गर्ग, निदेशक वित्त (2011-12 में वर्ष भर)	19,70,702	3,89,128	5,55,000	1,69,845	-	-	30,84,675
3	श्री दीपक सबलोक निदेशक परियोजना (2011-12 में वर्ष भर)	18,60,661	2,87,454	-	1,67,519	-	-	23,15,634
4	श्री हितेश खन्ना, निदेशक कार्य (2011-12 में वर्ष भर)	18,01,285	3,75,744	5,89,652	1,64,854	-	-	29,31,535

*वर्ष 2009-10 से संबंधित

4.2 वर्ष 2011-12 के दौरान स्वतंत्र निदेशक/अंशकालीन (गैर सरकारी) निदेशकों को किए गए भुगतान का ब्यौरा :

(₹ में)

क्र सं0	स्वतंत्र निदेशक/अंशकालीन (गैर सरकारी) निदेशकों के नाम	बैठक शुल्क		कुल
		बोर्ड की बैठक	समिति की बैठक	
1	डॉ. जी. वी. राव (2011-12 में वर्ष भर)	50,000	50,000	1,00,000
2	प्रा. (डॉ.) एस. एस. चटर्जी (16.09.2011 से)	20,000	20,000	40,000
3	श्री बी. एम. शर्मा (19.09.2011 से)	20,000	20,000	40,000

5. **बोर्ड प्रक्रिया**

5.1 **निदेशक मंडल चार्टर**

क) कंपनी में निदेशक मंडल से स्वीकृत औपचारिक बोर्ड चार्टर तथा निगमित शासन उद्देश्य तथा दृष्टिकोण तथा निदेशक मंडल (पूर्णकालीन निदेशको, स्वतंत्र निदेशकों, सरकारी निदेशकों सहित) तथा प्रबंधन (वरिष्ठ प्रबंधन) की भूमिका तथा उत्तरदायित्व विद्यमान हैं।

ख) यह निदेशक मंडल चार्टर अनिवार्य रुप से निगमित शासन उद्देश्यों तथा दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल की कंपोजिशन व संरचना और भूमिका तथा उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है।

ग) अंशकालीन अध्यक्ष सहित अंशकालीन निदेशकों को अपने उत्तरदायित्वों के निर्वाहन को सुलभ बनाने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में स्वतंत्र कार्यलय स्थल निर्धारित किया गया है।

5.2 **वर्ष 2011-12 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें और उपस्थिति :**

क) वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान निदेशक मंडल ने 10 मई 2011, 28 जून 2011, 10 अगस्त, 2011, 07 नवंबर, 2011 तथा 06 फरवरी 2012 को 5 बैठकों में भाग लिया।

ख) कंम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 283 (1) (छ) के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई थी।

ग) वर्ष 2011-12 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्न प्रकार है :-

निदेशक	2011-12 में मंडल की बैठकों की संख्या		अंतिम वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थिति
	आयोजित (उनके कार्याकाल के दौरान)	उपस्थितियां	
ए. पी. मिश्रा	5	5	हां
मोहन तिवारी	5	5	हां
के.के. गर्ग	5	5	हां
दीपक सबलोक	5	4	हां
हितेश खन्ना	5	5	हां
जी. वी. राव	5	5	हां
एस. एस. चटर्जी	2	2	हां
बी. एम. शर्मा	2	2	नहीं
बी. एन. राजशेखर	4	2	हां
डी. के. सराफ	शून्य	शून्य	लागू नहीं

सुश्री ललिता गुप्ता, कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि) ने 2011-12 में आयोजित पांच में से चार बोर्ड बैठकों में भाग लिया। वे नवंबर, 2011 की बैठक में भाग नहीं ले पाईं और सहायक कंपनी सचिव ने इस बैठक में भाग लिया।

6. कम्पनी के बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तथा सम्पूर्ण संगठन के लिए आधारभूत मूल्य

कम्पनी में निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन (पूर्णकालिक निदेशकों, अपर महाप्रबंधक व ऊपर के अधिकारी तथा परियोजनाओं/विभागों के प्रमुखों) के लिए आचार संहित तथा कम्पनी के लिए समग्र रूप से आधारभूत मूल्य विद्यमान हैं । ये संहिता 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी होगी तथा इन्हें वेबसाइट www.ircon.org में भी शामिल किया गया है। वर्ष 2011-12 के दौरान निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल के सदस्यों द्वारा आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले प्रबंध निदेशक द्वारा हस्तक्षरित घोषणा **संलग्नक सी-1** पर उपलब्ध है।

7. लेखापरीक्षा समिति

7.1 संदर्भ शर्तें

निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा समिति के लिए संदर्भ शर्तों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं :-

1. कम्पनी की वित्तीय सूचना की प्रक्रिया और प्रकटन का पर्यवेक्षण करके लेखों की परिशुद्धता, पर्याप्तता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना है।
2. निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण को स्वीकृति दिए जाने से पूर्व प्रबंधन के साथ समीक्षा करना। विशेष रूप से-
   - क) लेखांकन नीतियों तथा पद्धतियों में परिवर्तन व इसके कारण।
   - ख) वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन।
   - ग) लेखांकन मानकों तथा निदेशक की रिपोर्ट के प्रकटीकरण के अनुपालन से संबंधित मुद्दे।
   - घ) संबंधित पक्षों के संव्यवहार।
   - ङ) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्यता आदि।

3) निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किए जाने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा।

4) प्रचालनों की वित्तीय स्थिति तथा परिणामों पर प्रबंधन द्वारा चर्चा व विश्लेषण।

5) बाहरी व आंतरिक, दोनों लेखापरीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण विषयों व कार्य के क्षेत्रों पर चर्चा।

6) सांविधिक तथा आन्तरिक लेखापरीक्षकों के कार्यनिष्पादन, आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना तथा कार्यकरण सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा आंतरिक लेखपरीक्षा रिपोर्टों के संबंध में प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

7) सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, प्रतिस्थापन, आदि तथा लेखापरीक्षकों द्वारा किन्हीं अन्य अनुमेय सेवाओं के लिए शुल्क की स्वीकृति सहित उनके लेखापरीक्षा शुल्क की सिफारिशों की समीक्षा करना।

8) आन्तरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक की समीक्षा।

9) जोखिम आकलन तथा जोखिम कम करने, आदि के संबंध में जोखिम नीति और उसके कार्यान्वयन की समीक्षा।

लेखापरीक्षा समिति ने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति के लिए वर्ष 2011-12 के वार्षिक लेखों पर सिफारिश करने से पूर्व वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणों, प्रबंध निदेशक तथा निदेशक वित्त द्वारा देय अनुपालन की घोषणा, लेखापरीक्षकों, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की भूमिका आदि सहित उक्त संदर्भ शर्तों के अनुसार मुद्दों की समीक्ष की थी। लेखापरीक्षा समिति ने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों तथा कार्यनिष्पादन की भी समीक्षा की थी।

7.2 लेखापरीक्षा समिति - वर्ष 2011-12 के दौरान गठन व उपस्थिति :

सूचीकरण करार के खंड 49 और मिनीरत्न की शर्तों के अनुसार और निदेशक मंडल के अनुमोदन से लेखापरीक्षा समिति का गठन मूलतः 28.4.2000 को कर दिया गया था जिसमें कम्पनी के चार अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक सम्मिलित हैं। जब कभी स्वतंत्र निदेशकों में परिवर्तन होता है तो इनकी पुनर्स्थापना की जाती है।

लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन अंतिम बार अक्टूबर 2011 में सभी शासित नियमों के पूर्ण अनुपालन में तीन स्वतंत्र निदेशकों के साथ हुआ थाः

श्री बी.एम.शर्मा, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष

प्रो (डॉ) एस.एस.चटर्जी, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

डॉ जी.वी.राव, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 10 मई, 2011, 10 अगस्त, 2011, 07 नवम्बर, 2011, 06 फरवरी, 2012 को लेखा परीक्षा समिति की 4 बैठकें आयोजित हुईं।

उपस्थिति विवरण निम्न प्रकार हैः-

सदस्य	पद	आयोजित बैंठकें (इनके कार्यकाल के दौरान)	बैठकें जिनमें भाग लिया
श्री बी.एम.शर्मा	अध्यक्ष (20.10.2011 से)	2	2
एस.एस.चटर्जी	सदस्य (20.10.2011 से)	2	2
जी.वी. राव	अध्यक्ष (19.10.20111 तक) और सदस्य (20.10.2011 से)	4	4
बी.एन. राजशेखर	सदस्य (19.10.2011 तक)	2	1
मोहन तिवारी	सदस्य (19.10.2011 तक)	2	2

सुश्री ललिता गुप्ता, कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि) समिति की सचिव हैं और इन्होंने वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजित चार में से तीन बैठकों में भाग लिया। नवंबर 2011 को आयोजित बैठक में यह भाग नहीं लें पाईं और इनके स्थान पर सहायक कंपनी सचिव ने बैठक में भाग लिया।

8. शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति

कम्पनी ने 6 जून 2001 को निदेशकों की एक शेयरधारक/निदेशक शिकायत समिति का गठन किया है। निदेशकों के पदों में परिवर्तन के कारण समिति का पुनर्गठन समय-समय पर किया जाता है। समिति की वर्तमान संरचना इस प्रकार है :-

श्री डी.के.सराफ, अंशकालीन सरकारी निदेशक - अध्यक्ष

श्री के.के. गर्ग, निदेशक वित्त - सदस्य

श्री दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना - सदस्य

सुश्री ललिता गुप्ता, कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि) अनुपालन अधिकारी हैं। अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथा हस्तांतरण के लिए कोई शेयर लंबित नहीं है। एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि"शेयरों के हस्तांतरण, तुलन पत्र के प्राप्त न होने, घोषित लाभांश के प्राप्त न होने के संबंध में कोई निवेशक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है", को इस समिति के सभी सदस्यों को परिपत्रित किया गया है।

9. अन्य समितियां

9.1 पारिश्रमिक समिति

वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय-पे पूल तथा कार्यपालकों व गैर यूनियनीकृत पर्यवेक्षकों में इसके वितरण के लिए नीति का निर्धारण करने हेतु निर्धारित समय-सीमा के भीतर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशा-निर्देशों के खंड-5.1 का अनुसरण करते हुए पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है। इसमें एक स्वतंत्र निदेशक (समिति के अध्यक्ष) तथा सदस्य के रुप में दो अंशकालीन (सरकारी) निदेशक हैं। पिछली कर समिति का पुर्नगठन मार्च 2012 में निम्नानुसार किया गया था:

श्री जी.वी. राव, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
श्री बी. एम. शर्मा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
श्री डी. के. सराफ, अंशकालीन सरकारी निदेशक - सदस्य

समिति की एक बैठक 7 नवम्बर, 2011 को आयोजित की गई थीं।

सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

सदस्य	पद	आयोजित बैठकें	बैठकों में भाग लिया
श्री जी.वी.राव	अध्यक्ष	1	1
श्री ए.पी. मिश्रा	सदस्य	1	1
श्री बी.एन. राजशेखर	सदस्य	1	1

कम्पनी सचिव सुश्री ललिता गुप्ता एवं महाप्रबंधक (विधि) पारिश्रमिक समिति की सचिव हैं और वे इस बैठक में शामिल नहीं हो पाईं व उनके स्थान पर सहायक कम्पनी सचिव ने बैठक में भाग लिया।

9.2 धारणीय विकास समिति

धारणीय विकास योजना को स्वीकृति प्रदान करने तथा धारणीय विकास निष्पादन की निगरानी करने के लिए डीपीई धारणीय विकास दिशानिर्देशों के पैरा 3.3 के अनुसरण में धारणीय विकास समिति का गठन किया गया है। समिति का गठन नवंबर 2011 में निम्नानुसार किया गया था:

प्रो(डॉ) एस.एस.चटर्जी, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
श्री दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना - सदस्य
श्री हितेश खन्ना, निदेशक कार्य - सदस्य

धारणीय विकास योजना की समीक्षा करने तथा इसे सुचारु बनाने के लिए समिति की बैठक का आयोजन 24 जुलाई 2012 को किया गया था, जिसमें समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया। कम्पनी सचिव सुश्री ललिता गुप्ता एवं महाप्रबंधक (विधि) धारणीय विकास समिति की सचिव हैं और उन्होंने इस बैठक में भाग लिया।

9.3 शेयर इश्यू समिति

कंपनी ने शेयर प्रमाणपत्र जारी करने आदि को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कंपनी (शेयर प्रमाणपत्र जारी करना) नियम, 1956 के अनुसार शेयर इश्यू समिति का गठन किया है। पिछली बार समिति का पुनर्गठन मार्च 2012 में निम्नानुसार किया गया था:

श्री के.के. गर्ग, निदेशक वित्त - अध्यक्ष
श्री जी.वी. राव, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
श्री डी.के.सराफ, अंशकालीन सरकारी निदेशक - सदस्य

कम्पनी सचिव सुश्री ललिता गुप्ता एवं महाप्रबंधक (विधि) शेयर इश्यू समिति की सचिव हैं । वर्ष 2011-12 के दौरान समिति की बैठक की आवश्यकता नहीं थी।

9.4 निवेशक समिति

आवश्यकता होने पर कंपनी की अतिरिक्त निधियों के निवेश के लिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292 के अनुसरण में निवेशक समिति का गठन किया गया था। पिछली बार कंपनी का पुनर्गठन निम्नानुसार नवंबर 2010 को किया गया था:

श्री मोहन तिवारी, प्रबंध निदेशक - अध्यक्ष
श्री के.के.गर्ग, निदेशक वित्त - सदस्य
श्री दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना - सदस्य

वर्ष 2011-12 के दौरान समिति की 10 मई 2011, 21 अक्टूबर 2011 तथा 25 जनवरी 2012 तीन बैठकें आयोजित की गईं । सदस्यो की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :

सदस्य	पद	आयोजित बैठकें	बैठकों में भाग लिया
मोहन तिवारी	अध्यक्ष	3	3
के. के. गर्ग	सदस्य	3	3
दीपक सबलोक	सदस्य	3	1

कम्पनी सचिव सुश्री ललिता गुप्ता एवं महाप्रबंधक (विधि) निवेश समिति की सचिव हैं और उन्होंने वर्ष 2011-12 में सभी बैठकों में भाग लिया।

10. सहायक कंपनी (कंपनियों) से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन

इरकॉन इंटरनेशनल एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) इरकॉन की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है। भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) इरकॉन की सहायक कंपनी है और यह इरकॉन और रेल भूमि विकास निगम लि. के बीच एक संयुक्त उद्यम भी है, जिसमें इरकॉन की इक्विटी 51 प्रतिशत है। इरकॉन आईएसएल तथा आईआरएसडीसी सूचीबद्ध कंपनियां नहीं हैं।

वर्ष 2010-11 या 2011-12 के दौरान इरकॉन आईएसएल का टर्नओवर/नेट वर्थ इरकॉन (धारक कंपनी)के टर्नओवर या नेटवर्थ के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसलिए, इरकॉन आईएसएल ना तो सूचीकरण करार के अंतर्गत "सामग्रीगत सहायक कंपनी "है और ना ही डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के अनुसार सहायक कंपनी ही है। आईआरएसडीसी का गठन वर्ष 2011-12 की समाप्ति के बाद ही किया गया था। इरकॉन आईएसएल तथा आइआरएसडीसी, दोनों कंपनियों की बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त तथा अन्य महत्वपूर्ण संव्यवहार तथा व्यवस्थाओं/निष्पादनों को इरकॉन के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

11. वार्षिक आम बैठक

वित्त वर्ष	वार्षिक बैठक की तारीख	समय	स्थान
2010-2011	20 सितम्बर 2011	12.30 बजे अपराह्न	कपंनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
2009-2010	22 सितम्बर 2010	5 बजे अपराह्न	कपंनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
2008-2009	4 सितम्बर 2009	5 बजे अपराह्न	कपंनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली

11.1 आयोजित की गई अंतिम 3(तीन) वार्षिक आम बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

11.2 पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (2008-09 से 2010-11 तक)में कोई विशेष संकल्प अपेक्षित या पारित नहीं किया गया है। तथापि, दिल्ली तथा मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज से इरकॉन के इक्विटी शेयरों के विसूचीकरण के प्रस्ताव के लिए तथा संवीक्षा रिपोर्ट के आधार पर 22 सितंबर 2010 की वार्षिक आम बैठक में यह घोषणा के आधार पर वर्ष 2010-11 के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से एक विशेष संकल्प पारित किया गया था।

पोस्टल बैलेट के मतदान के पैटर्न से संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है :

विवरण	पोस्टल बैलेट फार्मों की संख्या	वोटों की संख्या (इक्विटी शेयर)	मान्य वोटों का प्रतिशत
प्राप्त मान्य पोस्टल बैलेट फार्मों की संख्या	12	9897800	100
संकल्प के पक्ष में वोट	12	9897800	100
संकल्प के विरोध में वोट	शून्य	शून्य	0
प्राप्त मान्य पोस्टल बैलेट फॉर्मों की संख्या	शून्य	शून्य	0

11.3. कंपनी ने मैसर्स एम. बांगिया एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव के पूर्णकालीन सेवारत कंपनी सचिव श्री मनोज बांगिया को पोस्टल बैलेट के उद्देश्य से संवीक्षक नियुक्त किया था।

11.4 आगामी वार्षिक आम बैठक में पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित करने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि 15 मार्च 2012 से इरकॉन एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तथापि, अपने शेयरों के बाय-बैक, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पदनाम, तथा अनावश्यक प्रावधानों को हटाने के लिए प्रावधान करने के लिए एक विशेष संकल्प के माध्यम से इरकॉन के अनुच्छेदों में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

12. प्रकटन

12.1 ऐसे भौतिक प्रकृति के संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं थे, जिसका कम्पनी के हित में संभाव्य विरोध था।

12.2. कम्पनी ने वित्तीय विवरणों को तैयार करके इंस्टीट्यूट ऑफ एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुसरण किया है। लेखांकन मानकों से विपथन को "अनुपालन" शीर्ष के भाग के रूप में नोट सं 40(ग) तथा 41 में दिए गए स्व-व्याख्यात्मक नोट में स्पष्ट किया गया है।

12.3 कंपनी के व्यवसाय उद्देश्यों से इतर लेखों की बहियों में व्यय की किसी भी मद को नामे नहीं किया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन एवं पर्क (इस रिपोर्ट के पैरा 4 में दिए गए विवरण तथा वित्तीय विवरणों के भाग के रुप में नोट सं 37 में भी प्रकटित) के अनुसार पारिश्रमिक को छोड़कर निदेशकों तथा शीर्ष प्रबंधन के व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है।

12.4 कुल व्यय के प्रतिशत के रुप में प्रशासनिक एवं कार्यालयी व्ययों का ब्यौरा तथा वृद्धि के कारणों को नीचे दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	टिप्पणियां
प्रशासनिक तथा अन्य व्यय	27.04	**26.21**	
बैंक तथा अन्य वित्तीय प्रभार	8.34	**6.51**	
कुल व्यय	2852.90	**3179.78**	
प्रशासनिक व्यय/कुल व्यय(प्रतिशत में)	0.95	**0.82**	पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष व्यय में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
बैंक तथा वित्तीय प्रभार/कुल व्यय (प्रतिशत में)	0.29	**0.20**	

12.5 कम्पनी हर तिमाही में बोर्ड को जोखिम भरे क्षेत्रों में उनकी परियोजनाओं तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन से संबंधित जोखिमों के संबंध में सूचित करती है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित ब्यौरा "जोखिम तथा चिंता" शीर्ष के अंतर्गत प्रबंधन विचारविमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है।

12.6 कंपनी में निदेशक मंडल की स्वीकृति से जालसाजी निवारण, इसका पता लगाने तथा नियंत्रण की नीति विद्यमान है ताकि जालसाजी का पता लगाया जा सके तथा निवारण के लिए एक नीति उपलब्ध कराई जा सके और पता लगाए गए या आशंकित किसी मामले की रिपोर्टिंग की जा सके और जालसाजी से संबंधित मामलों से निपटा जा सके।

12.7 कंपनी में निदेशक मंडल की स्वीकृति वाली विसल ब्लोवर नीति विद्यमान है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों के लिए ऐसा तंत्र विद्यमान है जिसके द्वारा वे अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या आशंकित जालसाजी, कंपनी की आचार संहिता या नैतिक नीति के उल्लंघन से संबंधित मामलों को प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इस नीति में उन कर्मचारियों के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान विद्यमान हैं, जिन्होंने इस तंत्र को अपनाया है। इसमें आपवादिक मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधे संपर्क का भी प्रावधान है।

12.8 किसी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति से मिलने से इनकार किए जाने का कोई प्रश्न सामने नहीं आया है।

12.9 कंपनी ने वर्ष 2011-12 के दौरान ना तो शेयरों का कोई पब्लिक इश्यू जारी किया है और ना ही कोई प्रोसिक्यूट्स या प्रस्ताव पत्र ही जारी किया है।

12.10 किसी सांविधिक विनियम या सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की कोई घटना नहीं हुई है और पूंजी बाजार से संबंधित किसी मुद्दे पर कंपनी पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।

12.11 डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के स्व-मूल्यांकन के अनुसरण में इरकॉन ने वर्ष 2011-12 के लिए 100 में से 95 का वार्षिक अंक तथा उत्कृष्टता ग्रेड प्राप्त किया है।

13. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

प्रबंध निदेशक तथा निदेशक वित्त ने वित्तीय विवरणों की सत्यता तथा सटीकता, देय अनुपालनों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग, जिसे निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, के संबंध में लिखित रुप में प्रमाणित किया है। (इस रिपोर्ट के अनुबंध ग-2 पर संलग्न है)

14. शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

14.1 स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों का डी-लिंकिंग

इरकॉन 15.03.2012 से एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। कंपनी ने सितंबर 2011 तक सूचीकरण करार की अपेक्षाओं का अनुपालन किया था। चूंकि कंपनी 03.11.2011 से बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएससी) से डी-लिस्ट हो गई है, इसलिए दिनांक 04.11.2011 के दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के ई-मेल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता है, हालांकि डीएसई ने उनकी ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात ही इरकॉन को 15.03.2012 को वास्तव में डी-लिस्ट किया था।

14.2 सम्प्रेषण के माध्यम

क) वार्षिक आम बैठक से पूर्व शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट आदि भेजने के अतिक्ति, लक्ष्यों की तुलना में वित्तीय निष्पादनों सहित कंपनी की परियोजनाओं की प्रगति पर आवधिक रिपोर्ट को प्रशासनिक मंत्रालय भारत सरकार को भेजा जाता है।

ख) 2011-12 की प्रथम तिमाही के परिणामों को इंडियन एक्सप्रेस तथा फाइनांशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) तथा जनसत्ता (हिन्दी)में प्रकाशित किया गया था और इरकॉन के इक्विटी शेयरों के डीलिस्टिंग तक वेबसाईट पर भी रखा गया था। वर्ष 2010-11 के लिए लेखापरीक्षित

वार्षिक लेखों सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

ग) निम्नलिखित को कंपनी की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया है:

'i) कंपनी की शेयरधारिता का पैटर्न।

ii) महत्वपूर्ण निगमित शासन नीतियां जैसे धोखाधड़ी निवारण, परिचयन तथा नियंत्रण नीति तथा विसल ब्लोवर नीति।

iii) निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता।

घ) अनुपालन अधिकारी का ई-मेल आई डी वेबसाइट में "इन्वेस्टर कार्नर" शीर्षक के अन्तर्गत दिया गया है, जिसे विशिष्ट रूप से निवेशकों को अपनी शिकायतें पंजीकृत करने के लिए बनाया गया है ताकि निवेशकों में जागरूकता लाई जा सके।

14.3 चालू वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक

तारीख : 25 सितम्बर, 2012

समय : शाम 5.00 बजे

स्थान : कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का सम्मेलन कक्ष :
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110007

14.4 बही बंद करने की तारीखें

सदस्यों का रजिस्टर तथा स्थानांतरण बही 24.09.2012 तथा 25.09.2012 को बंद रहेंगी।

14.5 स्टॉक कूट् (कोड)

इरकॉन के इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट किए जाने से पूर्व कंपनी का स्टॉक कोड निम्न प्रकार था:

शेयर बाजार	स्टॉक कूट
बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	523596
दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	09048

14.6 शेयरधारण का वितरण (इस रिपोर्ट की तारीख को)

वर्ग	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति व सरकारी नामितों के नाम पर केन्द्र सरकार को	98,71,200	99.729%
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	24,400	0.247%
बैंक ऑफ इंडिया	2,400	0.024%
कुल	**98,98,000**	**100.000%**

पदधारियों को बदले जाने के परिणामस्वरूप किसी सरकारी नामिती शेयरधारक से दूसरे शेयरधारकों को शेयरों का अंतरण करना सामान्यतः एक तकनीकी कार्य है क्योंकि 99.729% शेयर सरकार के होते हैं। इन शेयरों का अंतरण करने के लिए कंपनी सचिव एक प्राधिकृत अधिकारी है और कोई अंतरण बाकी नहीं हैं।

14.7 संयंत्र अवस्थिति / प्रचालनिक इकाइयां

कम्पनी के पास संयंत्र स्थल नहीं है किन्तु देश के 11 से अधिक राज्यों तथा 5 देशों में इनकी प्रचालनिक इकाइयां नियंत्रण में हैं। इन इकाइयों की सूची कम्पनी की वेबसाइट www.ircon.org पर उपलब्ध है।

14.8 <u>पंजीकृत कार्यालय (इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल निगमित शासन मामलों के संबंध में) के साथ पत्राचार का पता निम्न है :</u>

कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि),
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर
साकेत, नई दिल्ली-110017
टेलीफोन : 91-11-26545265/26530456
फैक्स : 91-11-26522000/26854000
ई-मेल : lalitha.gupta@ircon.org
वेबसाइट : www.ircon.org

15. **निदेशक मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षण**

कंपनी की यह नियमित प्रथा है कि नए बोर्ड सदस्यों को उनकी नियुक्ति के पश्चात निदेशक मंडल की पहली बैठक में और कंपनी के वार्षिक लेखों पर विचार करते समय आवधिक रुप से प्रत्येक वर्ष कंपनी के संबंध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से आरंभिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उन्हें अभिलेख भी प्रदान किए जाते हैं जिनमें शामिल हैं, ब्रॉशर, वार्षिक रिपोर्ट, अद्यतन अलेखापरीक्षित परिणाम, समझौता ज्ञापन, लक्ष्यों और उपलब्धियों सहित निगमित योजना, ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद तथा निगमित शासन पर प्रायोगिक पुस्तिका, निदेशकों के अधिकार, भूमिका और उत्तरदायित्व। वर्ष 2011-12 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को स्कोप द्वारा आयोजित 2-3 दिनों के प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया था।

16. **कार्पोरेट शासन का अनुपालन**

यह रिपोर्ट वर्ष 2011-12 के लिए कार्पोरेट शासन रिपोर्ट में उजागर किए गए आंकड़ों के सबंध में विधिक अपेक्षाओं का विधिक पालन करती है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र **इस रिपोर्ट के संलग्नक सी-3 पर उपलब्ध है।**

के. के. गर्ग
निदेशक वित्त

मोहन तिवारी
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2012

* वार्षिक आम बैठक की तारीख में 07-09-2012 से 13-09-2012 और तत्पश्चात 25-09-2012 परिवर्तन होने के कारण निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 25-07-2012 तथा तत्पश्चात निदेशक मंडल के दिनांक 05-09-2012 तथा 11-09-2012 के नोट के तहत संशोधन द्वारा स्वीकृत निगमित शासन रिपोर्ट।

संलग्नक "सी 1"

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रबन्ध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं, मोहन तिवारी, प्रबन्ध निदेशक, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबन्धन दल द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन की अभिपुष्टि की गई है।

मोहन तिवारी
प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.07.2012

संलग्नक "सी 2"

प्रबन्ध निदेशक तथा वित्त प्रमुख प्रमाणन

हमने वर्ष 2011-12 के लिए वित्तीय विवरणों एवं रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ की है:-

1. इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक तथ्य को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।

2. ये विवरण समग्र रूप में कम्पनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा नियमनों के अनुपालन में है।

3. हमारी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लघंन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।

4. हम आतंरिक नियत्रंण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उतरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कम्पनी में एक कुशल आंतरिक नियत्रंण प्रणाली तैयार की है। हमने आतंरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के सबंध में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

5. हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति के साथ इन विषयों पर विचार विमर्श किया:

   (क) वर्ष के दौरान आंतरिक नियंत्रण पर महत्वपूर्ण परिवर्तन/संभावित परिवर्तनः

   (ख) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में भी प्रकट किया गया है।

(6) हमारी जानकारी में किसी बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया है और ना ही कम्पनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबन्धन या कर्मचारी के बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

के. के. गर्ग निदेशक वित्त	**मोहन तिवारी** प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25.07.2012

संलग्नक "सी 3"

एम. बांगिया एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

टेली : 91-11-4162 5462
मोबाइल : 98734-26246
ई-मेल : m_bangia@hotmail.com
बी-152, दयानन्द कालोनी, लाजपत नगर-IV
नई दिल्ली-110 024

डीपीई के निगमित शासन दिशानिर्देशों सूचीकरण करार के खंड 49 के अंतर्गत कार्पोरेट शासन की शर्तों सहित अनुपालन संबंधित प्रमाणपत्र

सेवा में,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्य,
नई दिल्ली

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी द्वारा 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कार्पोरेट शासन पर दिशा-निर्देशों द्वारा यथा अपेक्षित तथा दिल्ली तथा मुम्बई शेयर बाजारों के साथ उक्त कंपनी के सूचीकरण करार के खण्ड 49 में निर्धारितानुसार 03 नवम्बर, 2011 से बीएसई और 15 मार्च, 2012 से बीएसई से अपने शेयरों के डि-लिस्टिंग के प्रभावी होने से पूर्व कंपनी द्वारा अनुपालन करना अपेक्षित है कि :

हमने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत उक्त कंपनी के कार्पोरेट शासन की रिर्पोट का अध्ययन किया है। हमने कंपनी द्वारा बनाए गए तथा इस संबध में हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए संगत रिकार्डों एवं दस्तावेजों की भी जांच की है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रिया विधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हम स्पष्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी के विरूद्ध निवेशक संबंधी कोई शिकायत नहीं है, जैसाकि कंपनी द्वारा तैयार किए गए रिकार्डों से पता चलता है।

इसके अतिरिक्त हम स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन के संबंध में दक्षता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते है कि कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कार्पोरेट शासन पर दिशा-निर्देशों द्वारा यथा अपेक्षित तथा दिल्ली तथा मुम्बई शेयर बाजारों के साथ उक्त कंपनी के सूचीकरण करार के खण्ड 49 में निर्धारितानुसार 03 नवम्बर, 2011 से बीएसई और 15 मार्च, 2012 से बीएसई से अपने शेयरों के डि-लिस्टिंग के प्रभावी होने से पूर्व कंपनी द्वारा अनुपालन करने के लिए अपेक्षित अनुसार सभी दृष्टिकोणों से निगमित शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

कृते एम. बांगिया एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

मनोज बांगिया
प्रोप्राइटर
सीपी सं0-3655

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 25 जुलाई, 2012

पुरस्कार और प्रमाणपत्र		
संस्थान/प्राधिकरण से	**पुरस्कार की प्रकृति**	**वर्ष**
वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग	राष्ट्रीय निर्यात पुरस्कार *(भारत के माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त किया गया) ''उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार'' अग्रणीय कम्पनी अंतरराष्ट्रीय रेल एवं सड़क निर्माण कंपनी के रुप में निष्पादन हेतु	1983, 1984 1991 तथा 1993* 1988
ईईपीसी इंडिया पूर्व में इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) के नाम से प्रसिद्ध (प्रारम्भ से कुल 23 पुरस्कार)	1. निर्यात में उत्कृष्टता के लिए अखिल भारतीय सर्वोच्च निर्यातक शील्ड	1986 से 1993 1995 तथा 1996
	2. क्षेत्रीय सर्वोच्च निर्यातक शील्ड - सिविल इंजीनियरी संविदाकर्ता	1994, 1997
	3. निर्यात के क्षेत्र में अखिल भारतीय विशेष शील्ड	1997
	4. अधिकतम निर्यातों के लिए अखिल भारतीय ट्राफी (टर्नकी औद्योगिक परियोाना निर्यातक गैर-एसएसआई)	1998
	5. 'शीर्ष निर्यातकों' की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्यातक के लिए अखिल भारतीय शील्ड	1999 से 2002 2004 व 2007
	6. परियोजना निर्यात के क्षेत्र में बड़े उद्यमी के रुप में उत्कृष्ट निष्पादक के लिए अखिल भारतीय शील्ड	2005
	7. इंजीनियरिंग निर्यात में उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्यम स्तर के उद्यमों में सर्वश्रेष्ठ निर्यातकों के लिए रात ट्रॉफी	2006
	8. ''मर्चेंट निर्यातकों के रुप में शीर्ष निर्यातकों'' की श्रेणी में शीर्ष निर्यातकों के लिए स्वर्ण ट्रॉफी	2008
	9. अखिल भारतीय निर्यातक पुरस्कार	2009
	10. वर्ष 2010-11 के लिए शीर्ष निर्यातक की श्रेणी में रजत ट्राफी।	2011
भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद् (पीईपीसी) (पूर्वतः भारतीय समुद्रपार निर्यात परिषद्) (ओसीसीआई) के नाम से प्रसिद्ध (प्रारम्भ से कुल 45 पुरस्कार)	1. विदेशों में निर्माण ठेकों में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन	1985, 1989 से 1993, 1995, 1997, 2000, 2002 तथा 2004
	2. विदेशों में निर्माण ठेकों से द्वितीय सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन	1994, 2001, 2003 और 2005
	3. विदेशों में निर्माण परियोजनाओं से सर्वाधिक टर्नओवर	1985 से 1989, 1992 से 1994, 1996, 1999, 2001 और 2002
	4. विदेशी परियोजनाओं से लाभ अर्जन में द्वितीय सर्वश्रेष्ठ निष्पादन	1990, 1991, 1995 और 2000

पुरस्कार और प्रमाणपत्र		
	5. निर्माण ठेकों के नए क्षेत्रों में सर्वाधिक विदेशी निर्माण कार्य प्राप्त करने हेतु	1995, 1996, 2000 तथा 2001
	6. सर्वाधिक विदेशी व्यापार के प्रयास	1995 से 1998, 2002 तथा 2004
	7. विदेशों में सेवा ठेकों से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन व भारत में प्रत्यावर्तन	2001 तथा 2003
	8. विदेशों में निर्माण व इंजीनियरिंग ठेकों से द्वितीय सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का र्आन व भारत में प्रत्यावर्तन	2006 तथा 2007
कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड	''भारत की सर्वाधिक उत्कृष्ट निर्माण कंपनियों में से एक''	2009
एस्सार स्टील एवं ई-18 तथा सीएनबीसी टीवी-18	रेलवे श्रेणी में ''अवसंरचना उत्कृष्टता पुरस्कार''	2009
दैनिक भास्कर तथा डेली न्यूज एंड एनलाइसिस (डीएनए) द्वारा संस्थापित "इंडिया प्राइड अवार्ड"	परिवहन संबंधी सार्वानिक क्षेत्रक उपक्रमों में उत्कृष्टता के लिए रजत ट्राफी।	2010
	अवसंरचनात्मक विकास के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण ट्राफी।	2011
निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी)	टर्नआवर सहित उत्कृष्ट रुप से व्यावसायिक प्रबंधन की श्रेणा में सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2012	2012
डन एंड बेडस्ट्रीट	इंजीनियरिंग तथा निर्माण में भारत का शीर्ष सार्वानिक क्षेत्रक उपक्रम पुरस्कार 2012	2012

इरकॉन की वित्तीय विशेषताएँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	कुल आय (अन्य आय सहित)	809.40	792.24	1014.40	1112.79	1543.21	2093.11	2739.46	3216.91	3254.15	3781.92
2	व्यय(स्टाक में कमी/वृद्धि सहित)	677.55	701.69	892.50	981.85	1407.98	1891.48	2507.61	2911.63	2815.99	3122.94
3	प्रचालन मार्जिन	131.85	90.55	121.90	130.94	135.23	201.63	231.85	305.28	438.16	658.98
4	ब्याज व्यय	0.19	0.12	--	--	--	--	--	--	--	--
5	मूल्यह्रास	16.02	11.80	14.14	20.05	24.24	41.17	44.19	41.27	36.91	56.84
6	करपूर्व लाभ	115.83	78.75	107.76	110.89	110.99	160.47	187.66	264.01	401.25	602.14
7	करपश्चात् लाभ	87.06	61.61	88.83	80.66	75.69	113.80	140.18	182.18	240.51	469.92
8	लाभांश	18.81	18.81	20.29	25.74	25.74	29.69	29.69	36.62	49.49	94.03
9	विदेशी परियोजना निधि	60.57	57.57	44.48	44.28	33.10	30.40	27.90	2.90	--	--
10	सामान्य आरक्षित निधि	604.27	647.46	721.14	767.71	824.33	903.18	1011.62	1181.76	1372.41	1733.04
11	अन्य आरक्षित निधि	2.20	2.35	7.15	7.41	7.15	5.45	25.32	4.80	--	--
12	आरक्षित तथा सरप्लस	667.04	707.38	772.77	819.40	864.58	939.03	1064.84	1189.46	1372.41	1733.04
13	निवल स्थिर परिसंपत्तियाँ	62.25	123.43	135.96	160.10	260.22	279.46	260.05	236.19	244.00	196.11
14	माल सूचियाँ	66.60	58.94	41.37	42.35	89.43	159.01	430.52	373.36	300.46	134.51
15	विदेशी मुद्रा आय	189.88	113.72	72.79	55.97	51.05	37.35	95.58	264.14	427.61	443.75
16	शेयर पूंजी	4.95	4.95	4.95	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90
17	प्रयुक्त पूँजी	671.99	712.33	778.17	829.53	875.68	951.05	1078.05	1204.65	1382.31	1742.94
18	सरकारी निवेश	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19	निवल सम्पति	671.99	712.33	777.72	829.30	874.48	948.93	1074.74	1199.36	1382.31	1742.94
20	प्रयुक्त पूंजी पर कर पूर्व लाभ' *	17.24	11.05	13.85	13.37	12.68	16.87	17.41	21.92	29.03	34.55
21	प्रयुक्त पूंजी पर प्रचालन मार्जिन *	19.62	12.71	15.67	15.78	15.44	21.20	21.51	25.34	31.70	37.81
22	शेयर पूंजी पर कर पश्चात् लाभ' *	1759.04	1244.80	1794.93	814.93	764.73	1149.71	1416.27	1840.60	2429.39	4746.47
23	आय पर व्यय'*	83.71	88.57	87.98	88.23	91.24	90.37	91.54	90.51	86.54	82.58
24	कर्मचारियों की संख्या'**	1553	1609	1652	1723	1830	1978	1964	1751	1678	1703
25	प्रति कर्मचारी आय	0.52	0.49	0.61	0.65	0.84	1.06	1.40	1.84	1.94	2.22
26	प्रति कर्मचारी विदेशी विनिमय आय	0.12	0.07	0.04	0.03	0.03	0.02	0.05	0.15	0.25	0.26
27	वर्तमान अनुपात**	1.94	1.79	1.54	1.41	1.25	1.21	1.24	1.31	1.23	1.47
28	ऋण/इक्विटी अनुपात**	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
29	निवेश	65.58	122.41	200.11	213.29	234.38	245.57	234.50	129.94	185.37	208.30

टिप्पणी ***20 से 23 प्रतिशत में**
****24, 27 और 28 रूपए में नहीं हैं।**

इरकॉन

वार्षिक लेखे

2011-12

तुलन पत्र

31 मार्च 2012 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट सं	31मार्च 2012 को		31मार्च 2011 को	
इक्विटी और देयताएं					
शेयरधारकों की निधियां					
(क) शेयर पूंजी	2	**9.90**		9.90	
(ख) आरक्षित निधियां और अधिशेष	3	**1,733.04**	**1,742.94**	1,372.41	1,382.31
गैर-चालू देयताएं					
(क) दीर्घकालीन ऋण	4	**271.46**		700.68	
(ख) दीर्घकालीन प्रावधान	5	**415.74**	**687.20**	324.78	1,025.46
चालू देयताएं					
(क) व्यापार देय	6	**544.07**		451.85	
(ख) अन्य चालू देयताएं	7	**1,854.02**		1,409.11	
(ग) अल्पकालीन प्रावधान	8	**686.62**		676.21	
(घ) संयुक्त नियंत्रित निकायों में आनुपातिक शेयर		**13.78**	**3,098.49**	34.70	2,571.87
कुल			**5,528.63**		**4,979.64**
परिसंपत्तियां					
गैर-चालू परिसंपत्तियां					
(क) नियत परिसंपित्तयां	9				
(i) मूर्त परिसंपत्तियां		**193.44**		239.86	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		**0.01**		0.57	
(iii) प्रगतिरत मूर्त परिसंपत्तियां	10	**0.25**		-	
(iv) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	11	**2.40**		1.77	
(v) संयुक्त नियंत्रित निकायों में आनुपातिक शेयर		**0.01**		1.80	
(ख) गैर-चालू निवेश	12	**195.79**		185.37	
(ग) आस्थिगित कर परिसपत्ति (निवल)	13	**189.38**		131.06	
(घ) दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम	14	**317.34**		389.93	
(ड.) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	15	**81.56**	**980.18**	84.14	1,034.50
चालू परिसंपत्तियां					
(क) वर्तमान निवेश	16	**12.51**		-	
(ख) दरसूचियां	17	**134.51**		164.92	
(ग) व्यापार प्राप्य	18	**846.60**		876.21	
(घ) रोकड़ व बैंक शेष	19	**2,601.19**		2,007.81	
(ड.) अल्पकालीन ऋण और अग्रिम	20	**666.19**		692.10	
(च) अन्य चालू परिसंपत्तियां	21	**252.65**		157.81	
(छ) संयुक्त नियंत्रित निकायों में आनुपातिक शेयर		**34.80**	**4,548.45**	46.29	3,945.14
कुल			**5,528.63**		**4,979.64**
		-		-	
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वित्तीय विवरण के भाग के रुप में नोट	2-49				

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002263एन

सीए अनुज गुप्ता
साझेदार
एम. सं. 76560

ललिता गुप्ता
कपनी सचिव एवं म. प्र. (विधि)

के. के. गर्ग
निदेशक वित्त

मोहन तिवारी
प्रबन्ध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
तारीख : 25.07.2012

लाभ और हानि विवरण

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट सं	2011-12	2010-11
राजस्व :			
प्रचालनों से राजस्व	22	**3,577.97**	3,174.41
संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों में निर्माण राजस्व में आनुपातिक शेयर		**23.44**	7.44
अन्य आय	23	**180.51**	72.30
कुल राजस्व		**3,781.92**	3,254.15
व्यय:			
प्रचालनिक तथा प्रशासनिक व्यय :	24		
- प्रचालनिक व्यय		**2,656.82**	2,429.66
- प्रशासनिक व्यय		**26.21**	27.04
कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	25	**158.31**	166.20
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	9	**56.84**	36.91
प्रावधान (निवल)	26	**249.14**	190.11
संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों मे व्यय का आनुपातिक शेयर		**20.97**	0.83
कुल व्यय		**3,168.29**	2,850.75
असामान्य मदों और कर से पूर्व लाभ (I - II)		**613.63**	403.40
पूर्व अवधि समायोजन	27	**(11.49)**	(2.15)
कर पूर्व लाभ (III + IV)		**602.14**	401.25
कर व्यय :			
(1) वर्ष के लिए			
- चालू कर		**221.28**	179.82
- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		**(30.74)**	24.59
(2) आस्थगित कर (निवल)	13	**(58.32)**	(43.67)
कुल कर व्यय		**132.22**	160.74
वर्ष के लिए लाभ (V - VI)		**469.92**	240.51
प्रति शेयर आमदनी - मूलभूत तथा विलयित (₹ में)	48	**474.76**	242.99
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
वित्तीय विवरण के भाग के रुप में नोट	2-49		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002263एन

सीए अनुज गुप्ता
साझेदार
एम. सं. 76560

ललिता गुप्ता
कपनी सचिव एवं म. प्र. (विधि)

के. के. गर्ग
निदेशक वित्त

मोहन तिवारी
प्रबन्ध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
तारीख : 25.07.2012

रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ करोड़ में)

		2011-12	2010-11
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		**613.63**	403.40
निम्न के लिए समायोजन:			
मूल्यह्रासः		**56.84**	37.52
निवेश की किश्तों पर छूट		**0.36**	0.20
निवेश में हानिकरण		**5.53**	-
परिसंपतियों (निवल) की बिक्री पर हानि/(लाभ)		**(8.39)**	(5.01)
ब्याज आय		**(158.86)**	(55.97)
प्रावधान - जमा (पश्चलिखित) निवल		**249.14**	190.11
विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव		**15.95**	24.06
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	**(1)**	**774.20**	**594.31**
निम्न के लिए समायोजन: :			
व्यापार प्राप्यों/ऋण और अग्रिम में कमी (वृद्धि)		**128.11**	(609.00)
मालसूचियों में कमी (वृद्धि)		**30.41**	58.41
अन्य परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि)		**(47.36)**	(13.93)
व्यापार देय राशियों में कमी (वृद्धि)		**92.22**	(57.06)
		(369.85)	850.40
जेसीई चालू परिसम्पतियों में कमी/(वृद्धि)		**11.49**	0.28
जेसीई चालू देयताओं में कमी/(वृद्धि)		**(20.92)**	(2.38)
	(2)	**(175.90)**	**226.72**
प्रचालन से सृजित रोकड़	**(1-2)**	**598.30**	**821.03**
पूर्व अवधि व असाधारण मदों से पूर्व रोकड़ प्रवाह		**598.30**	**821.03**
पूर्व अवधि व असाधारण मदें		**(11.49)**	(2.15)
निवेश गतिविधियों से निवल नगदी	(क)	**586.81**	**818.88**
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद		**(15.42)**	(47.89)
स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री		**13.09**	7.41
प्राप्त ब्याज		**113.94**	48.79
इक्विटी और बांडों में निवेश		**(28.82)**	(55.64)
जेसीई स्थिर परिसम्पत्तियों में कमी (वृद्धि)		**1.79**	0.16
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी	(ख)	**84.58**	**(47.17)**
वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
भुगतान किया गया लाभांश (निगमित कर सहित)		**(62.06)**	(48.25)
जेसीई ऋण निधि में (कमी)/वृद्धि		**-**	(5.29)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी	(ग)	**(62.06)**	**(53.54)**
विदेशी मुद्रा रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव	(घ)	**(15.95)**	**(24.06)**
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	(क +ख +ग+घ)	**593.38**	**694.11**
नगदी तथा नगदी समतुल्य (आरंभिक)	**(ड.)**	**2,007.81**	**1,313.70**
नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम)	(च)	**2,601.19**	**2,007.81**
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	**(छ - ज)**	**593.38**	**694.11**

नोट :
1. नगदी तथा नगदी समतुल्यों में कैश-इन-हैंड तथा बैंकों में शेष शामिल हैं।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े रोकड़ के आऊटफ्लो को दशार्ते हैं।
3. पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां कहीं आवश्यक हुआ पुनः समूहित किए गए हैं।
4. नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम) में **शून्य रुपए** (15.22 करोड़ रु.) के एफडीआर शामिल हैं।
5. ईएमडी के प्रति ठेकदारों से प्राप्त नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम) में **12.32 करोड़ रु.** (3.81 कराड़े रु.) की मार्जिन मनी शामिल हैं तथा ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के प्रति **541.02 करोड़ रु.** (406 करोड़ रु) जिस पर उन्हें ब्याज दिया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार **निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से**

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002263एन

सीए अनुज गुप्ता
साझेदार
एम. सं. 76560

ललिता गुप्ता
कपनी सचिव एवं म. प्र. (विधि)

के. के. गर्ग
निदेशक वित्त

मोहन तिवारी
प्रबन्ध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
तारीख : 25.07.2012

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

(i) तैयार करने के आधार

क) वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर प्रोद्‌भवन आधार पर तथा निरन्तर तथा वस्तुता के आधारभूत लेखाकरण सिद्धान्तों की तर्ज पर तैयार किए जाते हैं।

ख) वित्तीय विवरण भारतीय रूपए में दर्शाए जाते हैं तथा सभी मूल्य करोड़ रुपए सहित दो दशमलव बिन्दुओं के निकटवर्ती रूप में होते हैं बशर्ते अन्यथा दर्शाया गया हो।

(ii) अनुपालन विवरण

वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण नियमों तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

(iii) विदेशी मुद्रा सौदे

क) देश के भीतर सौदे

देश के भीतर विदेशी मुद्रा सौदों को निम्न रीति से रूपान्तरण किया जाता है।

1) समस्त विदेशी मुद्रा सौदों का भारतीय मुद्रा रूपांतरण सौदे की तारीख पर प्रचलित क्रय दर पर किया जाता है।

2) मूल्यह्रास को उन दरों पर परिवर्तित किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपत्तियों के मूल्य परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।

3) मौद्रिक मदों और आकस्मिक देयताओं का विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य के परिवर्तन प्रचलित बंद क्रय दर पर किया जाता है।

4) स्थिर परिसंपत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर क्रय दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।

ख) एकीकृत विदेशी प्रचालनों में संव्यवहार

विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्न प्रकार किया जाता है।

1) राजस्व मदों को अंतरण की तिथि को क्रय दर के आधार पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

2) मालसूचियों को प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को क्रय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

3) मूल्यह्रास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपत्तियों का मूल्य परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।

4) मुद्रित मदें तथा आकस्मिक देयताएं अंतिम क्रय का उपयोग प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर करके परिवर्तित की जाती हैं।

5) स्थिर परिसम्पत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर क्रय का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।

ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) पर रूपान्तरणों के परिणामस्वरूप निवल विनिमय अंतरों को वर्ष के लिए आय या व्यय के रुप में लिया गया है।

घ) गैर एकीकृत विदेशी प्रचालनों के संव्यवहार

गैर-एकीकृत विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित प्रकार से रूपांतरित किया जाता हैं -

1) परिसम्पत्तियों तथा दायित्व, मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक दोनों को अंतिम क्रय दर पर रूपांतरित किया जाता है।

2) आय और व्यय मदों को संव्यवहार की तिथि को क्रय दर के औसत पर रूपांतरित किया जाता है।

3) सभी परिणामी विनियम अंतर को शुद्ध निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि में एकत्र किया जाता है तथा इसे उसी अवधि में आय या व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें निपटान पर लाभ या हानि को पहुंचाया गया है।

(iv) स्थिर परिसम्पत्तियाँ

क) स्थिर परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है।

ख) मशीनरी स्पेयर्स जो केवल स्थिर परिसंपत्तियों के मद के संबंध में उपयोग किए जा सकते हैं और जिनका उपयोग अधिनियमित होने की प्रत्याक्षी है, उन्हें पूंजीगत किया जाता है।

ग) वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख तक किए गए निर्माण अवधि के दौरान प्रासांगिक व्यय को पूंजीगत किया जाता है।

(v) निवेश

क. दीर्घकालिक निवेशों का मूल्यांकन लागत पर मूल्य में स्थायी गिरावट के लिए प्रावधान को घटाकर किया जाता है।

ख. चालू निवेशों को लागत पर या उचित मूल्य पर,जो भी कम हो, आंका जाता है।

ग. भूमि या भवन निवेश, जो कि कंपनी द्वारा व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने या प्रचालन के लिए नहीं है, को निवेश परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निवेश परिसंपत्तियों को लागत पर, संचित मूल्य ह्रास तथा संचित हानियों, यदि कोई हो, के निवल पर उल्लिखित किया गया है।

(vi) मालसूचियाँ

क) प्रगतिरत निर्माण कार्य

प्रगतिरत निर्माण कार्य का मूल्य लागत पर निकाला जाता है, तब तक कार्य के आउटकम को विश्वसनियता के साथ तथा विश्वसनीय मूल्य पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साइट मोबलाइजेशन व्यय को बट्टे खाते के स्तर तक लागत पर ही मूल्यित किया जाता है।

ख) अन्य

i) लागत लाभ ठेकों में, सभी सामग्रियों, स्पेयर्स और भंडारों जो संविदा की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य नहीं हैं उन्हें नीचे (iii) के अनुसार दर सूची मूल्य के रुप में दर्शाया गया है।

ii) मद दर और एकमुश्त ठेकों के संबंध में, सभी सामग्रियों (पूंजीकृत को छोड़कर) के उपयोग को वर्ष लाभ और हानि विवरण को प्रभारित किया जाता है।

iii) मालसूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक आधार पर और वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

iv) अबद्ध औजारों को क्रय वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(vii) रोकड़ एवं बैंक शेष

रोकड़ एवं बैंक शेष में बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, उपलब्ध चैक, मांग जमा तथा तुलन पत्र की तिथि से 12 महीने के भीतर की अवधि में परिपक्व होने वाले बैंक जमा खाते शामिल होते हैं।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

(viii) प्रावधान

क. अनुरक्षण के लिए प्रावधान

i) लागत और नियत लाभ ठेकों के मामलों में अनुरक्षण करने की आवश्यकता है।

ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के मामलों में खराबी/सुधार के लिए कम्पनी का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है जिसमें संविदागत बाध्यता, उप ठेकेदारों की बाध्यता, प्रचालन आवर्त और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

iii) न्यूनतम 50 लाख और अधिकतम ग्राहक के साथ संविदा करार में विनिर्दिष्ट अभिकल्प गारंटी की राशि के मद्देनजर प्रत्येक संविदा में प्रबंधन के संभावित जोखिम के आधार पर अभिकल्प गारंटी अवधि के दौरान अनिश्चित व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है।

ख) विनियोजन के लिए प्रावधान

विदेशी परियोजनाओं में श्रमशाक्ति तथा संयंत्र व उपकरण के विनियोजन पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

ग) संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान किया जाता है, जब देयों की अवधि को ध्यान में रखे बिना इनकी वसूली अनिश्चित हो । तीन वर्षों से अधिक अवधि के बकायों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है बशर्ते यह राशि वसूलनीय समझी जाय। ऋणों/अग्रिमों को बट्टे खाते डाल दिया जाता है, जब उनकी अनिश्चितता स्थापित हो जाए।

घ) अन्य

प्रावधान किए जाते हैं जब :-

1) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में कम्पनी का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,

2) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की सम्भावना हो, और

3) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

(ix) संविदा राजस्व का अनुमान

"संविदा राजस्व" का अनुमान उस स्तर तक लगाया जाता है जहां तक यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलते रहेंगे तथा राजस्वों का विश्वसनीय तौर पर आकलन किया जा सकेगा। संविदा प्रकृति के आधार पर राजस्व का अनुमान निम्न रूप में किया जाता है।

(क) लागत और नियत लाभ ठेकों की प्राप्तियों का आकलन ग्राहकों को भेजे जाने वाले बिलों में व्यय की स्वीकार्य मदें और उन पर निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रभारित करके किया जाता है।

(ख) नियत मूल्य ठेकों में राजस्व का आकलन प्रमाणित कार्य की सम्पूर्ण लागत तथा पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए आनुपातिक लाभ को शामिल करके किया जाता है । पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का निर्धारण उस तारीख को लगाई गई लागत के ठेके की कुल अनुमानित लागत के अनुपात के रूप में किया जाता है ।

इस अवधि में किसी भी हानि के लिए पूर्ण प्रावधान होता है।

प्राप्तियों की बिक्रीकर आदि, जैसे लागू हो, सम्मिलित है।

(x) संयुक्त उद्यम के अधीन निष्पादित ठेके :

संयुक्त उद्यम के अधीन निष्पादित ठेके

1. संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालनों में ठेकों को स्वतंत्र ठेके के रूप में लेखांकित किया जाता है।

2. संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के द्वारा निष्पादित ठेकों के मामलों में संयुक्त उद्यम में हुए लाभ/हानि को उनके निर्धारण के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

(xi) पट्टे

(क) प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों की पट्टा अदायगी अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि लेखा विवरण में व्यय के रूप में लिया गया है।

(ख) प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों की पट्टा आय को पट्टा अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि विवरण में व्यय/आय के रूप में लिया गया है।

(xii) निर्णीत हर्जाना और वृद्धि

1) वास्तविक रूप से प्रदत्त/वसूले गये निर्णीत हर्जाने को संविदा राजस्व/संविदा लागत के प्रति समायोजित किया जाएगा। संविदागत बाध्यता से उत्पन्न निर्णीत हर्जाने लेकिन वार्ता अधीन और अदा करने योग्य नहीं और ग्राहक से वसूला नहीं गया, को प्रासंगिक देयता के रूप में माना जाता है।

2) वृद्धि प्राप्य/देय को ठेके के प्रावधान के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। वृद्धि प्राप्य लेकिन परियोजना लेखाओं को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व प्रमाणित न हो तो, उसे चालू कार्य में शामिल किया जाता है।

(xiii) अनुसंधान और विकास व्यय

अनुसंधान और विकास व्यय आय और व्यय के विवरण को प्रभारित किए जाते हैं।

(xiv) संसाधनों को जुटाने पर व्यय

संसाधनों को जुटाने के लिए नई परियोजनाओं पर आरम्भिक ठेका व्ययों का निर्धारण उस कार्य के वर्ष में प्रगतिरत निर्माण कार्य के रुप में किया जाता है जिसे वित्त वर्ष के अन्त में ठेके के पूरा होने के स्तर पर उसी प्रतिशत में आगामी वर्षों के लिए परियोजना में पूर्व दरों पर प्रभारित माना जाएगा।

(xv) मूल्यह्रास तथा परिशोधन

क) भारत में स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास सीधी लाइन विधि (एसएलएम) से कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची xvi में विहित रीति और विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है सिवाय निम्न मामलों में जिनके लिए उपर्युक्त अनुसूची में विहित दरों से अधिक दरें प्रदान की गई हैं :-

क.	सामान्य निर्माण उपस्कर	19.00%
ख.	कार्यालय उपस्कर	19.00%
ग.	यूपीएस, इनवर्टर तथा मोबाइल हैंडसेटों सहित कम्प्यूटर	31.67%
घ.	वाहन (भारी वाहनों सहित)	23.75%
ड.	फर्नीचर और जुड़नार	23.75%
च.	स्पीड बोट्स	19.00%

ख) विदेशों में स्थिर परिसम्पत्तियों तथा निवेश संपत्तियों पर मूल्यह्रास परिसम्पत्ति के वाणिज्यिक काल तथा या परियोजना की अवधि आदि को ध्यान में रखकर सीधी लाइन विधि पर किया गया है। तथापि मूल्यह्रास की अपनाई गई दर भारत मे स्थिर परिसम्पत्तियों के लिए अनुसूची xiv में विनिर्दिष्ट दर से कम नहीं है (जैसा कि उपर्युक्त पैरा xv(क) में बताया गया है)। परियोजना के बंद होने पर परिसम्पत्तियां वास्तविक मूल्य के 5% तक कम हो जाती हैं तथा शेष को वर्ष की समाप्ति में प्रभारित और/या अन्य परियोजना/संयंत्र मशीनरी विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाती हैं।

ग) 25 लाख रूपए से अधिक प्रत्येक साफ्टवेयर लागत को प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में समीक्षा करके साफ्टवेयर को सफलतापूर्वक शुरू करने की तारीख से सीधी लाइन विधि आधार पर 36 माह की अवधि में परिशोधित किया जाता है। प्रत्येक मामले में 25 लाख रुपए तक की साफ्टवेयर लागत को क्रय के वर्ष में पूर्णत् मूल्यह्रास किया जाएगा।

घ) पट्टे की भूमि चिर पट्टे से इतर के संबंध में मूल्यह्रास पट्टे की अवधि के अनुपात में प्रदान किया जाता है।

ड) वर्ष के दौरान अधिग्रहित 5000 रू. तक की लागत वाली परिसम्पत्तियों तथा वर्ष के आरंभ में 5000 रू. तक हासिल मूल्य की परिसम्पत्तियों और वर्ष के दौरान उपार्जित कैंपों/करवेनों/अस्थायी शेडों/साजोसामान, चाहे मूल्य कुछ भी हो, को वर्ष में पूर्णतः हासिल किया जाता है।

(xvi) उधार लागतें

क) सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रुप में प्राभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं।

ख) पूँजीगत परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उतरदायी उधार लागतों को पूंजीगत किया जाता है।

(xvii) सेवानिवृत्ति लाभ

क) छुट्टी नकदीकरण, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर वर्ष के अंत में किया गया है।

ख) भविष्य निधि अंशदान को पीएफ न्यास में प्रोद्भवन आधार पर किया गया है।

ग) पेंशन के लिए परिभाषित अंशदान को संचित आधार पर लाभ व हानि विवरण से प्रभारित किया जाएगा।

(xviii) पूर्व अवधि समायोजन और अन्य मदें

क) आय/व्यय से संबंधित पूर्व अवधि और पूर्वदत व्यय जो प्रत्येक मामले में 50000 रू से अधिक न हों, उन्हें चालू वर्ष का आय/व्यय माना जाता है।

ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित व्ययों को व्यय-भार के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(xix) कर

क) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है। अतिरिक्त करों या दायित्वों, यदि कोई हो, जैसे ही और जब निर्धारण पूरा होता है, उनका प्रबन्ध/अदायगी कर दी जाती है।

ख) आस्थगित आयकर का निर्धारण तुलनपत्र की तारीख तक बनाई गई या वास्तविक रूप से बनाई गई कर दरों और कर कानूनों के आधार पर किया जाता है।

(xx) खण्ड रिपोर्टिंग

कंपनी ने परियोजना की भौगोलिक अवस्थिति यथा, देशीय और अंतर्राष्ट्रीय आधार पर दो प्राथमिक रिपोर्टिंग खण्डों की और निर्माण व्यवसाय और परिसम्पतियों को पट्टे पर देने और इसके प्रचालन पट्टे पर और प्रचालन के आधार पर दो द्वितीयक रिपोर्टिंग खंडों की पहचान की है।

(xxi) आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।

1. भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हो, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या

2. वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हो; या

3. एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

ख) आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

ग) आकस्मिक देयता तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों के प्रति आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

2 शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को	31मार्च 2011 को
प्राधिकृत		
2,50,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रु.	**25.00**	25.00
निगमित, अभिदत्त और प्रदत्त		
98,98,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रु.-पूर्णत प्रदत्त	**9.90**	9.90
कुल	**9.90**	**9.90**

i) धारित शोयरों की संख्या का वितरण:

विवरण	31मार्च 2012 को		31मार्च 2011 को	
	शेयरों की संख्या	**प्रतिशत**	**शेयरों की संख्या**	**प्रतिशत**
भारत के राष्ट्रपति तथा सरकारी नामितियों के नाम पर भारत सरकार को	**9,871,200**	**99.729%**	9,871,200	99.729%
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	**24,400**	**0.247%**	24,400	0.247%
बैंक आफ इंडिया	**2,400**	**0.024%**	2,400	0.024%
कुल	**98,98,000**	**100%**	**98,98,000**	**100%**

ii) पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी बोनस शेयर : शून्य शून्य

निदेशक मंडल ने 1:1 के अनुपात में वर्ष 2012-13 के लिए बोनस शेयरों को जारी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है बशर्ते आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारक इसे स्वीकृति प्रदान करें।

iii) कंपनी के शेयर बंबई स्टॉक एक्सचेंज से (03.11.2011 से) तथा दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज से (15.03.2012 से) डीलिस्ट हो गए हैं।

iv) शेयरों के साथ संलग्न शर्तें और अधिकार :

कंपनी में केवल 10 रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है। कंपनी भारतीय रुपए में लाभांश की घोषणा और भुगतान करती है। अंतरिम लाभांश की स्थिति को छोड़ कर निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के बाद ही जारी किए जाते हैं।

कपनी के दिवालियेपन की स्थिति में शेयरधारक सभी प्रेफरेंशियर राशियों के वितरण के पश्चात, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इनका संवितरण शेयरधारकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

3 आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को		31मार्च 2011 को	
क. सामान्य आरक्षित निधियां				
अधिशेष	**1,372.41**		1,181.76	
जोड़ें: लाभ और हानि विवरण में अतिरेक से अंतरित (नीचे- घ का संदर्भ लें)	**360.63**	**1,733.04**	190.65	1,372.41
ख. विदेशी परियोजना आरक्षित निधि				
अधिशेष	-		2.90	
घटाः चालू वर्ष में बट्टा खाता	-	-	2.90	-
ग. आवासीय परियोजनाएं आरक्षित निधियां				
अधिशेष	-		4.80	
घटाः चालू वर्ष में बट्टा खाता	-	-	4.80	-
घ. लाभ और हानि विवरण में अतिरेक				
चालू वर्ष के लिए निवल लाभ	**469.92**		240.51	
जोड़ें : चालू वर्ष शुद्ध लाभ	-		7.70	
	469.92		248.21	
घटाः विनियोजन				
-अंतरिम लाभांश (प्रति शेयर लाभांश रु. 30/- (रु. 26/-)	**29.69**		25.73	
-प्रस्तावित लाभांश (प्रतिशेयर लाभांश 65/- (रु. 24/-)	**64.34**		23.76	
-अंतरिम लाभांश पर कर	**4.82**		4.28	
-प्रस्तावित लाभांश पर कर	**10.44**		3.79	
-सामान्य आरक्षित निधियों में अंतरण	**360.63**	-	190.65	-
कुल		**1,733.04**		**1,372.41**

4 दीर्घकालीन देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को	31मार्च 2011 को
(क) व्यापार देय राशियां		
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग (नोट 45 का संदर्भ लें)	-	-
- अन्य	**5.37**	15.52
(ख) अन्य देयताएं		
- ग्राहकों से अग्रिम (i)	**151.86**	544.78
- प्रतिधारण राशि/प्रतिभूति जमा (ii)	**114.23**	140.38
कुल	**271.46**	**700.68**

(i) ग्राहकों से अग्रिमों पर देय ब्याज शामिल है - **रु. 5.57 करोड़** (रु. 0.87 करोड़)

(ii) ठेकेदारों से सावधि जमा राशियों के रुप में प्राप्त अग्रिम राशि सहित **रु. 22.04 करोड़** (रु. 28.42 करोड़)

5 दीर्घकालीन प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को		31मार्च 2011 को	
(क) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान: (नोट सं 43 का संदर्भ लें)				
i) उपदान	**46.77**		38.91	
ii) छुट्टी वेतन के लिए	**52.44**		52.20	
iii) सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान	**1.45**		1.40	
iv) पेंशन	**12.80**	**113.46**	9.20	101.71
(ख) अन्य प्रावधान:				
i) विसंग्रहण के लिए	**18.12**		15.17	
ii) अनुरक्षण के लिए	**63.89**		31.74	
iii) भावी आकस्मिकताओं के लिए	**4.29**		9.34	
iv) डिजाईन गारंटी	**183.34**		129.69	
v) अन्य व्यय	**32.64**	**302.28**	37.13	223.07
कुल		**415.74**		**324.78**

6 व्यापार देय राशियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को	31मार्च 2011 को
व्यापार देय राशियां		
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग (नोट 45 का संदर्भ लें)	-	-
- अन्य		
(क) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता	**518.05**	432.99
(ख) स्टाफ	**14.16**	7.78
(ग) संबंधित पक्ष	**11.86**	11.08
कुल	**544.07**	**451.85**

7 अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को	31मार्च 2011 को
(क) अग्रिम ठेका प्राप्तियां	**590.02**	779.30
(ख) ग्राहकें से अग्रिम राशियां (i तथा ii)	**927.07**	418.79
(ग) जमा राशियां व प्रतिधारण राशि (iii)	**301.34**	156.08
(घ) सांविधिक देय राशियां	**22.58**	15.38
(ड) बुक ओवरड्राफ्ट	**-**	3.42
(च) अन्य (iv)	**13.01**	36.14
कुल	**1,854.02**	**1,409.11**

i) ग्राहकों से अग्रिम राशियों पर देय ब्याज सहित - रु. **103.33 करोड़** (रु. 25.63 करोड़)

ii) इरकॉन इंटरनेशनल एंड सर्विसिज लिमिटेड, एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से अग्रिम के रुप में रु. **0.39** करोड़ (रु. 2.72 करोड़) शामिल हैं

iii) ठेकेदारों से प्राप्त सावधि जमा अग्रिम राशियों सहित रु. **12.23 करोड** (रु. 3.81 करोड़)

iv) बकाया व अन्य देयताओ सहित

8 अल्पकालीन प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को		31मार्च 2011 को	
(क) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधानः (नोट सं 43 का संदर्भ लें)				
i) उपदान	**2.86**		1.63	
ii) छुट्टी वेतन के लिए	**5.15**		1.82	
iii) सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान	**0.13**		0.05	
iv) कार्यनिष्पादन संबंधित वेतन	**12.11**	**20.25**	23.11	26.61
(ख) अन्य प्रावधानः				
i) विसंग्रहण के लिए	**10.03**		0.31	
ii) अनुरक्षण के लिए	**19.77**		5.68	
iii) भावी आकस्मिकताएं	**13.21**		10.85	
iv) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	**3.34**		0.78	
v) कानूनी मामले	**59.79**		29.90	
vi) अन्य व्यय	**41.39**		32.14	
vii) आय कर तथा संपत्ति कर	**444.06**		542.33	
viii) लाभांश (प्रस्तावित)	**64.34**		23.76	
ix) लाभांश पर कर (प्रस्तावित)	**10.44**	**666.37**	3.85	649.60
कुल		**686.62**		**676.21**

9 स्थिर परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

स्थिर परिसंपत्तियाँ	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2011 को	जमा	बिक्री/ समायोजन	31-3-2012 को	31-3-2011 तक	वर्ष के लिए	बिक्री/ समायोजन	31-3-2012 तक	31-3-2012 को	31-3-2011 को
क. मूर्त परिसंपत्तियां										
स्वामित्व भूमि	3.45	-	-	3.45	-	-	-	-	3.45	3.45
पट्टे की भूमि (i व v)	36.40	-	-	36.40	0.15	0.01	-	0.16	36.24	36.25
पट्टे के भवन (iv)	40.11	0.11	-	40.22	3.61	0.74	-	4.35	35.87	36.50
पूर्णस्वामित्व भवन/फ्लैट आवासीय	9.30	-	-	9.30	2.89	0.15	(0.66)	2.38	6.92	6.41
पूर्णस्वामित्व भवन/फ्लैट गैर आवासीय	10.64	-	-	10.64	0.43	0.25	0.66	1.34	9.30	10.21
संयंत्र और मशीनरी (ii व vi)	363.58	11.59	(27.07)	348.10	224.62	50.49	(22.71)	252.40	95.70	138.96
सर्वेक्षण संयंत्र	4.06	0.07	(0.60)	3.53	3.52	0.23	(0.59)	3.16	0.37	0.54
कम्प्यूटर	8.36	0.51	(0.52)	8.35	7.31	0.62	(0.46)	7.47	0.88	1.05
मोबाईल हैंडसेट	-	0.03	0.22	0.25	-	0.03	0.18	0.21	0.04	
कार्यालय उपस्कर	7.34	0.71	(1.13)	6.92	6.05	0.78	(0.96)	5.87	1.05	1.29
फर्नीचर, जुड़नार और फर्निशिंग	7.48	0.60	(0.40)	7.68	6.75	0.50	(0.39)	6.86	0.82	0.73
कैरबन, कैम्प और उपस्थायी शैड	7.10	0.13	(0.86)	6.37	7.05	0.19	(0.91)	6.33	0.04	0.05
वाहन (vi)	18.44	0.79	(3.15)	16.08	14.00	2.29	(2.97)	13.32	2.76	4.44
चालू वर्ष का जोड़	**516.25**	**14.54**	**(33.51)**	**497.29**	**276.38**	**56.28**	**(28.81)**	**303.85**	**193.44**	**239.86**
पिछले वर्ष के आंकड़े	482.48	52.95	(19.18)	516.25	256.21	36.96	(16.78)	276.38	239.86	226.26
ख. अमूर्त परिसंपत्तियां										
सॉफ्टवेयर	1.68	-	-	1.68	1.11	0.56	-	1.67	0.01	0.57
चालू वर्ष का जोड़	**1.68**	**-**	**-**	**1.68**	**1.11**	**0.56**	**-**	**1.67**	**0.01**	**0.57**
पिछले वर्ष के आंकड़े	1.67	-	-	1.68	0.54	0.56	-	1.11	0.57	1.13
चालू वर्ष का सकल योग	**517.93**	**14.54**	**(33.51)**	**498.97**	**277.49**	**56.84**	**(28.81)**	**305.52**	**193.45**	**240.43**
पिछले वर्ष के आंकड़े	484.15	52.95	(19.18)	517.93	256.75	37.52	(16.78)	277.48	240.43	227.39

i) कसबा-कोलकाता में पट्टे की भूमि के संबंध में पंजीकरण, जिनके लिए सकल ब्लाक (0.24 करोड़ रूपए) तथा निवल ब्लाक (0.22 करोड़ रू) लंबित हैं। तत्पश्चात् मूल्यहास का आकलन अनन्तिम आधार पंजीकरण प्रभार सहित लागत पर किया जाता है। निर्माण कार्य अभी आरंभ किया जाना हैं।पट्टे की अवधि 99 वर्ष है।

ii) अल्प पट्टा व स्टेंडबाय पर इंजन सहित

iii) वर्ष के लिए मूल्यह्रास का आवंटन निम्नानुसार है (नोट सं 46 का भी संदर्भ लें):-

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
लाभ और हानि विवरण		
चालू	**56.84**	36.91
पिछली अवधि	-	0.61
कुल	**56.84**	**37.52**

iv) इसमें 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि(सकल मूल्य 5.30 करोड़ रु) शामिल है जिसके लिए करार को अंतिम रुप दिया जाना है।

v) पट्टाधारित भूमि में कंपनी द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय निरीक्षण प्रकोष्ठ के लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि शामिल है (सकल मूल्य 0.80 करोड़)। भवन के निर्माण हेतु समय विस्तार के लिए अनुरोध सक्षम प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिया गया है।

vi) मितव्ययी रुप से मरम्मत न की जा सकने वाली नियत परिसंपत्तियां जिन्हें निपटान के लिए अलग रखा गया है, उन्हें बिक्री/समायोजन कॉलम से निकाल कर अन्य चालू परिसंपत्तियों में अंतरित किया गया है।

(₹ करोड़ में)

परिसंपति ब्लाक	मार्च 2012 को		मार्च 2011 को	
	सकल ब्लॉक	निवल ब्लाक	सकल ब्लॉक	निवल ब्लाक
संयंत्र मशीनरी	**3.30**	**0.01**	-	-
वाहन	**2.06**	**-**	-	-
कुल	**5.36**	**0.01**	**-**	-

10 प्रगतिरत अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को	31मार्च 2011 को
वर्ष के दौरान जोड़- - एसएपी का क्रियान्वयन	**0.25**	-
कुल	**0.25**	-

11 पूंजीगत चालू कार्य*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को	31मार्च 2011 को
अधिशेष	**1.77**	1.55
वर्ष के दौरान जमा - कार्य संबंधी व्यय	**0.63**	0.22
कुल	**2.40**	**1.77**

***प्रगतिरत पूंजीगत कार्य का विवरण**

केंद्रीय निरीक्षण कक्ष(सी आई सी नोएडा)	**1.98**	1.77
क्षेत्रीय कार्यालय बैंगलोर का निर्माण	**0.06**	-
श्रीलंका में कैप/वेज ब्रिज का निर्माण	**0.36**	-
	2.40	**1.77**

12 गैर-चालू निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को संख्या	राशि (₹ करोड़ में)		31मार्च 2011 को संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	
क. व्यापार निवेश (लागत पर)						
कोट न किए गए						
पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयरों में निवेश:						
एकीकृत संयुक्त उपक्रमों में						
सी.सी. एफ. बी. मोजांबिक मैटीशियस						
24000 प्रत्येक के 1,250,000 इक्विटी शयेर (1)	**12,50,000**	**5.53**		12,50,000	5.53	
घटाः निवश की हानि के लिए प्रावधान (नोट सं 41 का संदर्भ लें)		**5.53**	-		-	5.53
इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा.लि. (आईएसटीपीएल) (ii क तथा ख) 10 रू. प्रत्यके के पूर्णत प्रदत्त 63,878,000 इक्विटी शेयर	**6,38,70,000**	**63.87**		6,38,70,000	63.87	
सहायक कंपनियों में						
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसिस लि. 10 रू. प्रत्यके के पूर्णत प्रदत्त 49,00,000 इक्विटी शेयर	**49,00,000**	**4.90**	**68.77**	49,00,000	4.90	74.30
कुल (क)						
ख. अन्य निवेश						
कोट किए गए						
बांडों में निवेश						
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाईनांस कम्पनी लि. के 6.85% कर मुक्त बांड	**6,000**	**61.07**		6,000	61.27	
घटाएंः निवेश पर प्रदत्त प्रीमियम		**0.36**	**60.71**		0.20	61.07
6.00% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के कर मुक्त बांड	**5,000**		**50.00**	5,000		50.00
8.00% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के कर मुक्त बांड	**163,131**		**16.31**	-		-
कुल (ख)			**127.02**			111.07
कुल			**195.79**			**185.37**

कोट किए/बिना कोट किए निवेशों का प्रकटन:-		**रुपए करोड़ में**	**रुपए करोड़ में**
कोट : कोट नहीं किए गए निवेश का पूर्ण योग	- खाता मूल्य	**68.77**	74.30
कोटः कोट किए गए निवेश का पूर्ण योग	- खाता मूल्य	**127.02**	111.07
	- बाजार मूल्य	**123.84**	111.24

i) मैटीशियस 24000 का एक इक्विटी शेयर 44.27 रुपए के बराबर है ।

ii) (क) उन आठ बैंकों के कंसोर्टियम के साथ प्रतिबद्धता, जिनसे आई एस टी पी एल ने 450 करोड़ रूपए का ऋण लिया है जिसका वर्ष 2011-12 में पूर्णतः भुगतान कर दिया गया है। तथापि, प्रतिभूत शेयर अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। आठ बैंकों के कंसार्टियम द्वारा प्रतिभूति शेयर जारी किए जाने पर, 30 प्रतिशत शेयर पंजाब नेशनल बैंक को प्रतिभूत किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, 21 प्रतिशत की वर्तमान धारिता का निपटान न किए जाने के लिए कपनी ने पंजाब नेशनल बैंक को एक वचन दिया है।

(ख) आई एस टी पी एल के संगम अनुच्छेद (अनुच्छेद-5) के अनुसार एन एच ए आई के साथ दिनांक 28 सितंबर 2005 को हस्ताक्षरित करार, जिसमें निर्माण अवधि तथा उसके पश्चात् सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि) आई एस टी पी एल में कसोर्टियम सदस्यों द्वारा 51% से अधिक इक्विटी हमारी होनी चाहिए, के मद्देनजर शेयरधारक तीन वर्ष के पश्चात् ही अपने शेयर हस्तांतरित कर पाएंगे और वाणिज्यिक प्रचालन 19.04.10 को आरम्भ हुआ था । उपर्युक्त शेयर धारकों के प्रीएम्पशन-अधिकार के मद्देनजर तत्पश्चात् उपर्युक्त शेयरधारिता को 26% तक कम किया जा सकता है।

13 आस्थगित कर परिसम्पतियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	01-04-2011 को	वर्ष के दौरान योग (लोप)	31 मार्च 2012 को
	कुल	कुल	कुल
परिसम्पत्ति			
प्रावधान :			
- अनुरक्षण और विसंग्रहण के लिए	13.97	2.77	**16.74**
- भावी हानियां	6.55	(0.87)	**5.68**
- संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए	9.10	25.11	**34.21**
- उपदान के लिए	14.47	1.63	**16.10**
- विधिक मामलों के लिए	9.70	9.70	**19.40**
- अभिकल्प गारंटी	32.42	13.42	**45.84**
- अन्य	30.23	(5.25)	**24.98**
व्यय			
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर	0.06	(0.04)	**0.02**
- कर प्रयोजन के लिए अनुमत, जब प्रदत्त हो	20.87	6.17	**27.04**
	137.37	52.64	**190.01**
देयता			
मूल्यह्रास	6.31	(5.68)	**0.63**
	6.31	(5.68)	**0.63**
निवल आस्थगित कर संपत्ति/देयता	**131.06**	**58.32**	**189.38**
पिछले वर्ष	87.39	43.67	**131.06**

14 दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को		31मार्च 2011 को	
क. रक्षित वसूली योग्य				
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	**1.84**		1.77	
सामग्री और मशीनरी के लिए ठेकेदारों को अग्रिम	**0.27**		1.28	
		2.11		3.05
ख. अरक्षित वसूली योग्य				
प्रतिभूति जमा				
- सरकारी विभाग	**0.30**		1.74	
- ग्राहक	**21.97**		49.79	
- अन्य	**4.94**	**27.21**	5.28	56.81
संबंधित पक्षों को ऋण				
संयुक्त उपक्रम				
-सीसीएफबी(नोट सं 41 का संदर्भ लें)	**56.83**		93.24	
सहायक कंपनियां				
- इरकॉन आईएसएल	**50.92**	**107.75**	23.20	116.44
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	**1.23**		1.08	
सरकारी विभागों में जमा	**0.15**		17.72	
ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	**15.38**		31.84	
ग्राहकों से वसूलनीय दावे	**0.01**		0.51	
आयकर, (टीडीएस सहित)	**162.48**		162.48	
पूर्व भुगतान व्यय	**1.02**	**180.27**	-	213.63
ग. वसूलीयोग्य संदिग्ध				
संबंधित पक्षों को ऋण				
सहायक कपनियां				
-सी सी एफ बी (नोट सं. 41 का संदर्भ)	**36.4**		-	
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	**0.03**		-	
ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	**6.42**		7.05	
जमा राशियां तथा प्रतिधारण राशि	**0.02**		0.44	
	42.88		7.49	
घटा :- संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**42.88**	**-**	7.49	-
		317.34		**389.93**

ऊपर प्रकटित संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़कर कंपनी, फर्म, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, के निदेशक, अन्य अधिकारी, द्वारा देय ऋण और अग्रिम **रू. शून्य** (रू. शून्य) है।

15 अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को		31मार्च 2011 को	
क. रक्षित वसूली योग्य				
निम्नलिखित पर अर्जित ब्याज :				
- स्टाफ को अग्रिम		**1.11**		1.10
ख. अरक्षित वसूली योग्य				
12 महीने से अधिक की सावधि जमा राशियां(i)		**22.04**		28.42
निम्नलिखित पर संचित ब्याजः				
- स्टाफ को अग्रिम	**0.24**		0.21	
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं तथा अन्यों को अग्रिम,	**25.74**		21.56	
- आईआरडब्ल्यूओ को अग्रिम	**0.61**		1.03	
- आस्थगित देय (39(ख) का संदर्भ लें)	**31.82**	**58.41**	31.82	54.62
ग. संदिग्ध समझे गए				
निम्न पर अर्जित ब्याज :				
- संबंधित पक्ष-संयुक्त उपक्रम-सीसीएफबी (नोट 41 का संदर्भ लें)	**0.19**		-	
- स्टाफ को अग्रिम	**0.03**		-	
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं तथा अन्यों को अग्रिम,	**0.40**		0.41	
	0.62		0.41	
घटाः संदिग्ध के लिए प्रावधान	**0.62**	**-**	0.41	
		81.56		**84.14**

i) ईडीएम के प्रति ठेकेदारों से प्राप्त **22.04 करोड़ रु.** (28.42 करोड़ रुपए) शामिल हैं। ऊपर प्रकटित संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़कर कंपनी, फर्म, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, के निदेशक, अन्य अधिकारी, द्वारा देय ऋण और अग्रिम शून्य (शून्य रु.) है।

16 चालू निवेश

	विवरण	31 मार्च 2012		31 मार्च 2011 को	
		संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
क	**म्यूचुवल फंड में निवेश** कोट किया गया यूटीआई म्यूचुवल फंड, दैनिक	**122,740**	**12.51**	-	-
	कुल		**12.51**		**-**

		(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)
कोट किए गए निवेश के प्रति प्रकटन :				
कोट किए गए निवेश का योग	- बुक मूल्य	**12.51**		-
	- बाजार मूल्य	**12.51**	-	

17 मालसूचियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को		31मार्च 2011 को	
क. सामग्री एंव भंडार:				
- हाथ में	**65.84**		56.18	
- तृतीय पक्षों के पास	**1.90**		6.27	
- मार्गस्थ	**0.22**		14.01	
		67.96		76.46
ख. लागत पर प्रगतिरत निर्माणाधीन कार्य		**66.55**		88.46
कुल		**134.51**		**164.92**

18 व्यापार प्राप्य*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को		31मार्च 2011 को	
अनारक्षित :				
भुगतान के लिए देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के बकाया ऋण				
- वसूली योग्य	**45.04**		45.25	
- संदिग्ध समझे गए व प्रावधान किया गया	**36.19**	**81.23**	10.53	55.78
अन्य व्यापार प्राप्य				
- वसूली योग्य	**801.56**		830.96	
- संदिग्ध समझे गए व प्रावधान किया गया	**0.12**	**801.68**	-	830.96
	882.91			886.74
घटाएँ, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		**36.31**		10.53
कुल		**846.60**		**876.21**

ऊपर उल्लिखित व्यापार प्राप्यों में कंपनी फर्मों के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय **रू. शून्य** (रू. शून्य) ऋण शामिल हैं जिनमें ऐसे निदेशक साझेदार हैं या निजी कंपनी जिनमें ऐसे निदेशक सदस्य हैं निम्नानुसार को छोड़कर।

* सहायक कंपनियों के लिए देय राशि शामिल है : (₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के अंत में शेष	
	31.03.2012	31.03.2011
भुगतान के लिए देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के बकाया ऋण	**-**	-
अन्य व्यापार प्राप्य	**6.54**	4.39
कुल	**6.54**	**4.39**

19 रोकड़ और बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को		31मार्च 2011 को	
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य				
क) हाथ रोकड़ (i)		**0.46**		0.71
ख) हाथ में चैक/ड्राफ्ट		**0.15**		45.62
ग) बैंकों में शेष				
- चालू खातों में	**494.25**		342.75	
- फ्लैक्सी खातों में	**117.14**		88.42	
- जमा खातों में(तीन महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाले) (ii) और (iii)	**649.02**	**1,260.41**	745.08	1176.25
घ) पारगमन में प्रषण		**-**		1.34
अन्य बैंकों में शेष				
- जमा खातों में(तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीनों तक की परिपक्वता अवधि वाले) (vi)		**1,327.85**		780.08
ठेकेदारों से प्राप्त सावधि जमा		**12.32**		3.81
कुल		**2,601.19**		**2,007.81**

i) रोकड़ इंप्रेस्त सहित हस्थ रोकड़ **0.06 करोड़ रुपए** (0.01 करोड़ रुपए)।

ii) ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों के प्रति **289.02 करोड़ रुपए** (394.53 करोड़ रुपए) सहित सावधि जमा जिस पर ब्याज उन्हें ही दिया जाता है।

iii) **शून्य रूपए** (15.22 करोड़ रूपए) मार्जिन मनी/अंडरलियन सम्मिलित हैं।

iv) ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों के प्रति **225.00 करोड़ रुपए** (11.48 करोड़ रुपए) सहित सावधि जमा जिस पर ब्याज उन्हें ही दिया जाता है।

20 अल्पकालीन ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को		31मार्च 2011 को	
क. रक्षित वसूली योग्य				
स्टाफ ऋण व अग्रिम	**0.72**		0.73	
सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकदारों को अग्रिम	**57.33**	**58.05**	60.54	61.27
ख. अरक्षित, वसूली योग्य				
प्रतिभूति जमा				
- सरकारी विभाग	**3.95**		2.62	
- ग्राहकों से	**56.69**		25.92	
- अन्य	**0.56**	**61.20**	0.48	29.02
संबंधित पक्षों से ऋण				
संयुक्त उपक्रम				
-आईएसटीपीएल	**-**		10.00	
निम्न से वसूलनीय राशियां :				
संयुक्त उपक्रम				
- रिकॉन सीईटीए एसएआरएल	**3.89**		10.96	
- सीसीएफबी	**0.60**		1.41	
- इरकॉन-आरसीएस-पिफ्डरर	**0.01**		-	
सहायक कपनियां				
इरकॉन आईएसएल	**0.15**	**4.65**	-	22.37
कर्मचारी ऋण व अग्रिम				
ठेकदारों व आपूर्तिकर्ताओं को ऋण	**3.25**		2.03	
सरकारी विभागों से जमा	**128.11**		109.10	
ग्राहकों के पास धारित राशि	**10.38**		4.49	
टीडीएस - बिक्री कर	**76.62**		114.92	
मूल्य संवर्धित कर	**17.38**		34.58	
सेवाकर इनपुन ऋण	**64.26**		50.29	
	0.92		-	
आयकर (टीडीएस सहित)	**225.99**		239.39	
पूर्वप्रदत्त व्यय	**7.87**		9.21	
अन्य	**7.51**	**542.29**	15.43	579.44
ग. संदिग्ध समझे गए				
ठेकदारों व आपूर्तिकर्ताओं को ऋण	**5.31**		5.37	
सरकारी विभागों से जमा	**0.95**		0.10	
प्रतिधारण राशि सहित जमा	**15.41**		2.58	
मूल्य संवर्धित कर	**2.50**		-	
अन्य	**1.56**		1.56	
	25.73		9.61	
घटाः- संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**25.73**	**-**	9.61	-
कुल		**666.19**		**692.10**

ऊपर उल्लिखित व्यापार प्राप्यों में कंपनी फर्मों के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय **रू शून्य** (रू शून्य) ऋण शामिल हैं जिनमें ऐसे निदेशक साझेदार हैं या निजी कंपनी जिनमें ऐसे निदेशक सदस्य है निम्नानुसार संयुक्त उपक्रमों व सहायक कंपनियों को छोड़कर।

निदेशकों से देय राशि का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को	31मार्च 2011 को
कर्मचारी ऋण व अग्रिमों सहित निदेशकों से देय राशि	**0.05**	0.02
	0.05	**0.02**

21 अन्य चालू परिसम्पतियाँ *

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को	31मार्च 2011 को
क) निम्न पर प्रोदभूत ब्याजः		
कार्मिकों को ऋण और अग्रिम(रक्षित)	**0.15**	0.20
बांड	**1.70**	1.57
स्टाफ ऋण और अग्रिम (अरक्षित)	**0.08**	0.13
भारतीय रेल कल्याण संगठन को ऋण	**0.20**	-
निम्न पर जमा व अग्रिम :		
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता एवं अन्य	**0.54**	5.85
- इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लि.	**4.42**	0.55
- संबंधित पक्ष- संयुक्त उद्यम-सीसीएफबी	**-**	0.19
- बैंकों में जमा राशि	**56.28**	13.78
ख) प्रगतिरत ठेका कार्य (वसूलनीय मूल्य पर)	**189.27**	135.54
ग) निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्ति (i)	**0.01**	-
कुल	**252.65**	**157.81**

(i) मितव्ययी रुप से मरम्मत न किए जा सकने वाली तथा निपटान के लिए अलग रखी गई नियत परिसंपत्तियां (वसूलीयोग्य मूल्य तथा बुक मूल्य से कम)

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्तियों का ब्लाक	31मार्च 2012 को		31मार्च 2011 को	
	सकल ब्लाक	**निवल ब्लाक**	सकल ब्लाक	निवल ब्लाक
संयंत्र व मशीनरी	**3.30**	**0.01**	-	-
वाहन	**2.06**	**-**	-	-
कुल	**5.36**	**0.01**	-	-

*ऊपर उल्लिखित व्यापार प्राप्यों में कंपनी फर्मों के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय शून्य(शून्य) ऋण शामिल हैं जिनमें ऐसे निदेशक साझेदार हैं या निजी कंपनी जिनमें ऐसे निदेशक सदस्य है निम्नानुसार संयुक्त उपक्रमों व सहायक कंपनियों को छोड़कर।

निदेशकों से देय राशियों का ब्यौरा (₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को	31मार्च 2011 को
कर्मचारी ऋण व अग्रिमों सहित निदेशकों से देय राशि	**0.01**	-
	0.01	-

22 प्रचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
ठेका राजस्व	**3,539.87**	3,140.13
लोको पट्टा	**31.63**	26.20
मशीन किराया प्रभार	**0.38**	1.56
अन्य प्रचालनिक प्राप्तियां	**6.09**	6.52
	3,577.97	**3,174.41**

23 अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12		2010-11	
कर मुक्त बांड पर ब्याज		**7.48**		5.41
बैंक ब्याज - सकल	**169.03**		57.89	
घटाः ग्राहकों को वापस किए जाने वाला ब्याज	**34.87**	**134.16**	15.70	42.19
वापस आए आयकर पर ब्याज		**6.31**		-
कर्मचारी अग्रिम पर ब्याज		**0.37**		0.26
अन्य अग्रिमों पर ब्याज		**10.54**		8.11
लाभांश आय		**0.41**		-
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ		**8.45**		5.15
विविध		**12.79**		11.18
कुल		**180.51**		**72.30**

24 प्रचालनिक व्यय तथा प्रशासनिक व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रचालनिक व्यय				प्रशासनिक व्यय	
	2011-12		2010-11		2011-12	2010-11
प्रयुक्त सामग्रियां तथा भंडारण						
आरंभिक शेष	62.45		107.50		-	-
जमाः वर्ष के दौरान खरीद	455.49		477.16		-	-
	517.94		584.66		-	-
घटाः अंतिम शेष	67.75	450.19	62.45	522.21	-	-
कार्यगत व्यय		1,973.95		1,645.09	-	-
डब्ल्यूआईपी में (वृद्धि) / कमी		21.92		(7.67)	-	-
अभिकल्प, आरेखण व्यवसाय विकास व परामर्श प्रभार		67.73		151.03	-	-
निरीक्षण,भू तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि		3.46		1.98	-	-
मशीनरी की मरम्मत तथा अनुरक्षण		18.38		17.02	-	-
मशीनरी का किराया प्रभार		5.72		12.00	-	-
विनिमय उच्चावचन हानि	51.20		27.86		-	-
घटा : विनिमय उच्चावचन लाभ	35.25		3.80		-	-
निवल विनिमय उच्चावचन हानि		15.95		24.06	-	-
किराया-गैर आवासीय (नोट 33 (III) का संदर्भ लें)		4.23		3.57	0.20	0.42
दर एवं कर		55.85		39.54	0.83	1.36
वाहन प्रचालन व अनुरक्षण		15.64		12.85	0.69	0.77
मरम्मत और रखरखाव						
- भवन		0.25		0.26	0.51	0.45
- कार्यालय तथा अन्य		3.20		1.88	2.33	1.94
बिजली, विद्युत व जल प्रभार		3.57		3.38	1.04	1.14
बीमा		9.83		9.55	0.12	0.03
यात्रा और वाहन		10.09		9.10	1.53	2.26
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		2.00		1.94	0.64	0.89
डाक टिकट, टेलीफोन, टेलेक्स		2.49		1.97	0.52	0.63
विधिक और व्यावसायिक प्रसार		3.97		2.44	1.70	1.24
सुरक्षा सेवाएं		3.43		4.56	0.18	0.27
व्यवसाय संवर्धन		1.11		0.95	0.09	0.09
बट्टा खाताः		-		-	-	-
		0.23		-	-	-
- परिसंपत्तियां		-		0.01	-	-
परिसंपति तथा भंडार की बिक्री से हानि		-		-	0.06	0.14
निवेश पर प्रदत प्रीमियम का परिशोधन		-		-	0.36	0.20
बैंक और अन्य वित्त प्रभार		-		-	6.51	8.34
निदेशकों की फीस		-		-	0.02	0.02
चंदा		-		-	0.15	0.03
लेखापरीक्षकों की फीस (i)		-		-	0.76	0.60
विज्ञापन और प्रसार		-		-	4.51	4.40
प्रशिक्षण और भर्ती		-		-	0.29	0.30
अनुसंधान एवं विकास व्यय		-			0.05	
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व		-		-	2.25	0.83
विविध व्यय		2.66		3.44	0.87	0.69
घटाएं-उपयोग किए गए प्रावधान (ii)		(19.03)		(31.50)	-	-
कुल		2,656.82		2,429.66	26.21	27.04

(i) सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी	2011-12	2010-11
(i) लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	0.24	0.20
(ii) कर लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	0.07	0.05
(iii) प्रमाणीकरण फीस	0.07	0.06
(iv) यात्रा और तुरन्त देय व्यय		
- स्थानीय	0.32	0.26
- विदेशी	0.06	0.03
कुल	0.76	0.60

(ii) ब्यौरा नोट सं. 26 पर उपलब्ध है

25 कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2011-12		2010-11	
	प्रचालनिक	प्रशासनिक	प्रचालनिक	प्रशासनिक
वेतन, पारिश्रमिक तथा बोनस(i)(नोट 33(III) का संदर्भ लें)	**109.04**	**23.52**	97.71	25.67
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में प्रावधान	**7.70**	**2.10**	5.30	1.96
विदेश सेवा अंशदान	**0.27**	**0.43**	0.58	0.50
सेवानिवृत्ति लाभ	**12.32**		32.14	-
वीआरएस व्यय	**-**	**-**	-	0.03
कर्मचारी कल्याण	**2.48**	**0.45**	1.94	0.37
कुल	**131.81**	**26.50**	**137.67**	**28.53**
कुल	**158.31**		**166.20**	

(i) गैर-मौद्रिक पर्क पर **0.21 करोड़ रुपए** (0.23 करोड़ रुपए) आयकर शामिल है।

26 प्रावधान (निवल)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	1-4-2011 को शेष			2011-12 के दौरान			31-3-2012 को शेष		
	दीर्घ कालीन	अल्प कालीन	कुल	जमा	बट्टा खाता	उपयोग	कुल	दीर्घ कालीन	अल्प कालीन
प्रावधान :									
क कर्मचारी संबंधित									
(i) सेवानिवृत्ति लाभ									
उपदान	42.98	1.63	44.61	7.08	-	2.06	**49.63**	46.77	2.86
घटा : एल आई सी उपदान के दावे	4.07	-	4.07				**-**		
	38.91	1.63	40.54	7.08	-	2.06	**49.63**	46.77	2.86
छुट्टी वेतन के लिए	52.20	1.82	54.02	9.31	3.27	2.47	**57.59**	52.44	5.15
सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान	1.40	0.05	1.45	0.13	-	-	**1.58**	1.45	0.13
पेंशन	9.20	-	9.20	4.56	0.96	-	**12.80**	12.80	-
सेवानिवृत्ति लाभों का योग (i)	101.71	3.50	105.21	21.08	4.23	4.53	**121.60**	113.46	8.14
(ii) अन्य									
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन (ii)	-	23.11	23.11	9.53	3.50	17.03	**12.11**	-	12.11
कुल कर्मचारी संबंधी प्रावधान (i+ii)	**101.71**	**26.61**	**128.32**	**30.61**	**7.73**	**21.56**	**133.71**	**113.46**	**20.25**
ख **अन्य**									
विसंग्रहण के लिए	15.17	0.31	15.48	13.03	0.13	0.23	**28.15**	18.12	10.03
अनुरक्षण के लिए	31.74	5.68	37.42	51.50	3.51	1.75	**83.66**	63.89	19.77
भावी आकस्मिकताओं के लिए (संविदा)	9.34	10.85	20.19	6.59	4.91	4.37	**17.50**	4.29	13.21
अभिकल्प गारंटी	129.69	-	129.69	53.65	-	-	**183.34**	183.34	-
संदिग्ध ऋण के लिए	-	10.53	10.53	27.30	1.52	-	**36.31**	-	36.31
संदिग्ध अग्रिम के लिए	7.90	9.61	17.51	53.92	2.05	0.15	**69.23**	43.50	25.73
निवेश की हानि	-	-	-	5.53	-	-	**5.53**	5.53	-
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	-	0.78	0.78	4.81	-	2.25	**3.34**	-	3.34
देयताएं (विधि मामले)	-	29.90	29.90	33.60	0.64	3.07	**59.79**	-	59.79
अन्य व्यय	37.13	32.14	69.27	16.02	4.05	7.21	**74.03**	32.64	41.39
आयकर और संपत्ति कर	-	542.33	542.33	234.49	43.95	288.81	**444.06**	-	444.06
लाभांश (अंतरिम तथा प्रस्तावित)	-	23.76	23.76	94.03	-	53.45	**64.34**	-	64.34
लाभांश पर कर (अंतरिम तथा प्रस्तावित)	-	3.85	3.85	15.25	-	8.67	**10.43**	-	10.43
कुल अन्य प्रावधान (ख)	**230.97**	**669.74**	**900.71**	**609.72**	**60.76**	**369.96**	**1,079.71**	**351.31**	**728.40**
सकल योग (ग = क+ख)	**332.68**	**696.35**	**1,029.03**	**640.33**	**68.49**	**391.52**	**1,213.42**	**464.77**	**748.65**
ग **घटा: अलग से विचार किए गए**									
नोट 18 में संदिग्ध समझे गए ऋण	-	10.53	10.53				**36.31**	-	36.31
नोट 14, 15, 20 में विचारित संदिग्ध अग्रीम के लिए	7.90	9.61	17.51				**69.23**	43.50	25.73
नोट 12 में विचारित निवेश की हानि	-	-	-				**5.53**	5.53	-
नोट 25 में विचारित सेवानिवृत्ति लाभ				21.08	4.23	4.53			
नोट 25 में वेतन, मजदूरी लाभों सहित पीआरपी				9.53	3.50	17.03			
समायोजित/पृथक विचारित आयकर				234.49	43.95	288.81			
भुगतान किए गए /पृथक रुप से विचारित लाभांश				94.03	-	53.45			
भुगतान किए गए/पृथक विचारित निगमित कर				15.25	-	8.67			
कुल (घ)	**7.90**	**20.14**	**28.04**	**374.38**	**51.68**	**372.49**	**111.07**	**49.03**	**62.04**
निवल: चालू वर्ष (ग -घ)	**324.78**	**676.21**	**1,000.99**	**265.95**	**16.81**	**19.03**	**1,102.35**	**415.74**	**686.61**
पिछले वर्ष			597.63	204.41	14.30	31.50	1,000.99	310.82	690.17

नोट:

सकल प्रावधान(जमा/पश्चलिखित)लाभ व हानि लेखे मे शामिल किये गए	249.14			
नोट-25 के अन्तर्गत सेवानिवृति लाभ		12.32		
नोट-25 के अन्तर्गत वेतन संबंधी कार्य निष्पादन			(11.00)	
नोट 24 में विचरारित प्रयुक्त लाभ				19.03

27 पूर्व अवधि समायोजन

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2011-12		2010-11	
पूर्व अवधि मदें:				
आय :				
प्रचालन से राजस्व	**(0.61)**		(4.15)	
विविध	**0.01**		0.50	
		(0.60)		(3.65)
व्यय:				
कार्य व्यय	**1.37**		(2.47)	
मूल्यह्रास	-		0.61	
दरें व कर	**5.44**		-	
अभिकल्प, आरेखण, व्यवसाय विकास तथा परामर्श प्रभार	**4.01**		-	
अन्य	**0.07**		0.36	
		10.89		(1.50)
कुल		**(11.49)**		**(2.15)**

28. प्रासांगिक देयताओं में शामिल हैं :

क) कम्पनी के विरूद्ध वे दावे जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है 622.19 करोड़ रूपए (349.18 करोड़ रूपए) है। इसके विपरीत, कम्पनी ने 137.33 करोड़ रूपए (61.79 करोड़ रू.) का प्रति दावा किया है। यदि कम्पनी के विरूद्ध दावे कार्यान्वित होते हैं तो 327.12 करोड़ रूपए (143.24 करोड़ रूपए) की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की जाएगी। निश्चित न किए जाने वाले दावों पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाएगा।

ख) कम्पनी के विरूद्ध अदालत में कर्मचारियों/अन्यों से संबंधित कुछ मामले लम्बित हैं, जिसकी देयता निश्चित नहीं है।

ग) विवादास्पद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर मांगें जिनके लिए अपील की गई है 175.29 करोड़ रूपए (114.27 करोड़ रूपए) हैं। जिनमें से 46.21 करोड़ रूपए (29.31 करोड़ रूपए) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है ।

घ) भविष्य निधि आयुक्त, जम्मू और कश्मीर के दावे के लिए 1.75 करोड़ रूपए (1.75 करोड़ रूपए) है।

ड) रियायत करार के समाप्त होने की स्थिति में देयों में किसी प्रकार की कमी, यदि कोई हो, के 50 प्रतिशत की वसूली के लिए आईएसटीपीएल के आवधि ऋण के प्रति पंजाब नेशनल बैंक को अंडरटेकिंग और यह अधिकतम 300 करोड़ रुपए (600 करोड़ रुपए के कुल आवधिक ऋण के 50 प्रतिशत) तक होगी।

च) ग्राहकों से समय विस्तार के लिए आवेदन के लंबित निपटान हेतु कंपनी रुपए शून्य (0.03 करोड़) के स्तर तक तरलित क्षति के लिए आकस्मिक रुप से दायी भी है।

29. वित्त वर्ष 1999-2000 से 2007-08 तक की अवधि के लिए रेलवे से संविदागत कार्यों के रूप में कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उत्पन्न कर देयताएं व उन पर ब्याज पर जम्मू और कश्मीर कर विभाग द्वारा 89.76 करोड़ रुपए (55.23 करोड़ रुपए) की मांग की गई है। बहरहाल, मांग की गई बिक्री कर की 41.95 करोड़ रुपए (16.67 करोड़ रुपए) की राशि का भुगतान विरोध के साथ विभाग को किया गया है। इस राशि को व्यय के रूप में प्रभारित किया गया और बिल ग्राहक को दिया गया है। कंपनी ने वर्ष 2005-06 से 2007-08 के लिए सम्पूर्ण आकलन हेतु उपायुक्त, बिक्री कर (अपील) के समक्ष अपनी अपील दायर की है और यह मामला लंबित है। वर्ष 1999-2000 से 2004-05 के लिए अपील विक्रय कर अपील अधिकरण, श्रीनगर में लंबित है। कंपनी का मत है कि इस लेखे के प्रति कोई अतिरिक्त देयता नहीं होनी चाहिए, इसलिए, खाता बहियों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बहरहाल, शेष राशि को आकस्मिक देयता के रूप में लिया गया है और उपर्युक्त 28 (ग) में शामिल किया गया है । वित्त वर्ष 2008-09 से 2011-12 के लिए विभाग द्वारा कोई आकलन नहीं किया गया है।

30. प्रतिबद्धताएं

(क) अग्रिमों के शुद्ध पूंजी लेखे में शामिल किए जाने के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि 1.92 करोड़ रूपए (0.22 करोड़ रूपए) है।

(ख) अन्य प्रतिबद्धताएं

निधि अंशदानकर्ता/संयुक्त उद्यम/सहयोगीयों को प्रतिबद्धताः

क. 0.10 करोड़ रूपए की शेष इक्विटी के प्रति इरकॉन आईएसएल को।

ख. 24.08 करोड़ रुपए के शेष शेयरधारक ऋण के लिए इरकॉन आईएसएल को।

ग. 5.10 करोड़ रुपए की इक्विटी के प्रति प्रस्तावित भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगमि लि. (12.04.2012 को गठित) को।

31. क) ऋणदाताओं, अग्रिमों, देनदारों तथा सामग्री के अन्तर्गत तीसरे पक्षों के साथ दर्शाए गए कुछ शेष पुष्टिकरण/समायोजन के मद्देनजर हैं। कम्पनी उपर शामिल कम्पनियों की पुष्टि के लिए पत्र भेज रही है।

ख) बिक्री-कर (टीडीएस सहित), मूल्य संवर्धन कर (वीएटी), आयकर(टीडीएस सहित) को पुष्टि/पुनर्विनियोजन/समायोजन, यदि कोई हो के मद्देनजर अग्रिमों के अंतर्गत दर्शाया गया है।

ग) प्रबन्धन के मतानुसार वसूली पर चालू परिस्थितियों ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया है, को उस मूल्य से कम नहीं होना चाहिए जिस मूल्य पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

32. क. विदेशी मुद्रा में आय :

(रूपए करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
कार्य प्राप्तियाँ और लोको पट्टा	**1843.27**	1528.64
बैंक ब्याज	**5.94**	8.18
अन्य ब्याज	**0.42**	0.14
अन्य	**12.82**	4.67
कुल	**1862.44**	**1541.63**

ख. विदेशी मुद्रा में आय :

(रूपए करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
प्रचालन व्यय	**1181.39**	728.21
परामर्शदात्री प्रभार	**66.13**	12.83
विदेशी मुद्रा उच्चावचन हानि	**15.95**	25.25
प्रशासनिक और अन्य व्यय	**155.22**	347.73
कुल	**1418.69**	**1114.02**

ग. आयातों का सीआईएफ मूल्य :

(रूपए करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
सामग्री	**21.44**	17.76
उपभोज्य, अवयव तथा पुर्जे	**-**	0.23
कुल	**21.44**	**17.99**

33. पट्टे संबंधित प्रकटन

1. इंजनों के लिए प्रचालन पट्टे

क. कंपनी ने 31.03.2012 को विदेशी क्लाइंट को 25 इंजनों को पट्टे पर दिया है। वर्तमान में, पट्टे की वैधता 31.12.2012 तक है।

ख. निम्नलिखित अवधियों के दौरान प्रचालन पट्टा के अधीन भावी निम्नतम पट्टा किराया देय/प्राप्य निम्न प्रकार है :-

(रूपए करोड़ में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से 5 वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
प्राप्य	25.49 (20.13)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
देय	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

ग. वर्ष के दौरान प्राप्त पट्टा व्यवसाय परिसम्पति पर मूल्यह्रास का प्रकटन :-

(रूपए करोड़ में)

परिसंपतियों का विवरण	31.03.2012 को	31.03.2012 को
परिसंपतियों की सकल राशि	**24.82**	24.82
संचित मूल्यह्रास	**23.58**	8.82

(रूपए करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	**14.76**	2.43

2. हल्के वाहनों के लिए प्रचालन पट्टा

कम्पनी ने पांच वर्षों के लिए अपने प्रयोग हेतु चार (पांच) हल्के वाहनों को प्रयोग के लिए पट्टादाता से खरीदने के दायित्व के बिना प्रचालन पट्टे पर लिए हैं। भावी न्यूनतम पट्टा किराया देय निम्नानुसार हैः

रूपए करोड़ में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक से पांच वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
देय	0.04 (0.06)	**शून्य (0.04)**	**शून्य (शून्य)**

3. परिसरों के लिए प्रचालन पट्टे

कम्पनी की पट्टा व्यवस्थाएं कर्मचारियों के आवासीय उपयोग, कार्यालयों, गैस्ट हाउस तथा ट्रांजिट कैंपों के लिए परिसरों के प्रचालन पट्टों के संबंध में है। ये पट्टा व्यवस्थाएं, जिन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है, एक वर्ष के लिए है तथा समान्यतः आपसी सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं। कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसरों के संबंध मे शुद्ध पट्टा भुगतानों के प्रति कर्मचारी वेतन एवं लाभों के अन्तर्गत व्यय (नोट 25) के 5.44 करोड़ रुपए (5.15 करोड़ रुपए) शामिल हैं। कार्यालय परिसरों, गेस्ट हाऊसों, ट्रांजिट कैम्पों के संबंध में पट्टा 4.43 भुगतान करोड़ रुपए (3.99 करोड़ रुपए) को नोट 24 में दर्शाया गया है।

34. खण्ड रिपोर्टिंग :

प्राथमिक खण्ड सूचना (भौगोलिक) (रूपए करोड़ में)

विवरण	अंतर्राष्ट्रीय		घरेलू		अन्य*		कुल	
	2011-12	**2010-11**	**2011-12**	**2010-11**	**2011-12**	**2010-11**	**2011-12**	**2010-11**
क. आवर्त्त								
प्रचालन से राजस्व	**1849.76**	1577.53	**1749.51**	1597.49	**2.14**	6.83	**3601.41**	3181.85
अन्य आय	**15.17**	9.74	**14.94**	15.81	**150.40**	46.75	**180.51**	72.30
अंत खण्ड	-		**-**		**-**	-	**-**	-
कुल राजस्व	**1864.93**	1587.27	**1764.45**	1613.30	**152.54**	53.58	**3781.92**	3254.15
ख. परिणाम								
प्रावधान मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ	**603.73**	542.60	**191.74**	52.54	**112.65**	33.13	**908.12**	628.27
घटाएँ- प्रावधान और पश्चलिखित (निवल)	**112.93**	158.41	**80.18**	16.64	**56.03**	15.06	**249.14**	190.11
मूल्यह्रास	**42.90**	16.51	**10.50**	16.02	**3.44**	4.38	**56.84**	36.91
ब्याज	-		**-**		-	-	-	-
कर पूर्व लाभ	**447.90**	367.68	**101.06**	19.88	**53.18**	13.69	**602.14**	401.25
कर व्यय	**44.72**	131.70	**54.90**	17.67	**32.60**	11.37	**132.22**	160.74
कर पश्चात् लाभ	**403.18**	235.98	**46.16**	2.21	**20.58**	2.32	**469.92**	240.51
ग. अन्य सूचना								
परिसंपत्तियां	**2131.79**	2113.35	**1607.92**	1192.58	**1788.92**	1673.71	**5528.63**	4979.64
स्थिर परिसंपत्तियां शामिल हैं (निवल ब्लाक)	**75.33**	99.84	**38.24**	59.12	**82.54**	85.04	**196.11**	244.00
देयताएं	**1756.02**	1876.17	**1564.00**	1155.21	**465.67**	565.95	**3785.69**	3597.33
पूंजीगत व्यय : स्थिर परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी	**13.62**	50.71	**0.37**	1.13	**0.55**	1.11	**14.54**	52.95

*अन्यों में गैर-आवंटित राजस्व, व्यय, परिसम्पतियां तथा देयताएं शामिल हैं।

गौण खण्ड सूचना (व्यवसाय): (रूपए करोड़ में)

विवरण	**प्रचालन आय**		**खण्ड परिसम्पतियां**		**स्थिर परिसंपतियों में बठौतरी**	
	2011 12	**2010 11**	**2011-12**	**2010-11**	**2011-12**	**2010-11**
निर्माण आदि	**3569.29**	3155.65	**5516.11**	4958.99	**14.36**	52.84
पटटा और प्रचालन	**32.12**	26.20	**12.52**	20.65	**0.18**	0.11
कुल	**3601.41**	3181.85	**5528.63**	4979.64	**14.54**	52.96

35. **संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रकटन**

क) गैर-निगमित संयुक्त उद्यम:

i) प्रचालनरत परियोजनाओं हेतु:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2012	2011
1	रीकॉन	इरकॉन, भारत राइटस, भारत	**49.00** **51.00**	49.00 51.00
2	इरकॉन-गन्नौन डंकर्ली	इरकॉन, भारत गन्नौन डंकर्ली	**55.70** **44.30**	55.70 44.30
3	इरकॉन आरसीएस- फ्लीडरर	इरकॉन, भारत रायलसीमा कंक्रीट स्लीपर प्रा. लि., भारत फ्लीडरर इन्फ्रास्ट्रक्चर टैकनीक जी एम बी एच एण्ड क., जर्मना	**65.08** **21.87** **13.05**	65.08 21.87 13.05
4	रीकॉन-सीटा एस ए आर एल	रीकान, भारत सी इ टी ए, मोजांबिक	**49.00** **51.00**	49.00 51.00
5	इरकॉन - एसपीएससीपीएल	इरकॉन, भारत एसपीएससीपीएल, भारत	**50.00** **50.00**	- -

(ii पूरी हो चुकी परियोजनाओं हेतु :

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2012	2011
1	इरकॉन कोबरा- इलियोप	इरकॉन, भारत कोबरा, स्पेन इलियोप, स्पेन	**61.22** **34.35** **4.43**	61.22 34.35 4.43
2	इरकॉन-श्री भवानी बिल्डर्स	इरकॉन, भारत श्री भवानी बिल्डर्स, भारत	**24.21** **75.79**	24.21 75.79
3	एसएमजे-इरकॉन	इरकॉन, भारत संबर मित्रा जाया, इंडोनेशिया	**25.00** **75.00**	25.00 75.00
4	इरकॉन-एसएमजे परियोजना संयुक्त उद्यम	इरकॉन भारत संबर मित्रा जाया, इंडोनेशिया	**55.00** **45.00**	55.00 45.00
5	इंटरनेशनल मेट्रा सिविल कांट्रेक्टर (आईएमसीसी)	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिज़ू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	**29.00** **26.00** **26.00** **9.50** **9.50**	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
6	मेट्रो टनलिंग ग्रुप (एमटीजी)	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिज़ू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	**29.00** **26.00** **26.00** **9.50** **9.50**	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50

ख) संयुक्त उद्यमों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	शेयरधारक तथा राष्ट्रीयता	स्वामित्व का प्रतिशत	
			31मार्च 2012 को	31मार्च 2011 को
1	सीसीएफबी (कम्पनिया डोस कैमिनोस डे फैरा डा बेरा एस एआरएल) मोजांम्बिक	इरकॉन, भारत राइट्स भारत सीएफएम, मोजांम्बिक	**25.00** **26.00** **49.00**	25.00 26.00 49.00
2	इरकॉन-सोना टोलवे प्रा. लि.	इरकॉन, भारत सोना इंटरप्राइजेज लि. भारत	**50.00** **50.00**	50.00 50.00

ग) संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों के आय, व्यय, लाभ, परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	रिकॉन-सीटा एसएआरएल		रिकॉन		आईएमसीसी		एमटीजी		इरकॉन-एसपीएससीपीएल		कुल	
		2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
1	आय	**0.24**	-	**1.76**	2.83	**-**	0.19	**0.27**	4.43	**21.16**	-	**23.44**	7.44
2	व्यय	**0.24**	-	**0.80**	0.97	**0.02**	0.09	**(0.23)**	(0.23)	**20.14**	-	**20.97**	0.83
3	नियत परिसंपत्तियां	**-**	1.79	**-**	-	**-**	-	**-**	-	**0.01**	-	**0.01**	1.80
4	चालू देयताएं	**6.98**	21.07	**9.22**	12.95	**5.01**	4.89	**7.73**	7.38	**5.85**	-	**34.79**	46.29
5	चालू परिसंपत्तियां	**3.22**	24.24	**-**	4.06	**1.52**	4.61	**3.64**	1.79	**5.39**	-	**13.78**	34.70

घ) संयुक्त उद्यमों में कंपनी के अनुपातिक शेयर के प्रति आकस्मिक देयताएं:

(i) आईएमसीसी के मामले में इंडैम्निटी बांड 1.24 करोड़(1.24 करोड़)।

(ii) आईएमसीसी के मामले में बिक्री कर देयता 4.25 करोड़ रूपए (4.25 करोड़ रूपए) और सेवा कर 1.01 करोड़ रुपए(I.01 करोड़ रूपए) है।

(iii) एम टी जी के मामले में बैंक गारन्टी 0.59 करोड़ रूपए (2.36 करोड़ रूपए) है।

(iv) एम टी जी के मामले में सेंट्रल एक्साइज को निगमित गारन्टी 1.54 करोड़ रुपए (1.54 करोड़ रुपए) है ।

(v) इरकॉन- आरसीएस-पीफ्लिडेरर के मामले में बैंक गारंटी 0.91 करोड़ रुपए (0.91 करोड़ रुपए) है।

(vi) आईएमसीसी (संयुक्त उद्यम) के मामले में आय कर देयता 5.29 करोड़ रुपए (5.29 करोड़ रुपए) है तथा एमटीजी के मामले में 0.09 करोड़ (शून्य) है।

(vii) 31.03.2012 करोड़ रूपए मैसर्स इंजीनियर्स द्वारा आईएसटीपीएल के प्रति वसूली मामला 0.01 करोड़ रूपए (शून्य) है।

36. संबधित पक्ष प्रकटन

क. उद्यम जहां नियंत्रण विद्यमान है :

गैरनिगमित संयुक्त उद्यम : उपर्युक्त नोट सं 35(क) के अनुसार।

संयुक्त उद्यम कम्पनियां : उपर्युक्त नोट सं 35(ख) के समान।

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी: इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड(इरकॉन आईएसएल)

ख. प्रमुख प्रबन्ध निदेशकः

निदेशक : सर्वश्री मोहन तिवारी, के.के. गर्ग, दीपक सबलोक तथा हितेश खन्ना।

संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देनों का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	लेन-देन		बकाया राशि	
	2011-12	**2010-11**	**31मार्च 2012 को**	**31मार्च 2011 को**
प्रमुख प्रबंधक कार्मिकों को पारिश्रमिक (उपर्युक्त 'ख')तथा अन्य स्वतंत्र निदेशकों का बैठक शुल्क	नोट सं0-37 के अनुसार		**0.01**	0.01
सीसीएफबी / आईएसटीपीएल / आईआईएसएल में निवेश	**शून्य**	4.5	**74.30**	74.30
सीसीएफबी/आईएसटीपीएल/आईआईएसएल को ऋण	**17.72**	41.52	**144.16**	126.44
सीसाएफबी/आईआईएसएल/आईएसटीपीएल/ रिकॉन से वसूली जाने वाली अग्रिम राशि	**(1. 20)**	0.05	**2.33**	1.66
रिकॉन/आईआईएसएल को देय राशि	**1. 56**	10.32	**18.40**	13.79
सीसीएफबी/रिकॉन/आईएसटीपीएल/ आईआईएसएल से आय	**64. 84**	38.38	**28. 20**	7.53

37. निदेशकों का पारिश्रमिक निम्न प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2011-12	2010-11
1.	वेतन और भत्ते	**1.06**	0.78
2.	भविष्य निधि में अंशदान	**0.07**	0.06
3.	सेवानिवृति सहित अधिवार्षिता लाभ	**0.01**	0.09
4.	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	**0.01**	0.01
5.	बैठक फीस	**0.02**	0.02
6.	अन्य हित लाभ	**0.17**	0.18
	जोड़	**1.34**	1.14

निदेशकों को कंपनी की ओर से आवास और कार भी प्रदान की गई है जिसकी वसूली लागू नियमानुसार की गई है।

38. कंपनी ने इंस्टीट्यूट आफॅ चार्टेड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी एएस 28 परियोजना के अनुसार वर्ष के दौरान उगाई की जाने वाली शुद्ध राशि या लागत से कम के आधार पर वसूल की जाने वाली राशि के आंकलन द्वारा वैयक्तिक परिसपंत्तियों के ह्रास का अनुमान निकाला है । कोई ह्रास हानि (शून्य रुपए) नहीं हुई है।

39. विदेशी ग्राहकों को किराए पर दिए गए इंजनों के लिए पट्टा करार का नवीकरण वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किया जाता है। बहरहाल, करार का नवीकरण हमेश अनिश्चित रहता है। ऐसे गैर-नवीकरण के मामले में, इंजनों के अनुरक्षण के लिए बचे हुए कलपुर्जों अनावश्यक तथा गैर मूल्यवान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भारत वापस लागे का खर्च अत्यधिक होता है। सुदृढ़ लेखांकन पद्धति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे कलपूर्जों की लागत को वर्ष के लिए खरीद में दर्शाया जाता है और इस पद्धति का निरन्तर अनुसरण किया जाता है।

40. **क)** खाड़ी युद्ध के कारण जब क्लाइंटों (इराक में निष्पादित समावा तथा अल-मुथाना परियोजनाओं सहित) से भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा था। उस समय भारत सरकार ने आस्थगित भुगतान करार प्रोटोकॉल (डीपीए) के अंतर्गत इरकॉन सहित ईरान में निर्यातकों की परियोजनाओं को बेलआउट किया था।

ख) आस्थगित भुगतान करार प्रोटोकाल के तहत सितम्बर, 1995 तक सेंट्रल बैंक और इराक द्वारा प्रमाणितानुसार एक्जिम बैंक को देय बकाया शेष राशियों का निपटान भारत सरकार द्वारा 2 चरणों में बांड जारी करके किया गया था। दूसरे चरण के परिणामस्वरुप सेंट्रल बैंक ऑफ इराक ने इक्जिम बैंक को 0.89 करोड़ अमरीकी डालर (एक अमरीकी डालर = 35.802 रुपए की अंतिम सहमत दर पर परिवर्तित 31.802 करोड़ रुपए के बराबर) की राशि को प्रमाणित (मई, 2000 में एक्जिम बैंक द्वारा पुष्ट) किया था, तथा भारत सरकार द्वारा इसका निपटान प्रतीक्षाधीन है, जिसके लिए कंपनी ने दिनांक 26.05.2005 के अपने पत्र के तहत रेल मंत्रालय को अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। इन देयों के परिणामस्वरुप बैक-टू-बैक आधार पर उप ठेकेदारों को देय 0.42 अमरीकी डालर (एक अमरीकी डालर = 35.802 रुपए की अंतिम सहमत दर पर परिवर्तित 15.04 करोड़ रुपए के बराबर) की ब्यज की राशि का प्रावधान लेखा बहियों में किया गया है।

ग) आस्थगित इराकी बकाया और उस पर ब्याज व बैक-टू-बैक आधार पर उप ठकेदारों को देय ब्याज के प्रावधान (आस्थगित भुगतान करार प्रोटोकॉल) को भारत सरकार के साथ तय अंतिम निपटान दर (यथा 1 अमरीकी डालर = 35.802 रूपए) पर परिवर्तित किया जाता है। यदि बकायों को एस-11 के अनुसार 31.3.2012 को बंद होने वाली विनिमय दर से रूपांतरित किया जाता है तो अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां 13.25 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 7.49 करोड़ रूपए तक अधिक), दीर्घकालीन प्रावधान 6.27 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 3.54 रुपए तक अधिक) तथा कर पूर्व लाभ 6.98 करोड़ रूपए (3.95 करोड़ रूपए की वृद्धि) होती ।

41. बीओटी आधार पर मोजांबिक सरकार द्वारा प्रदान की गई रेल परियोजना के निष्पादन के लिए वर्ष 2004 में मोजांबीक के कानूनों के अनुसार सीसीएफबी नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया था जिसमें कंपनी की 25 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी है और उसने 1.25 एमएन अमरीकी डालर (गैर-चालू निवेशों में दर्शाए गए 5.53 करोड़ रुपए (नोट 12))का भुगतान किया है। कंपनी ने सीसीएफबी को शेयरधारक ऋण उपलब्ध कराया है और 31.03.2011 तक संचित ब्याज सहित कुल राशि 21.124 मिलियन अमरीकी डालर (31.03.2011 को 93.43 करोड़ रुपए को विनिमय दर में परिवर्तित किया गया है) 93.24 करोड़ रुपए को दीर्घकालीन आवधिक ऋण तथा अग्रिमों (नोट 14(ख) तथा (ग)में दर्शाया गया है)) 31.03.2011 के पश्चात निवेश की राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि, परियोजना पूरा हो गयी थी, मोजांबिक सरकार ने 09 नवंबर 2011 को रियायत करार को समाप्त कर दिया और 8 दिसंबर 2011 को परियोजना को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था।

सीसीएफबी के अनुसार यह रद्दीकरण संविदागत प्रावधानों के विरुद्ध तथा गैरकानूनी है और उसने मोजांबिक सरकार के विरुद्ध मध्यस्थ प्रक्रिया आरंभ कर दी। कंपन मानती है कि वह मध्यस्थता के माध्यम से सीसीएफबी से संपूर्ण निवेश वापस प्राप्त कर लेगी, इसके बावजूद अत्यंत सावधानी के कारण तथा परम्परागत दृष्टिकोण को अपनाते हुए तथा मध्यस्थता की लंबिन निष्कर्ष के कारण, 31.03.2011 को विद्यमान विनिमय दर पर ब्याज सहित ऋण और संभावित लाभ के प्रति 42.13 करोड़ रुपए (34.20 करोड़ रुपए ऋण तथा उस पर ब्याज के प्रति, 0.81 करोड़ रुपए के समाप्ति पश्चात ब्याज में कमी के साथ रेलवे लाईन को प्रचालनिक करने के लिए सीसीएफबी द्वारा संभावित पूंजीगत व्यय के प्रति 3.21 करोड़ रुपए और इक्विटी निवेश के प्रति 5.53 करोड़ रुपए (नोट 12 का संदर्भ लें)) का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऊपर उल्लिखित कारणों से वर्ष के लिए 3.38 करोड़ रुपए की राशि के ऋण पर ब्याज को शामिल नहीं किया गया है।

यदि लेखांकन मानक-11 के अनुसार 31.03.2012 को समाप्त विनिमय दर पर देय राशियों को परिवर्तित किया जाता तो, दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम 8.33 करोड़ रुपए अधिक होते(पिछले वर्ष शून्य) और करपूर्व लाभ 8.33 करोड़ रुपए अधिक होता (पिछले वर्ष शून्य)।

यदि नोट सं. 40 तथा 41 को सचित प्रभाव प्रदान किया होता तो दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम 325.67 करोड़ रुपए होते, अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां 94.81 करोड़ रुपए होती, दीर्घकालीन प्रावधान 422.01 करोड़ रुपए होते और कर पूर्व लाभ 617.45 करोड़ रुपए होता।

42. कम्पनी ने अपने आयकर रिटर्न में आकलन वर्ष 2000-2001 से पात्र निर्णय परियोजनाओं के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 801 ए के अन्तर्गत छूट का दावा किया है । कुछ आकलन वर्षों के लिए छूट के लिए सी आई टी (अपीन) द्वारा नामंजूरी नहीं दी गई गया है। हालांकि, सीआईटी (ए) ने आकलन वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के लिए हमारे दावे पर विचार किया है, किन्तु आयकर विभाग सीआईटी (ए) के आदेशों के विरुद्ध अधिकरण में गया। तदनुसार, अनुच्छेद 80आईए के अंतर्गत कटौतियों पर विचार किए बिना कर के लिए प्रावधान किया जा रहा है। आकलन वर्ष 2011-2012 तक कटौती 580.29 करोड़ रुपए (509.50 करोड़ रुपए) है । यह मामला अधिकरण के समक्ष लम्बित है ।

43. एएस-15 के अंतर्गत प्रकटन, कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि

कंपनी एक पृथक ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि के नियत अंशदान का भुगतान करती है तथा यह ट्रस्ट इस निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करेगी। ट्रस्ट के लिए यह अपेक्षित है कि वह ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज के न्यूनतम दर का भुगतान करेगी। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि कंपनी के दायित्व से अधिक है।

उपदान

कंपनी के नियमों के अनुसार अपदान के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा

कंपनी ने सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को अधिवार्षिता, चिकित्सा तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000-01 के दौरान 12 करोड़ रुपए के एक मुश्त अंशदान द्वारा एक अपरिहार्य ट्रस्ट की स्थापना की थी। एक स्वैच्छिक कल्याण उपाय होने के कारण कंपनी कर्मचारियों को यह लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। बहरहाल, वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार निवेशों से लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि अपेक्षित राशि से अधिक है ।

छुट्टी नगदीकरण

कंपनी के नियमों के अनुसार छुट्टी नगदीकरण के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है।

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल है, गृह नगर या भारत में वह स्थान जहां वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, वहां बैगेज भत्ता सहित व्यवस्था करना। इस खाते में देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ली जाती है।

विभिन्न कर्मचारी लाभों को लाभ हानि खाते के विवरण तथा तुलन पत्र में निम्नानुसार सारबद्ध किया गया है:

i) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के प्रारम्भ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	44.61 (37.66)	54.01 (38.18)	1.45 (1.29)
ब्याज लागत	3.34 (2.82)	4.05 (2.86)	0.11 (0.09)
चालू सेवा लागत	2.72 (2.53)	3.94 (3.92)	0.08 (0.07)
पूर्व सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	(2.05) ((2.01))	(1.21) ((2.47))	(0.01) (-)
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	1.01 (3.61)	(5.18) (11.52)	(0.06) ((0.01))
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	49.63 (44.61)	55.61 (54.02)	1.57 (1.45)

ii) योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन (₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ *
अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (4.11)	- (-)	- (-)
योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ	- (0.36)	- (-)	- (-)
अंशदान	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	- ((0.13))	- (-)	- (-)
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	- ((0.26))	- (-)	- (-)
अवधि के अन्त में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (4.07)	- (-)	- (-)

iii) योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ*
अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (4.11)	- (-)	- (-)
योजना परिसम्पतियों पर वास्तविक लाभ	- (0.09)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	- ((0.13))	- (-)	- (-)
अवधि के अन्त में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (4.07)	- (-)	- (-)
वित्तपोषित स्थिति	(49.63) ((40.54))	(55.61) ((54.02))	(1.57) ((1.45))\
योजना परिसम्पतियों पर सम्भावित लाभ की तुलना में वास्तविक अधिक	- ((0.26))	- (-)	- (-)

*इरकॉन चिकित्सा ट्रस्ट की समेकित निधि 26.32 करोड़ रुपए है।

iv) अवधि के लिए वास्तविक लाभ/हानि (₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के लिए वास्तविक (लाभ)/हानि-दायित्व	(1.01) ((3.61))	5.18 ((11.52))	0.06 (0.01)
अवधि के लिए वास्तविक (लाभ)/हानि योजना परिसंपत्ति	- (0.26)	- (-)	- (-)
अवधि के लिए कुल (लाभ)/हानि	1.01 (3.87)	(5.18) (11.52)	(0.06) ((0.01))
अवधि के लिए वास्तविक लाभ/हानि	1.01 (3.87)	(5.18) (11.52)	(0.06) ((0.01))

v) तुलन पत्र में मान्य राशि (₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	49.63 (44.61)	55.61 (54.02)	1.57 (1.45)
31.03.2011 को योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	- (4.07)	- (-)	- (-)
वित्तपोषण स्थिति	(49.63) ((40.54))	(55.61) ((54.02))	(1.57) ((1.45))
अनुमानित के ऊपर वास्तविक में अधिक	- ((0.26))	-	-
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता	(49.63) ((40.54))	(55.61) ((54.02))	(1.57) ((1.45))

vi) लाभ हानि के विवरण में मान्य व्यय (₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
चालू सेवा लागत	2.71 (2.53)	3.94 (3.92)	0.08 (0.07)
विगत सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)
ब्याज लागत	3.34 (2.82)	4.05 (2.86)	0.11 (0.09)
योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ	- ((0.36))	- (-)	- (-)
वर्ष में निवल वास्तविक (लाभ)/हानि	1.01 (3.87)	(5.18) (11.52)	(0.06) ((0.01))
लाभ हानि खाते में मान्य व्यय	7.07 (8.87)	2.81 (18.31)	0.13 (0.16)

vii) चालू अवधि के लिए राशि (₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
दायित्वों का वर्तमान मूल्य	49.63 (44.61)	55.61 (54.02)	1.57 (1.45)
योजना परिसम्पतियां	- (4.07)	- (-)	- (-)
सरप्लस(डैफिसिट)	(49.63) ((40.54))	(55.61) ((54.02))	(1.57) ((1.45))
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन-(लाभ)/हानि	(1.01) ((3.61)	5.18 ((11.52))	0.06 (0.01)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन-(लाभ)/हानि	- ((0.26))	- (-)	- (-)

viii) वास्तविक अनुमान

i)	प्रयुक्त पद्धति	प्रत्याशित इकाई ऋण पद्धति
ii)	रियायत दर	7.50%
iii)	उपभोग स्तर मे वृद्धि की दर	7.50%
iv)	सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों की औसत उत्कृष्ट सेवा	14.40 वर्ष
v)	लाभ दायित्वों की अनुमानित अवधि	14.40 वर्ष

44. प्रगतिरत संविदा के संबंध में प्रकटन*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.3.12 तक	31.3.11 तक
क लगाई गई लागत व निर्धारित लाभों की सम्पूर्ण राशि (घटाः निर्धारित हानियां)	**13143.81**	10531.77
	31.3.12 को	31.3.11 को
ख ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की राशि	**1391.36**	1650.33
ग धारण की राशि (ग्राहकों द्वारा)	**124.29**	332.93

*31.3.2012 तक पूरी की गई परियोजनाओं को छोड़कर ।

45 (i) कम्पनी को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कम्पनी के अधीन आपूर्तिकर्ता सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के अधीन नहीं आते हैं। इस सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के प्रति 31 मार्च 2012 तक कोई देय नहीं है।

(ii) कम्पनी को अपने किसी भी आपूर्तिकर्ता से इस आशय की सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वह लघु औधौगिक इकाई भी है । इस सूचना के आधार पर 31 मार्च 2012 को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए लघु औधौगिक इकाई उपक्रम के प्रति देय राशि शून्य रुपए (शून्य) है ।

46 वर्ष के दौरान कंपनी ने मूल्यह्रास दर को 19 प्रतिशत से बढ़ा कर 31.67 प्रतिशत करके मोबाइल फोनों पर मूल्यह्रास की अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। इस परिवर्तन का कोई तथ्यात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।

47 वर्ष के दौरान, कंपनी ने राजस्व मदों पर विदेशी मुद्रा के परिवर्तन पर अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है जिसे मासिक औसत दरों से संव्यवहार की तिथि पर दर से परिवर्तित किया गया है। इस परिवर्तन के कारण, वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा हानि (निवल) में 9.89 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है , अन्य आय में 0.37 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, प्रचालनिक आय में 22.29 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, कुल व्यय (विदेशी लाभ/हानि शामिल नहीं है) में 12.77 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। तथापि, कंपनी के लाभ और हानि विवरण पर इसका निवल प्रभाव शून्य है।

48 प्रति शेयर मूलभूत आमदनी का परिकलन निवल कर पश्चात लाभ के 469.92 करोड़ रुपए (240.51 करोड़ रुपए) को 9,898,000 पूर्ण प्रदत्त 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के साथ भाग करके किया जाता है। प्रति शेयर विलयित आमदनी लागू नहीं है क्योंकि यहां काई विलयन शामिल नहीं है।

49 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित संशोधित अनुसूची VI लागू की गई है। अपनाई गई संशोधित अनुसूची VI का वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले पहचान तथा मापन सिद्धांतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तथापि, इसका वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण तथा प्रकटन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। कोष्ठक में पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के साथ समायोजित करने के लिए, जहां कही आवश्यक हो, पुनःसमूहित, पुनःव्यवस्थित तथा पुनःनिर्धारित किया गया है।

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002263एन

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

सीए अनुज गुप्ता
साझेदार
एम. सं. 76560

ललिता गुप्ता
कपनी सचिव एवं म. प्र. (विधि)

के. के. गर्ग
निदेशक वित्त

मोहन तिवारी
प्रबन्ध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
तारीख : 25.07.2012

वाही एंड गुप्ता
सनदी लेखाकार
होटल रेक्स बिल्डिंग,
5, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज,
नई दिल्ली-110002, टेली : 23269921, 23252597

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न तुलनपत्र और उसके साथ लगे उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इनके अनुबंधों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित अल्जीरिया, मोजांबिक, इथोपिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों की परियोजनाओं के लेखे शामिल हैं, जिनकी लेखापरीक्षा विधिवत रूप से नियुक्त सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों ने की है और जिनकी रिपोर्ट पर विचार करते हुए हमने अपनी रिपोर्ट तैयार की है।

   इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी कंपनी प्रबन्धन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा लेखापरीक्षित इन वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करने की है।

2. हमने भारत में सामान्यत स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों की ये अपेक्षा है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि जिससे हमें वित्तीय विवरणों के संबंध में यह तर्कसंगत आश्वासन मिल सके कि वे सूचना के यथार्थ कथनों से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों को समर्थन देने वाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रबन्धन द्वारा उपयोग में लाए गए लेखाकरण नियमों और किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ ही साथ समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय का तर्कसंगत आधार प्रस्तुत करती है।

3. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227(4क) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम संलग्नक के रूप में दे रहे हैं।

4. इस निम्नलिखित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों पर ध्यान आकर्षित करते हैं।

   (क) नोट सं 40(ख) तथा (ग): वर्ष 1995 में भारत सरकार के साथ देयों के विपटन के समय तत्कालीन विनिमय दर पर अग्रशेष तथा एएस (11) के अनुरूप दिनांक 31.03.2012 की वर्तमान दरों पर मूल्यांकन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरुप, अन्य चालू परिसम्पतियां 13.25 करोड़ रुपए तक कम, दीर्घकालीन प्रावधान 6.27 करोड़ रुपए तक कम तथा लाभ 6.98 करोड़ रुपए तक कम हो गए हैं।

   (ख) नोट सं0-41: संयुक्त उद्यम कंपनी सीसीएफबी से शेयरधारक ऋण और उस पर ब्याज के 31.03.2011 को प्रचलित विनिमय दर पर शेषों को लेना और इसे 31.03.2012 को विद्यमान दरों पर अंतरित न करना लेखांकन अनुसूची-11 के अनुरुप नहीं है। इसके परिणामस्वरुप, दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम 8.33 करोड़ रुपए कम हुए हैं और कर पूर्व लाभ 8.33 करोड़ रुपए कम हुआ है।

   (ग) नोट सं0-47 : वर्ष के दौरान, कंपनी ने राजस्व मदों के विदेशी मुद्रा में अंतरण संबंधी लेखांकन नीति को मासिक औसद दरों से परिवर्तित करके संव्यवहार की तिथि की दरें कर दिया है।इस परिवर्तन के कारण, वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय हानि (निवल) 9.89 करोड़ रुपए बढ गई है, अन्य आय 0.37 करोड़ रुपए , प्रचालनिक आय 22.29 करोड़ रुपए तथा कुल व्यय 12.77 करोड़ रुपए बढ़ गया है। तथापि, कंपनी की आय/व्यय कर शुद्ध प्रभाव शून्य है।

5. उपयुक्त पैरा 3 में संदर्भित अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त तथा पैरा (4) के खण्ड-(क),(ख) तथा (ग) के मद्देनजर उल्लेखनीय है कि -

   (क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

   (ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बहीखातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

   (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और लाभ-हानि का विवरण बही खातों से मेल खाते हैं।

   (घ) हमारी राय में तुलनपत्र और लाभ-हानि का विवरण व रोकड़ प्रवाह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3ग) में दिए गए लेखाकरण मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप है सिवाय अन्यथा उल्लेख किया जाए।

   (ड.) सरकारी कंपनी होने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं. जीएसआर 829 (ई) तारीख 21.10.2003 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) खंड (छ) के निबंधन कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

   (च) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और उसके साथ संलग्न नोट कम्पनी अधिनियम 1956 में अपेक्षित ढंग से सूचना प्रदान करते हैं और निम्नलिखित के मामले में भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण नियमों के अनुरूप सही और उचित अवलोकन प्रस्तुत करते हैं:

   1) तुलनपत्र के मामले में 31.03.2012 को कम्पनी के कार्यकलापों की स्थिति,

   2) लाभ-हानि के विवरण के मामले में उक्त तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ के बारे में, और

   3) नगदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नगदी प्रवाह के बारे में।

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002263एन

(सीए अनुज गुप्ता)
साझेदार
एम. सं. 76560

स्थानः नई दिल्ली
तारीख : 25.07.2012

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का संलग्नक

(उक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट)

1. (क) कम्पनी ने उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है जिनसे मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।

   (ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। हमारी राय में कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा किया जाने वाला नियमित सत्यापन उचित हैं। इस प्रकार के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं पाई गई है।

   (ग) वर्ष के दौरान कम्पनी की किसी स्थिर परिसम्पत्ति का पर्याप्त निपटारा नहीं किया गया है जिससे इसकी प्रगतिशील प्रतिदान स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

2. (क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मालसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन उचित रुप से किया गया है। हमारी राय में सत्यापन की बारंबारता उचित है।

   (ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार मालसूचियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के बारे में अपनाई गई प्रक्रिया कम्पनी के आकार और व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए युक्तियुक्त और समुचित है।

   (ग) हमारी राय में इनवेंटरी अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर कम्पनी इनवेंटरी अभिलेखों का उचित रखरखाव कर रही है। प्रत्यक्ष सत्यापन परिणामों की तुलना बही अभिलेखों से करने पर पाई गई विसंगतियां नगण्य हैं तथा इन्हें उचित रुप में लेखा बहियों में समायोजित कर लिया गया है ।

3. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कम्पनी ने रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया हैं न दिया हैं। इसलिए कम्पनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदेश 2003 के पैरा 4 (iii) (ख) से (घ) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती।

4. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति इनवेंटरी और स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद और माल की बिक्री को देखते हुए पर्याप्त आंरम्भिक नियंत्रण प्रक्रियाएं है। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में कोई ऐसी सतत् चूक नहीं पाई गई है जिसे ठीक करने की आवश्कयता है।

5. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा अभिलेखों की जांच के अनुसार कोई ऐसे लेन-देन नहीं है, जिन्हें कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में दर्ज किये जाने की आवश्यकता हो।

6. हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा अभिलेखों की जांच के अनुसार कम्पनी ने जनता से कोई जमा राशि नहीं ली है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 58-क और 58कक या कोई अन्य संगत प्रावधान तथा उनके अधीन बनाए गए नियम यहाँ लागू नहीं होते हैं।

7. हमारी आय में कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप कम्पनी में युक्तियुक्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

8. कंपनी ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अन्तर्गत कम्पनी के लिये लागत अभिलेखों के रखरखाव को विहित नहीं किया है ।

9. क) कम्पनी सामान्यतः उपयकुत प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आयकर बिक्रीकर, सम्पदाकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, उपकर को मिलाकर लागू निर्विवाद सांविधिक देय राशियों और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियाँ नियमित रूप से जमा कराती हैं। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि तथा कर्मचारी राय बीमा कम्पनी पर लागू नहीं होती है। हमारे दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार छह महीनों की अवधि के लिए 31.03.2012 की तारीख को कोई अविवादास्पद देय, उनके देय होने की तिथि सेदेय नहीं है ।

   ख) 31.03.2012 को कम्पनी के अभिलेखों और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारी जांच के अनुसार बिक्रीकर, आयकर, सीमाशुल्क, संपदाकर, उत्पादशुल्क और उपकर के संबध में देय राशियों का विवरण निम्न प्रकार है, जिन्हें विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है।

राशि का प्रकार	राशि (रूपए करोड़ में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायालय जहां मामला लम्बित है
आय कर	11.52	1987-88, 2001-02, 2002-03, 2004-05 to 2009-10	सीआईटी (अपील), दिल्ली
सीमा शुल्क	5.81	1989-90	उपायुक्त (सीमाशुल्क), मुम्बई
बिक्री कर	1.99	1995-96	मुम्बई उच्च न्यायालय
बिक्री कर	1.53	1996-97	
रॉयल्टी बिक्री कर	0.02 0.99	1984-85 and 1985-86 2002-03	उच्च न्यायालय, इलाहबाद आयुक्त बिक्री कर, उड़ीसा
बिक्री कर	0.03	1993-94	उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश
बिक्री कर	0.28	1998-1999	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (अपील), बिक्री कर, बेहाला
बिक्री कर	0.71	2004-05	सहायक आयुक्त, बिक्री कर, बेहाला
बिक्री कर	1.75	1987-88 to 1994-95	बिहार बिक्रीकर अधिकरण-कहलगांव
बिक्री कर	5.98	2005-06 & 2006-07	आयुक्त, बिक्रीकर, बिहार

राशि का प्रकार	राशि (रूपए करोड़ में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायालय जहां मामला लम्बित है
बिक्री कर	0.21	1997-98	राजस्व बोर्ड, ग्वालियर
बिक्री कर	0.56	2007-08	उच्च न्यायालय, इलाहबाद
बिक्री कर	0.52	2009-10	उपायुक्त बिक्री कर, नोएडा
भविष्य निधि	1.75	2003-04 to 2006-07	भविष्य निधि आयुक्त, जम्मू और कश्मीर
बिक्री कर	89.76*	2001-02 to 2007-08	उपायुक्त (बिक्री कर) अपील,जम्मू और कश्मीर
प्रवेश कर	0.06	2007-08	संयुक्त आयुक्त, अपील, झांसी
प्रवेश कर	0.03	2009-10	उपायुक्त, बिक्रीकर, लखनऊ
बिक्री कर	0.01	2005-06	उच्च न्यायालय, इलाहबाद
बिक्री कर	1.02	2002-03 to 2004-05	उच्च न्यायालय, इलाहबाद
प्रवेश कर	0.15	2006-07	संयुक्त आयुक्त, अपील, झांसी
यूपीटीटी	0.43	2006-07	
यूपीटीटी	0.88	2007-08	
यूपीटीटी	0.60	2007-08	
यूपीटीटी	1.30	2008-09	
यूपीटीटी	1.38	2009-10	

*बहरहाल, 41.95 करोड़ रुपए की राशि विरोध के रूप में विभाग में जमा करा दी गई थी।

10. हमारी लेखापरीक्षा अवधि और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को कोई हानि नहीं हुई है न ही इस अवधि में किसी प्रकार की संचित हानियां हुई हैं।

11. कम्पनी ऋण मुक्त कम्पनी है, इसलिए वित्त संस्था, बैंक या डिबेंचर धारकों को बकाया की अदायगी में चूक का प्रश्न ही नहीं है।

12. हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा रिकोर्डों की जांच के अनुसार कम्पनी नें शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण और अग्रिमों की अदायगी नहीं की है।

13. हमारी राय में कम्पनी चिट फंड या निधि म्युचुअल हितलाभ फंड/सोसाइटी नहीं है। इसलिए कम्पनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट)आदेश 2003 के खंड 4(13) के उपंबध कम्पनी पर लागू नहीं होते।

14. हमारी राय में कम्पनी शेयरों प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों में लेनदेन या व्यापार नहीं करती है। तद्नुसार कम्पनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट, आदेश 2003 की धारा 4 (14) के उपबंध कम्पनी पर लागू नहीं होते।

15. हमारी राय में बिक्री या वित्तीय संस्थाओं से अन्य पक्षों द्वारा लिए गए ऋण के लिए कम्पनी ने जिन निबंधनों और शर्तों पर उनकी गांरटी दी है वे कम्पनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

16. कम्पनी ऋण मुक्त कम्पनी है, इसलिए आवधिक ऋण जिस प्रयोजन से लिया गया था उसका उपयोग कम्पनी ने किया है उसका प्रश्न नहीं उठता।

17. चूंकि कम्पनी ऋण मुक्त कम्पनी है, इसलिए अल्पकालीन निधियों का प्रयोग दीर्घकालीन निवेशों तथा निदान के लिये किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

18. हमे दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने अधिनियम की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध पक्षों और कम्पनियों को शेयरों का अधिमानी आबंटन नहीं किया है।

19. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

20. वर्ष के दौरान कम्पनी ने पब्लिक इश्यू के जरिए पैसे की उगाही नहीं की है।

21. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी पर या उसके द्वारा किया गया कपट न देखा गया न ही सूचित किया गया है।

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002263एन

(सीए अनुज गुप्ता)
साझेदार
एम. सं. 76560

स्थानः नई दिल्ली
तारीख : 25.07.2012

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 के खंड 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउन्टेट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के अधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 25 जुलाई, 2012 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इनटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों का कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 619 (3)(ख) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है। मेरे लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ विशिष्ट नहीं आया है जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 619 (4) के अंतर्गत सांविधिक लेखपरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रश्न उठाता हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

(दिनेश भार्गव)
प्रधान निदेशक,
रेलवे -वाणिज्यिक

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 08.08.2012

इरकॉन

समेकित वित्तीय विवरण

इरकॉन और उसकी 100% सहायक कम्पनी, इरकॉन आईएसएल

समेकित तुलन पत्र

31 मार्च 2012 को

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	नोट सं	31मार्च 2012 को		31मार्च 2011 को	
I.	**इक्विटी और देयताएं**					
1	**शेयरधारकों की निधियां**					
	(क) शेयर पूंजी	2	**9.90**		9.90	
	(ख) आरक्षित निधियां और अधिशेष	3	**1,724.75**	**1,734.65**	1,369.08	1,378.98
2	**गैर-चालू देयताएं**					
	(क) व्यापार देय	4	**271.46**		700.77	
	(ख) दीर्घकालीन प्रावधान	5	**415.74**	**687.20**	324.78	1,025.55
3	**चालू देयताएं**					
	(क) व्यापार देय	6	**544.13**		452.61	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	7	**1,854.52**		1,407.98	
	(ग) अल्पकालीन प्रावधान	8	**687.85**		676.25	
	(घ)संयुक्त नियंत्रित निकायों में आनुपातिक शेयर		**13.78**	**3,100.28**	34.70	2,571.54
	कुल			**5,522.13**		**4,976.07**
II.	**परिसंपत्तियां**					
	गैर-चालू परिसंपत्तियां					
1	(क) नियत परिसंत्तियां	9				
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां		**193.44**		239.86	
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		**0.01**		0.57	
	(iii) प्रगतिरत मूर्त परिसंपत्तियां	10	**0.25**		-	
	(iv) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	11	**58.36**		28.85	
	(v) संयुक्त नियंत्रित निकायों में आनुपातिक शेयर		**0.01**		1.80	
	(ख) गैर-चालू निवेश	12	**190.89**		180.47	
	(ग) आस्थिगित कर परिसंपत्ति (निवल)	13	**189.39**		131.09	
	(घ) दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम	14	**266.43**		366.73	
	(ड.) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	15	**81.56**	**980.34**	84.14	1,033.51
2	**चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) वर्तमान निवेश	16	**12.51**		-	
	(ख) दरसूचियां	17	**134.51**		164.92	
	(ग) व्यापार प्राप्य	18	**840.42**		874.35	
	(घ) रोकड़ व बैंक शेष	19	**2,603.29**		2,007.90	
	(ड.) अल्पकालीन ऋण और अग्रिम	20	**668.04**		691.84	
	(च) अन्य चालू परिसंपत्तियां	21	**248.22**		157.26	
	(छ) संयुक्त नियंत्रित निकायों में आनुपातिक शेयर		**34.80**	**4,541.79**	46.29	3,942.56
	कुल			**5,522.13**		**4,976.07**
				-		-
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
IV.	वित्तीय विवरण के भाग के रुप में नोट	2-49				

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002263एन

सीए अनुज गुप्ता
साझेदार
एम. सं. 76560

ललिता गुप्ता
कपनी सचिव एवं म. प्र. (विधि)

के. के. गर्ग
निदेशक वित्त

मोहन तिवारी
प्रबन्ध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
तारीख : 25.07.2012

लाभ और हानि का समेकित विवरण

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपए करोड़ में)

	विवरण	नोट सं	2011-12	2010-11
I.	**राजस्व :**			
	प्रचालनों से राजस्व	22	**3,552.40**	3,146.79
	संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों में निर्माण राजस्व में आनुपातिक शेयर		**23.44**	7.44
	अन्य आय	23	**175.68**	71.71
	कुल राजस्व		**3,751.52**	3,225.94
II.	**व्यय:**			
	प्रचालनिक तथा प्रशासनिक व्यय	24		
	- प्रचालनिक व्यय		**2,631.40**	2,405.78
	- प्रशासनिक व्यय		**26.16**	27.07
	कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	25	**157.36**	165.06
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	9	**56.83**	36.90
	प्रावधान (निवल)	26	**249.14**	190.11
	संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों में व्यय का आनुपातिक शेयर		**20.97**	0.83
	कुल व्यय		**3,141.86**	2,825.75
III.	**असामान्य मदों और कर से पूर्व लाभ (I - II)**		**609.66**	400.19
IV.	पूर्व अवधि समायोजन	27	**(11.23)**	(2.17)
V.	**कर पूर्व लाभ (III + IV)**		**598.43**	398.02
VI.	कर व्यय			
	(1) चालू कर			
	- वर्ष के लिए		**222.51**	179.87
	- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		**(30.74)**	24.59
	(2) आस्थगित कर (निवल)	13	**(58.30)**	(43.70)
	कुल कर व्यय		**133.47**	160.76
VII.	**वर्ष के लिए लाभ (V - VI)**		**464.96**	237.26
VIII.	प्रति शेयर आमदनी - मूलभूत तथा विलयित(रु.में)	48	**469.75**	242.99
IX.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
X.	वित्तीय विवरण के भाग के रुप में नोट	2-49		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002263एन

सीए अनुज गुप्ता
साझेदार
एम. सं. 76560

ललिता गुप्ता
कपनी सचिव एवं म. प्र. (विधि)

के. के. गर्ग
निदेशक वित्त

मोहन तिवारी
प्रबन्ध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
तारीख : 25.07.2012

समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपए करोड़ में)

		2011-12		2010-11	
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		609.66		400.19	
निम्न के लिए समायोजन:					
मूल्यह्रास		56.84		37.52	
निवेश पर प्रीमियम का हानिकरण		0.36		0.20	
प्राथमिक व्यय बट्टा खाता		-		0.06	
निवेश में हानिकरण		5.53		-	
परिसंपतियों (निवल) की बिक्री पर हानि/(लाभ)		(8.39)		(5.01)	
ब्याज आय		(154.03)		(55.38)	
प्रावधान - जमा (पश्चलिखित) निवल		249.14		190.11	
विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव		15.95		24.06	
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	(1)	775.06		591.75	
निम्न के लिए समायोजन:					
व्यापार प्राप्यों/ऋण और अग्रिम में कमी (वृद्धि)		158.03		(584.43)	
मालसूचियों में कमी (वृद्धि)		30.41		58.41	
अन्य परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि)		(47.36)		(13.93)	
व्यापार देय राशियों में कमी (वृद्धि)		91.52		(56.31)	
अन्य देयताओं और प्रावधानों में कमी (वृद्धि)		(368.35)		849.34	
जेसीई चालू परिसम्पतियों में कमी/(वृद्धि)		11.49		0.28	
जेसीई चालू देयताओं में कमी/(वृद्धि)		(20.92)		(2.38)	
	(2)	(145.18)		250.98	
प्रचालन से सृजित रोकड़	(1-2)	629.88		842.73	
पूर्व अवधि व असाधारण मदों से पूर्व रोकड़ प्रवाह		629.88		842.73	
पूर्व अवधि व असाधारण मदें		(11.23)		(2.17)	
निवेश गतिविधियों से निवल नगदी	(क)		618.65		840.56
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद		(44.30)		(74.26)	
स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री		13.09		7.41	
प्राप्त ब्याज		112.99		48.75	
इक्विटी और बांडों में निवेश		(28.82)		(51.14)	
जेसीई स्थिर परिसम्पत्तियों में कमी (वृद्धि)		1.79		0.16	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी	(ख)		54.75		(69.08)
वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
भुगतान किया गया लाभांश (निगमित कर सहित)		(62.06)		(48.25)	
जेसीई ऋण निधि में (कमी)/वृद्धि		-		(5.29)	
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी	(ग)		(62.06)		(53.54)
विदेशी मुद्रा रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव	(घ)		(15.95)		(24.06)
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	(क+ख+ग+घ)		595.39		693.88
नगदी तथा नगदी समतुल्य (आरंभिक)	(ङ)		2,007.90		1,314.02
नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम)	(च)		2,603.29		2,007.90
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	(च-ङ)		595.39		693.88

नोट : 1. नगदी तथा नगदी समतुल्यों में कैश-इन-हैंड तथा बैंकों में शेष शामिल हैं।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े रोकड़ के आऊटफ्लो को दशार्ते हैं।
3. पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां कहीं आवश्यक हुआ पुनः समूहित किए गए हैं।
4. नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम) में **शून्य रुपए** (15.22 करोड़ रु.) के एफडीआर शामिल हैं।
5. ईएमडी के प्रति ठेकदारों से प्राप्त नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम) में **12.32 करोड़ रु.** (3.81 करोड़ रु.) की मार्जिन मनी शामिल हैं तथा ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के प्रति **514.02 कराड़े रु.** (406 करोड़ रु) जिस पर उन्हें ब्याज दिया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार | **निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से**

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002263एन

सीए अनुज गुप्ता	**ललिता गुप्ता**	**के. के. गर्ग**	**मोहन तिवारी**
साझेदार	कपनी सचिव एवं म. प्र. (विधि)	निदेशक वित्त	प्रबन्ध निदेशक

एम. सं. 76560
स्थानः नई दिल्ली
तारीख : 25.07.2012

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

(i) तैयार करने के आधार

क) वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर प्रोद्‌भवन आधार पर तथा निरन्तर तथा वस्तुता के आधारभूत लेखाकरण सिद्धान्तों की तर्ज पर तैयार किए जाते हैं।

ख) वित्तीय विवरण भारतीय रूपए में दर्शाए जाते हैं तथा सभी मूल्य करोड़ रुपए सहित दो दशमलव बिन्दुओं के निकटवर्ती रूप में होते हैं बशर्ते अन्यथा दर्शाया गया हो।

(ii) समेकित वित्तीय विवरण

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को अंतर-समूह शेषों तथा अंतर-समूह समव्यवहारों पर अवास्तविक लाभ/हानि को समाप्त करने के पश्चात, परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय जैसे समान मदों की बही मूल्य को जोड़कर रेखा-दर-रेखा आधार पर समेकित किया जाता है, और यथासंभव कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के समान ही प्रस्तुत किया जाता है।

(iii) अनुपालन विवरण

वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण नियमों तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

(iv) विदेशी मुद्रा सौदे

क) देश के भीतर सौदे

देश के भीतर विदेशी मुद्रा सौदों को निम्न रीति से रूपान्तरण किया जाता है:

1) समस्त विदेशी मुद्रा सौदों का भारतीय मुद्रा रूपांतरण सौदे की तारीख पर प्रचलित क्रय दर पर किया जाता है।

2) मूल्यह्वास को उन दरों पर परिवर्तित किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपतियों के मूल्य परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, जिन पर मूल्यह्वास का परिकलन किया गया है।

3) मौद्रिक मदों और आकस्मिक देयताओं का विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य के परिवर्तन प्रचलित बंद क्रय दर पर किया जाता है।

4) स्थिर परिसंपत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर क्रय दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।

ख) एकीकृत विदेशी प्रचालनों में संव्यवहार

विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्न प्रकार किया जाता है।

1) राजस्व मदों को अंतरण की तिथि को क्रय दर के आधार पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

2) मालसूचियों को प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को क्रय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

3) मूल्यह्वास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपत्तियों का मूल्य परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है जिन पर मूल्यह्वास का परिकलन किया गया है।

4) मुद्रित मदें तथा आकस्मिक देयताएं अंतिम क्रय का उपयोग प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर करके परिवर्तित की जाती हैं।

5) स्थिर परिसम्पत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर क्रय का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।

ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) पर रूपान्तरणों के परिणामस्वरूप निवल विनिमय अंतरों को वर्ष के लिए आय या व्यय के रुप में लिया गया है।

घ) गैर एकीकृत विदेशी प्रचालनों के संव्यवहार

गैर-एकीकृत विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित प्रकार से रूपांतरित किया जाता हैं -

1) परिसम्पत्तियों तथा दायित्व, मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक दोनों को अंतिम क्रय दर पर रूपांतरित किया जाता है।

2) आय और व्यय मदों को संव्यवहार की तिथि को क्रय दर के औसत पर रूपांतरित किया जाता है।

3) सभी परिणामी विनियम अंतर को शुद्ध निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि में एकत्र किया जाता है तथा इसे उसी अवधि में आय या व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें निपटान पर लाभ या हानि को पहुंचाया गया है।

(v) स्थिर परिसम्पत्तियाँ

क) स्थिर परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्वास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है।

ख) मशीनरी स्पेयर्स जो केवल स्थिर परिसंपत्तियों के मद के संबंध में उपयोग किए जा सकते हैं और जिनका उपयोग अधिनियमित होने की प्रत्याक्षी है, उन्हें पूंजीगत किया जाता है।

ग) वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख तक किए गए निर्माण अवधि के दौरान प्रासांगिक व्यय को पूंजीगत किया जाता है।

(vi) निवेश

क. दीर्घकालिक निवेशों का मूल्यांकन लागत पर मूल्य में स्थायी गिरावट के लिए प्रावधान को घटाकर किया जाता है।

ख. चालू निवेशों को लागत पर या उचित मूल्य पर, जो भी कम हो, आंका जाता है।

ग. भूमि या भवन पर निवेश, जो कि कंपनी द्वारा व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने या प्रचालन के लिए नहीं है, को निवेश परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निवेश परिसंपत्तियों को लागत पर, संचित मूल्य ह्रास तथा संचित हानियों, यदि कोई हो, के निवल पर उल्लिखित किया गया है।

(vii) मालसूचियाँ

क) प्रगतिरत निर्माण कार्य

प्रगतिरत निर्माण कार्य का मूल्य लागत पर निकाला जाता है, तब तक कार्य के आउटकम को विश्वसनियता के साथ तथा विश्वसनीय मूल्य पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साइट मोबलाइजेशन व्यय को बट्टे खाते के स्तर तक लागत पर ही मूल्यित किया जाता है।

ख) अन्य

i) लागत लाभ ठेकों में, सभी सामग्रियों, स्पेयर्स और भंडारों जो संविदा की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य नहीं है उन्हें नीचे (iii) के अनुसार दर सूची मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।

ii) मद दर और एकमुश्त ठेकों के संबंध में, सभी सामग्रियों (पूंजीकृत को छोड़कर) के उपयोग को वर्ष लाभ और हानि विवरण प्रभारित किया जाता है।

iii) मालसूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक आधार पर और वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

iv) अबद्ध औजारों को क्रय वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(viii) रोकड़ एवं रोकड़ समान

रोकड़ एवं बैंक शेष में बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, उपलब्ध चैक, मांग जमा तथा तुलन पत्र की तिथि से 12 महीने के भीतर की अवधि में परिपक्व होने वाली बैंक जमा खाते शामिल होते हैं।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

(ix) प्रावधान

क. अनुरक्षण के लिए प्रावधान

i) लागत और नियत लाभ ठेकों के मामलों में अनुरक्षण करने की आवश्यकता है।

ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के मामलों में खराबी/सुधार के लिए कम्पनी का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है जिसमें संविदागत बाध्यता, उप ठेकेदारों की बाध्यता, प्रचालन आवर्त और अन्य संगत कारकों को ध्यान मे रखा जाता है।

iii) न्यूनतम 50 लाख और अधिकतम ग्राहक के साथ संविदा करार में विनिर्दिष्ट अभिकल्प गारंटी की राशि के मद्देनजर प्रत्येक संविदा में प्रबंधन के संभावित जोखिम के आधार पर अभिकल्प गारंटी अवधि के दौरान अनिश्चित व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है।

ख) विनियोजन के लिए प्रावधान

विदेशी परियोजनाओं में श्रमशाक्ति तथा संयंत्र व उपकरण के विनियोजन पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

ग) संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान किया जाता है, जब देयों की अवधि को ध्यान में रखे बिना इनकी वसूली अनिश्चित हो । तीन वर्षों से अधिक अवधि के बकायों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है बशर्ते यह राशि वसूलनीय समझी जाय। ऋणों/अग्रिमों को बट्टे खाते डाल दिया जाता है, जब उनकी अनिश्चितता स्थापित हो जाए।

घ) अन्य

प्रावधान किए जाते हैं जब :-

1) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में कम्पनी का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,

2) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की सम्भावना हो, और

3) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

(x) संविदा राजस्व का लेखांकन

''संविदा राजस्व'' का अनुमान उस स्तर तक लगाया जाता है जहां तक यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलते रहेंगे तथा राजस्वों का विश्वसनीय तौर पर आकलन किया जा सकेगा। संविदा प्रकृति के आधार पर राजस्व का अनुमान निम्न रूप में किया जाता है।

(क) लागत और नियत लाभ ठेकों की प्राप्तियों का आकलन ग्राहकों को भेजे जाने वाले बिलों में व्यय की स्वीकार्य मदें और उन पर निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रभारित करके किया जाता है।

(ख) नियत मूल्य ठेकों में राजस्व का आकलन प्रमाणित कार्य की सम्पूर्ण लागत तथा पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए आनुपातिक लाभ को शामिल करके किया जाता है। पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का निर्धारण उस तारीख को लगाई गई लागत के ठेके की कुल अनुमानित लागत के अनुपात के रुप में किया जाता है ।

इस अवधि में किसी भी हानि के लिए पूर्ण प्रावधान होता है।

प्राप्तियों की बिक्रीकर आदि, जैसे लागू हो, सम्मिलित है।

(xi) संयुक्त उद्यम के अधीन निष्पादित ठेके :

संयुक्त उद्यम के अधीन निष्पादित ठेके

(क) संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालनों में ठेकों को स्वतंत्र ठेके के रूप में लेखांकरण किया जाता है।

(ख) संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के द्वारा निष्पादित ठेकों के मामलों में संयुक्त उद्यम में हुए लाभ/हानि को उनके निर्धारण के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

(xii) पट्टे

(क) प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों की पट्टा अदायगी अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि लेखा विवरण में व्यय/आय के रूप में लिया गया है।

(ख) प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों की पट्टा आय को पट्टा अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि विवरण में व्यय/आय के रूप में लिया गया है।

(xiii) निर्णीत हर्जाना और वृद्धि

(क) वास्तविक रूप से प्रदत्त/वसूले गये निर्णीत हर्जाने को संविदा राजस्व/संविदा लागत के प्रति समायोजित किया जाएगा। संविदागत बाध्यता से उत्पन्न निर्णीत हर्जाने लेकिन वार्ता अधीन और अदा करने योग्य नहीं और ग्राहक से वसूला नहीं गया, को प्रासंगिक देयता के रूप में माना जाता है।

(क) वृद्धि प्राप्य/देय को ठेके के प्रावधान के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। वृद्धि प्राप्य लेकिन परियोजना लेखाओं को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व प्रमाणित न हो तो, उसे चालू कार्य में शामिल किया जाता है।

(xiv) अनुसंधान और विकास व्यय

अनुसंधान और विकास व्यय आय को प्रभारित किए जाते हैं।

(xv) संसाधनों को जुटाने पर व्यय

संसाधनों को जुटाने के लिए नई परियोजनाओं पर आरम्भिक ठेका व्ययों का निर्धारण उस कार्य के वर्ष में प्रगतिरत निर्माण कार्य के रुप में किया जाता है जिसे वित्त वर्ष के अन्त में ठेके के पूरा होने के स्तर पर उसी प्रतिशत में आगामी वर्षो के लिए परियोजना में पूर्व दरों पर प्रभारित माना जाएगा ।

(xvi) मूल्यह्रास एवं परिशोधन

क) भारत में स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास सीधी लाइन विधि (एसएलएम) से कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची xiv में विहित रीति और विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है सिवाय निम्न मामलों में जिनके लिए उपर्युक्त अनुसूची में विहित दरों से अधिक दरें प्रदान की गई है :-

i)	सामान्य निर्माण उपस्कर	19.00%
ii)	कार्यालय उपस्कर	19.00%
iii)	यूपीएस और इनवर्टर और मोबाइल हैडसेट सहित कम्प्यूटर	31.67%
iv)	वाहन (भारी वाहनों सहित)	23.75%
v)	फर्नीचर और जुड़नार	23.75%
vi)	स्पीड बोट्स	19.00%

ख) विदेशों में स्थिर परिसम्पत्तियों तथा निवेश संपत्तियों पर मूल्यह्रास परिसम्पत्ति के वाणिज्यिक काल परियोजना की अवधि आदि को ध्यान में रखकर सीधी लाइन विधि पर किया गया है। तथापि मूल्यह्रास की अपनाई गई दर भारत मे स्थिर परिसम्पतियों के लिए अनुसूची xiv में विनिर्दिष्ट दर से कम नहीं है(जैसा कि उपर्युक्त पैरा xv(क)में बताया गया है)। परियोजना के बंद होने पर परिसम्पत्तियां वास्तविक मूल्य के 5% तक कम हो जाती है तथा शेष को वर्ष की समाप्ति में प्रभारित और/या अन्य परियोजना/संयंत्र मशीनरी विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

ग) 25 लाख रूपए से अधिक प्रत्येक साफ्टवेयर लागत को प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में समीक्षा करके साफ्टवेयर को सफलतापूर्वक शुरू करने की तारीख से सीधी लाइन विधि आधार पर 36 माह की अवधि में परिशोधित किया जाता है। प्रत्येक मामले में 25 लाख रुपए तक की साफ्टवेयर लागत को क्रय के वर्ष में पूर्णत् मूल्यह्रास किया जाएगा।

घ) पट्टे की भूमि के संबंध में मूल्यह्रास पट्टे की अवधि के अनुपात में प्रदान किया ााता है।

ड) वर्ष के दौरान अधिग्रहित 5000 रू. तक की लागत वाली परिसम्पत्तियों तथा वर्ष के आरंभ में 5000 रू. तक हासिल मूल्य की परिसम्पत्तियों और वर्ष के दौरान उपार्जित कैंपों/करवेनों/अस्थायी शेडों/साजोसामान, चाहे मूल्य कुछ भी हो, को वर्ष में पूर्णतः हासिल किया ााता है।

(xvii) उधार लागतें

क) सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रुप में प्राभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं।

ख) पूँजीगत परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उतरदायी उधार लागतों को पूंजीगत किया जाता है।

(xviii) सेवानिवृत्ति लाभ

क) छुट्टी नकदीकरण, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर वर्ष के अंत में किया गया है।

ख) भविष्य निधि अंशदान को पीएफ न्यास में प्रोद्‌भवन आधार पर किया गया है।

ग) पेंशन के लिए परिभाषित अंशदान को संचित आधार पर लाभ व हानि विवरण से प्रभारित किया जाएगा।

(xix) पूर्व अवधि समायोजन और अन्य मदें

क) आय/व्यय से संबंधित पूर्व अवधि और पूर्वदत व्यय जो प्रत्येक मामले में 50000 रू से अधिक न हों, उन्हें चालू वर्ष का आय/व्यय माना जाता है।

ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबधित व्ययों को व्यय-भार के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(xx) कर

क) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है। अतिरिक्त करों या दायित्वों, यदि कोई हो, जैसे ही और जब निर्धारण पूरा होता है, उनका प्रबन्ध/अदायगी कर दी जाती है।

ख) आस्थगित आयकर का निर्धारण तुलनपत्र की तारीख तक बनाई गई या वास्तविक रूप से बनाई गई कर दरों और कर कानूनों के आधार पर किया जाता है।

(xxi) खण्ड रिपोर्टिंग

कंपनी ने परियोजना की भौगोलिक अवस्थिति यथा, देशीय और अंतर्राष्ट्रीय आधार पर दो प्राथमिक रिपोर्टिंग खण्डों की और निर्माण व्यवसाय और परिसम्पतियों को पट्टे पर देने और इसके प्रचालनों पट्टे पर और प्रचालन के आधार पर दो द्वितीयक रिपोर्टिंग खंडों की पहचान की है।

(xxii) आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।

i) भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हो, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या

ii) वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हो; या

iii) एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

ख) आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

2 शेयर पूंजी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को	31मार्च 2011 को
प्राधिकृत 2,50,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु.	**25.00**	25.00
निगमित, अभिदत्त और प्रदत्त 98,98,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु.- पूर्णत प्रदत्त	**9.90**	9.90
कुल	**9.90**	**9.90**

i) धारित शेयरों की संख्या का वितरणः

विवरण	31मार्च 2012 को		31मार्च 2011 को	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति तथा सरकारी नामितियों के नाम पर भारत सरकार का	**9,871,200**	**99.729%**	9,871,200	99.729%
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	**24,400**	**0.247%**	24,400	0.247%
बैंक आफ इंडिया	**2,400**	**0.024%**	2,400	0.024%
कुल	**98,98,000**	**100%**	**98,98,000**	**100%**

ii) पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी बोनस शेयर : शून्य शून्य

निदेशक मंडल ने 1:1 के अनुपात में वर्ष 2012-13 के लिए बोनस शेयरों को जारी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है बशर्ते आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारक इसे स्वीकृति प्रदान करें।

iii) कपनी के शेयर बंबई स्टॉक एक्सचेंज से (03.11.2011 से) तथा दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज से (15.03.2012 से) डी-लिस्टिड हो गए हैं।

iv) शेयरों के साथ संलग्न शर्तें और अधिकारः

कंपनी में केवल 10 रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है। कंपनी भारतीय रुपए में लाभांश की घोषणा और भुगतान करती है। अंतरिम लाभांश की स्थिति को छोड़ कर निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के बाद ही जारी किए जाते हैं।

कपनी के दिवालियेपन की स्थिति में शेयरधारक सभी प्रेफरेंशियर राशियों के वितरण के पश्चात, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इनका संवितरण शेयरधारकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

3 आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को		31मार्च 2011 को	
क. सामान्य आरक्षित निधिया				
अधिशेष	**1,369.08**		1,181.68	
जोड़ें: लाभ और हानि विवरण में अतिरेक से अंतरित (नीचे- घ का संदर्भ लें)	**355.67**	**1,724.75**	187.40	1,369.08
ख. विदेशी परियोजना आरक्षित निधि				
अधिशेष	-		2.90	
घटा: चालू वर्ष में बट्टा खाता	-	-	2.90	-
ग. आवासीय परियोजनाएं आरक्षित निधियां				
अधिशेष	-		4.80	
घटा: चालू वर्ष में बट्टा खाता	-	-	4.80	-
घ. लाभ और हानि विवरण में अतिरेक				
चालू वर्ष के लिए निवल लाभ	**464.96**		237.26	
जमा: आरक्षित निधियों से अंतरण	-		7.70	
	464.96		244.96	
घटा: विनियोजन				
-अंतरिम लाभांश (प्रति शेयर लाभांश रु. 30/- (रु. 26/-)	**29.69**		25.73	
-प्रस्तावित लाभांश (प्रतिशेयर लाभांश 65/- (रु. 24/-)	**64.34**		23.76	
-अंतरिम लाभांश पर कर	**4.82**		4.28	
-प्रस्तावित लाभांश पर कर	**10.44**		3.79	
-सामान्य आरक्षित निधियों में अंतरण	**355.67**	-	187.40	-
कुल		**1,724.75**		**1,369.08**

4 दीर्घकालीन देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को	31मार्च 2011 को
(क) व्यापार देय राशियां		
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग (नोट 45 का संदर्भ लें)	-	-
- अन्य	**5.37**	15.53
(ख) अन्य देयताएं		
- ग्राहकों से अग्रिम (i)	**151.86**	544.77
- प्रतिधारण राशि/प्रतिभूति जमा (ii)	**114.23**	140.47
कुल	**271.46**	**700.77**

(i) ग्राहकों से अग्रिमों पर देय ब्याज शामिल है - रु. **5.57 करोड़** (रु. 0.87 करोड़)

(ii) ठेकेदारों से सावधि जमा राशियों के रुप में प्राप्त अग्रिम राशि सहित रु. **22.04 करोड़** (रु. 28.42 करोड़)

5 दीर्घकालीन प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को		31मार्च 2011 को	
(क) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान: (नोट सं 43 का संदर्भ लें)				
i) उपदान	**46.77**		38.91	
ii) छुट्टी वेतन के लिए	**52.44**		52.20	
iii) सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान	**1.45**		1.40	
iv) पेंशन	**12.80**	**113.46**	9.20	101.71
(ख) अन्य प्रावधान:				
i) विसंग्रहण के लिए	**18.12**		15.17	
ii) अनुरक्षण के लिए	**63.89**		31.74	
iii) भावी आकस्मिकताओं के लिए	**4.29**		9.34	
iv) डिजाइन गारंटी	**183.34**		129.69	
v) अन्य व्यय	**32.64**	**302.28**	37.13	223.07
कुल		**415.74**		**324.78**

6 व्यापार देय राशियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को	31मार्च 2011 को
व्यापार देय राशियां		
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग (नोट 45 का संदर्भ लें)	-	-
- अन्य		
(क) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता	**518.11**	433.75
(ख) स्टाफ	**14.64**	7.78
(ग) संबंधित पक्ष	**11.38**	11.08
कुल	**544.13**	**452.61**

7 अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को	31मार्च 2011 को
(क) अग्रिम ठेका प्राप्तियां	**590.02**	780.48
(ख) ग्राहकों से अग्रिम राशियां (i)	**926.68**	416.08
(ग) जमा राशियां व प्रतिधारण राशि (ii)	**301.49**	156.08
(घ) सांविधिक देय राशियां	**23.31**	15.78
(ड) बुक ओवरड्राफ्ट	-	3.42
(च) अन्य (iii)	**13.02**	36.14
कुल	**1,854.52**	**1,407.98**

i) ग्राहकों से अग्रिम राशियों पर देय व्याज सहित **रु. 103.33 करोड़** (रु. 25.63 करोड़)

ii) ठेकेदारों से प्राप्त सावधि जमा अग्रिम राशियों सहित **रु. 12.23 करोड़** (रु. 3.81 करोड़)

iii) बकाया व अन्य देयताओं सहित

8 अल्पकालीन प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को		31मार्च 2011 को	
(क) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान:				
(नोट सं 43 का संदर्भ लें)				
i) उपदान	**2.86**		1.63	
ii) छुट्टी वेतन के लिए	**5.15**		1.82	
iii) सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान	**0.13**		0.05	
iv) कार्यनिष्पादन संबंधित वेतन	**12.11**	**20.25**	23.11	26.61
(ख)अन्य प्रावधान:				
i) विसंग्रहण के लिए	**10.03**		0.31	
ii) अनुरक्षण के लिए	**19.77**		5.68	
iii) भावी आकस्मिकताएं	**13.21**		10.84	
iv) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	**3.34**		0.78	
v) कानूनी मामले	**59.79**		29.90	
vi) अन्य व्यय	**41.39**		32.14	
vii) आय कर तथा संपत्ति कर	**445.30**		542.38	
viii) लाभांश (प्रस्तावित)	**64.34**		23.76	
ix) लाभांश पर कर (प्रस्तावित)	**10.43**	**667.60**	3.85	649.64
कुल		**687.85**		**676.25**

9 स्थिर परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	स्थिर परिसंपत्तियाँ	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यहृास				निवल ब्लाक	
		01.04.2011को	जमा	बिक्री/ समायोजन	31-3-2012 को	31-3-2011 तक	वर्ष के लिए	बिक्री/ समायोजन	31.03.2012 तक	31.03.2012 को	31.03.2011 को
क	**मूर्त परिसंपत्तियां**										
	स्वामित्व भूमि	3.45	-	-	**3.45**	-	-	-	-	**3.45**	3.45
	पट्टे की भूमि (i व v)	36.40	-	-	**36.40**	0.15	0.01	-	**0.16**	**36.24**	36.25
	पट्टे के भवन (iv)	40.11	0.11	-	**40.22**	3.61	0.74	-	**4.35**	**35.87**	36.50
	पूर्णस्वामित्व भवन/फ्लैट आवासीय	9.30	-	-	**9.30**	2.89	0.15	(0.66)	**2.38**	**6.92**	6.41
	पूर्णस्वामित्व भवन/फ्लैट गैर आवासीय	10.64	-	-	**10.64**	0.43	0.25	0.66	**1.34**	**9.30**	10.21
	संयंत्र और मशीनरी (ii व vi)	363.58	11.59	(27.07)	**348.10**	224.62	50.49	(22.71)	**252.40**	**95.70**	138.96
	सर्वेक्षण संयंत्र	4.06	0.07	(0.60)	**3.53**	3.52	0.23	(0.59)	**3.16**	**0.37**	0.54
	कम्प्यूटर	8.36	0.51	(0.52)	**8.35**	7.31	0.62	(0.46)	**7.47**	**0.88**	1.05
	मोबाईल हैंडसेट	-	0.03	0.22	**0.25**	-	0.03	0.18	**0.21**	**0.04**	
	कार्यालय उपस्कर	7.34	0.71	(1.13)	**6.92**	6.05	0.78	(0.96)	**5.87**	**1.05**	1.29
	फर्नीचर, जुडनार और फर्निशिंग	7.48	0.60	(0.40)	**7.68**	6.75	0.50	(0.39)	**6.86**	**0.82**	0.73
	कैरबन, कैम्प और उपस्थायी शैड	7.10	0.13	(0.86)	**6.37**	7.05	0.19	(0.91)	**6.33**	**0.04**	0.05
	वाहन (vi)	18.44	0.79	(3.15)	**16.08**	14.00	2.29	(2.97)	**13.32**	**2.76**	4.44
	चालू वर्ष का जोड़	**516.25**	**14.54**	**(33.51)**	**497.29**	**276.38**	**56.28**	**(28.81)**	**303.85**	**193.44**	**239.86**
	पिछले वर्ष के आंकड़े	482.48	52.95	(19.18)	**516.25**	256.21	36.96	(16.78)	**276.39**	**239.86**	226.26
ख	**अमूर्त परिसंपत्तियां**										
	सॉफटवेयर	1.68	-	-	**1.68**	1.11	0.56	-	**1.67**	**0.01**	0.57
	चालू वर्ष का जोड़	**1.68**	**-**	**-**	**1.68**	**1.11**	**0.56**	**-**	**1.67**	**0.01**	**0.57**
	पिछले वर्ष के आंकड़े	1.67	-	-	**1.68**	0.54	0.56	-	**1.11**	**0.57**	1.13
	चालू वर्ष का सकल योग	**517.93**	**14.54**	**(33.51)**	**498.97**	**277.49**	**56.84**	**(28.81)**	**305.52**	**193.45**	**240.43**
	पिछले वर्ष के आंकड़े	484.15	52.95	(19.18)	**517.93**	256.75	37.52	(16.78)	**277.49**	**240.43**	227.39

i) कसबा -कोलकाता में पट्टे की भूमि के संबंध में पंजीकरण, जिनके लिए सकल ब्लाक (0.24 करोड़ रूपए) तथा निवल ब्लाक (0.22 करोड़ रू) लंबित हैं। तत्पश्चात् मूल्यहास का आकलन अनन्तिम आधार पर 0.02 करोड रूपए के पंजीकरण प्रभार सहित लागत पर किया जाता है। निर्माण कार्य अभी आरंभ किया जाना हैं। पट्टे की अवधि 99 वर्ष है।

ii) अल्प पट्टा व स्टेंडबाय पर इंजन सहित

iii) वर्ष के लिए मूल्यह्रास का आवंटन निम्नानुसार है (नोट सं 46 का भी संदर्भ लें):-

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
लाभ और हानि का विवरण		
चालू	**56.83**	36.90
पिछली अवधि	**-**	0.61
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	**0.01**	0.01
कुल	**56.84**	37.52

iv) इसमें 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि(सकल मूल्य 5.30 करोड़ रु) शामिल है जिसके लिए करार को अंतिम रुप दिया जाना है।

v) कंपनी द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय निरीक्षण कक्ष के निर्माण के लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि सहित पट्टा धारक भूमि (सकल मूल्य 0.80 करोड़)। भवन के निर्माण के लिए समय बढ़ानें का अनुरोध सक्षम प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया है।

vi) मितव्ययी रुप से मरम्मत न की जा सकने वाली नियत परिसंपत्तियां जिन्हें निपटान के लिए अलग रखा गया है, उन्हें बिक्री/समायोजन कॉलम से निकाल कर अन्य चालू परिसंपत्तियों में अंतरित किया गा है।

(₹ करोड़ में)

परिसंपति ब्लाक	मार्च 2012 को		मार्च 2011 को	
	सकल ब्लॉक	निवल ब्लाक	सकल ब्लॉक	निवल ब्लाक
संयंत्र एवं मशीनरी	**3.30**	**0.01**	-	-
वाहन	**2.06**	**-**	-	-
कुल	**5.36**	**0.01**	**-**	**-**

10 प्रगतिरत अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को	31मार्च 2011 को
वर्ष के दौरान जोड़- एसएपी का क्रियान्वयन	**0.25**	-
कुल	**0.25**	-

11 पूंजीगत चालू कार्य*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को	31मार्च 2011 को
अधिशेष	**28.85**	2.26
वर्ष के दौरान जमा		
- कार्य संबंधी व्यय	**27.11**	23.89
- खरीदी व उपभोग की गई सामग्री	**-**	0.03
- मूल्यह्रास	**0.01**	0.01
- वेतन , पारिश्रमिक तथा लाभ	**1.43**	1.46
- भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	**0.08**	0.06
- अभिकल्प, आरेखण,व्यावसायिक विकास तथा परामर्श प्रभार	**0.18**	0.77
- निरीक्षण, भू-तकनीकी परीक्षण तथा सर्वेक्षण व्यय आदि	**0.02**	
- किराया - गैर-आवासीय	**0.03**	0.03
- दरें और कर	**0.16**	0.12
- वाहन प्रचालन और अनुरक्षण	**0.01**	0.01
- मरम्मन और अनुरक्षण		
-मशीनरी	**-**	0.01
-कार्यालय तथा अन्य	**0.02**	-
- मशीनों का किराया प्रभार	**-**	0.01
- यात्रा व्यय	**0.08**	0.11
- पोस्टेज, टेलीफोन व टेलेक्स	**0.01**	0.01
- सुरक्षा सेवाएं	**0.02**	
- विधिक तथा व्यावसायिक प्रभार	**0.02**	0.01
- लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक	**0.01**	0.01
- पूर्व अवधि व्यय	**0.27**	
- विज्ञापन और प्रचार	**0.03**	0.02
- विविध प्रचालनिक व्यय	**0.02**	0.03
कुल	**58.36**	**28.85**

***प्रगतिरत पूंजीगत कार्य का विवरण**

केंद्रीय निरीक्षण कक्ष(सी आई सी नोएडा)	**1.98**	1.77
क्षेत्रीय कार्यालय बैंगलोर का निर्माण	**0.06**	-
श्रीलंका में कैंप/वेज ब्रिज का निर्माण	**0.36**	-
बहुउद्देशीय परिसर	**55.96**	27.08
	58.36	**28.85**

12 गैर-चालू निवेश

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31मार्च 2012 को			31मार्च 2011 को		
		संख्या	राशि (₹ करोड़ में)		संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	
क	**व्यापार निवेश (लागत पर)** **कोट न किए गए** **पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयरों में निवेश:** **एकीकृत संयुक्त उपक्रमों में** सीसीएफबी मोज़ांबिक						
	मैटीशियस 24000 प्रत्येक के 12,50,000 इक्विटी शयेर (1)	**12,50,000**	**5.53**		12,50,000	5.53	
	घटा: निवेश की हानि के लिए प्रावधान (नोट सं 41 का संदर्भ लें)		**5.53**	-		-	5.53
	इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा.लि. (आईएसटीपीएल) (ii क तथा ख)						
	10 रू. प्रत्यके के पूर्णत प्रदत्त 6,38,70,000 इक्विटी शेयर	**6,38,70,000**	**63.87**		6,38,70,000	63.87	
	कुल (क)			**63.87**			69.40
ख	**अन्य निवेश** **कोट किए गए** **बांडों में निवेश**						
	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाईनांस कम्पनी लि. के 6.85% कर मुक्त बांड	**6,000**	**61.07**		6,000	61.27	
	घटाएं: निवेश पर प्रदत्त प्रीमियम		**0.36**	**60.71**		0.20	61.07
	6.00% भारतीय रेल वित्त कम्पनी लि. के कर मुक्त बांड	**5,000**		**50.00**	5,000		50.00
	8.00% भारतीय रेल वित्त कम्पनी लि. के कर मुक्त बांड	**163,131**		**16.31**	-		-
	कुल (ख)			**127.02**			111.07
	कुल			**190.89**			**180.47**

कोट किए/बिना कोट किए निवेशों का प्रकटन:-			(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
कोट नहीं किए गए निवेश का पूर्ण योग	-	खाता मूल्य	**63.87**	69.40
कोट किए गए निवेश का पूर्ण योग	-	खाता मूल्य	**127.02**	111.07
	-	बाजार मूल्य	**123.84**	111.24

i) मैटिकल्स 24000 का एक इक्विटी शेयर 44.27 रुपए के बराबर है ।

ii) (क) उन आठ बैंकों के कसोर्टियम के साथ प्रतिबद्धता, जिनसे आई एस टी पी एल ने 450 करोड़ रूपए का ऋण लिया है जिसका वर्ष 2011-12 में पूर्णतः भुगतान कर दिया गया है। तथापि, प्रतिभूत शेयर अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। आठ बैंकों के कंसार्टियम द्वारा प्रतिभूति शेयर जारी किए जाने पर, 30 प्रतिशत शेयर पंजाब नेशनल बैंक को प्रतिभूत किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, 21 प्रतिशत की वर्तमान धारिता का निपटान न किए जाने के लिए कपनी ने पंजाब नेशनल बैंक को एक वचन दिया है।

(ख) आई एस टी पी एल के संगम अनुच्छेद (अनुच्छेद-5) के अनुसार एन एच ए आर्द के साथ दिनांक 28 सितंबर 2005 को हस्ताक्षरित करार, जिसमें निर्माण अवधि तथा उसके पश्चात् सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि) आई एस टी पी एल में कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा 51% से अधिक इक्विटी हमारी होनी चाहिए, के मद्देनजर शेयरधारक तीन वर्ष के पश्चात् ही अपने शेयर हस्तांतरित कर पाएंगे और वाणिज्यिक प्रचालन 19.04.10 को आरम्भ हुआ था । उपर्युक्त शेयर धारकों के प्रीएम्पशन-अधिकार के मद्देनजर तत्पश्चात् उपर्युक्त शेयरधारिता को 26% तक कम किया जा सकता है।

13 आस्थगित कर परिसम्पतियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	01-04-2011 को	वर्ष के दौरान योग (लोप)	31 मार्च 2012 को
	कुल	कुल	कुल
परिसम्पतियाँ			
प्रावधान :			
- अनुरक्षण और विसंग्रहण के लिए	13.97	2.77	**16.74**
- भावी हानियां	6.55	(0.87)	**5.68**
- संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए	9.10	25.11	**34.21**
- उपदान के लिए	14.49	1.61	**16.10**
- विधिक मामलों के लिए	9.70	9.70	**19.40**
- अभिकल्प गारंटी	32.42	13.42	**45.84**
- अन्य खर्चे	30.23	(5.25)	**24.98**
		-	**-**
व्यय		-	**-**
		-	**-**
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर	0.06	(0.04)	**0.02**
- कर प्रयोजन के लिए अनुमत, जब प्रदत्त हो	20.86	6.18	**27.04**
- प्राथमिक व्यय 3/5 भाग	0.02	(0.01)	**0.01**
	137.40	52.62	**190.02**
देयताएं			
मूल्यह्रास	6.31	(5.68)	**0.63**
	6.31	(5.68)	**0.63**
निवल आस्थगित कर संपत्ति/देयताएं	**131.09**	**58.30**	**189.39**
पिछले वर्ष	87.39	43.67	**131.06**

14 दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को		31मार्च 2011 को	
क. रक्षित वसूली योग्य				
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	**1.84**		1.77	
सामग्री और मशीनरी के लिए ठेकेदारों को अग्रिम	**0.27**		1.28	
		2.11		3.05
ख. अरक्षित वसूली योग्य				
प्रतिभूति जमा				
- सरकारी विभाग	**0.30**		1.74	
- ग्राहक	**21.97**		49.79	
- अन्य	**4.94**	**27.21**	5.28	56.81
संबंधित पक्षों को ऋण				
संयुक्त उपक्रम				
-सीसीएफबी(नोट सं 41 का संदभ लें)	**56.83**		93.24	
सहायक कंपनियां				
-इरकॉन आईएसएल	-	**56.83**	-	93.24
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	**1.23**		1.08	
सरकारी विभागों में जमा	**0.16**		17.72	
ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	**15.38**		31.84	
ग्राहकों से वसूलनीय दावे	**0.01**		0.51	
आयकर, टीडीएस सहित	**162.48**		162.48	
पूर्व भुगतान व्यय	**1.02**	**180.28**	-	213.63
ग. वसूलीयोग्य संदिग्ध				
संबंधित पक्षों को ऋण				
संयुक्त उपक्रम				
-सी.सी.एफ.बी. (नोट 41 के संदर्भ में)	**36.41**		-	
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	**0.03**		-	
ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	**6.42**		7.05	
जमा राशियां तथा प्रतिधारण राशि	**0.02**		0.44	
	42.88		7.49	
घटा :- संदिग्ध अग्रिमों क लिए प्रावधान	**42.88**	-	7.49	-
कुल		**266.43**		**366.73**

ऊपर प्रकटित संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़कर कंपनी, फर्म, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, के निदेशक, अन्य अधिकारी द्वारा देय ऋण और अग्रिम **शून्य रु.** (शून्य रु.) है।

15 अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को		31मार्च 2011 को	
क. रक्षित वसूली योग्य				
निम्न पर अर्जित ब्याज :				
- स्टाफ को अग्रिम		**1.11**		1.10
ख. अरक्षित वसूली योग्य				
12 महीने से अधिक की सावधि जमा राशियां(i)		**22.04**		28.42
निम्नलिखित पर संचित ब्याजः				
- स्टाफ को अग्रिम	**0.24**		0.21	
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता तथा अन्यों को अग्रिम,	**25.74**		21.56	
- आईआरडब्ल्यूओ को अग्रिम	**0.61**		1.03	
- आस्थगित देय (39(ख) का संदर्भ लें)	**31.82**	**58.41**	31.82	54.62
ग. संदिग्ध समझे गए				
निम्न पर अर्जित ब्याज :				
- संबंधित पक्ष-संयुक्त उपक्रम-सीसीएफबी (नोट 41 का संदर्भ लें)	**0.19**		-	
- स्टाफ को अग्रिम	**0.03**		-	
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता तथा अन्यों को अग्रिम,	**0.40**		0.41	
	0.62		0.41	
घटाः संदिग्ध के लिए प्रावधान	**0.62**	-	0.41	-
कुल		**81.56**		**84.14**

i सावधि जमा राशि ईडीएम के प्रति ठेकेदारों से प्राप्त **22.04 करोड़ रु.** (28.42 करोड़ रुपए) शामिल हैं। ऊपर प्रकटित संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़कर कंपनी, फर्म, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, के निदेशक, अन्य अधिकारी, द्वारा देय ऋण और अग्रिम **शून्य रु.** (शून्य रु.) है।

16 चालू निवेश

	विवरण	31मार्च 2012 को		31मार्च 2011 को	
		संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
क	**म्यूचुवल फंड में निवेश** **कोट किया गय** यूटीआई म्यूचुवल फंड, दैनिक लाभांश योजना	**122,740**	**12.51**	-	-
	कुल		**12.51**		-

		(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
कोट किए गए निवेश के प्रति प्रकटन :			
कोट किए गए निवेश का योग	- बुक मूल्य	**12.51**	-
	- मार्किट मूल्य	**12.51**	-

17 मालसूचियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को		31मार्च 2011 को	
क. सामग्री एंव भंडारः				
- हाथ में	**65.84**		56.18	
- तृतीय पक्षों के पास	**1.90**		6.27	
- मार्गस्थ	**0.22**		14.01	
		67.96		76.46
ख. लागत पर प्रगतिरत निर्माणाधीन कार्य		**66.55**		88.46
कुल		**134.51**		**164.92**

18 व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को		31मार्च 2011 को	
अरक्षित :				
देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के बकाया ऋण				
- वसूली योग्य	**44.96**	`	45.25	
- संदिग्ध समझे गए व प्रवधान किया गया	**36.19**	**81.15**	10.53	55.78
अन्य व्यापार प्राप्य				
वसूली योग्य	**795.46**		829.10	
संदिग्ध समझे गए व प्रवधान किया गया	**0.12**	**795.58**	-	829.10
		876.73		884.88
घटाएँ, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		**36.31**		10.53
कुल		**840.42**		**874.35**

ऊपर उल्लिखित व्यापार प्राप्यों में कंपनी फर्मों के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय **रू शून्य** (रू शून्य) ऋण शामिल हैं जिनमें ऐसे निदेशक साझेदार हैं या निजी कंपनी जिनमें ऐसे निदेशक सदस्य हैं।

19 रोकड़ और बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को		31मार्च 2011 को	
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य				
क)हाथ रोकड़ (i)		**0.46**		0.71
ख)हाथ में चैक/ड्राफ्ट		**0.15**		45.62
ग) **बैंकों में शेष**				
चालू खातों में	**494.45**		342.77	
फ्लैक्सी खातों में	**117.14**		88.42	
सावधि जमा खातों में(तीन महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाले) (ii और iii)	**650.92**	**1,262.51**	745.15	1176.34
घ) पारगमन में प्रषण		-		1.34
अन्य बैंकों में शेष				
जमा खातों में(तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीनों तक परिपक्वता अवधि वाले) (vi)		**1,327.85**		780.08
ठेकेदारों से प्राप्त सावधि जमा		**12.32**		3.81
कुल		**2,603.29**		**2,007.90**

i) रोकड़ इंप्रेस्त सहित हस्थ रोकड़ **0.06 करोड.रुपए** (0.01 करोड़ रुपए) ।

ii) ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों के प्रति **289.02 करोड़ रुपए** (394.53 करोड़ रुपए) सहित सावधि जमा जिस पर ब्याज उन्हें ही दिया जाता है।

iii) **शून्य रूपए** (15.22 करोड़ रूपए) मार्जिन मनी/अंडरलियन सम्मिलित हैं।

iv) ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों क प्रति **225.00 करोड़ रुपए** (11.48 करोड़ रुपए) सहित सावधि जमा जिस पर ब्याज उन्हें ही दिया जाता है।

20 अल्पकालीन ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को		31मार्च 2011 को	
क. रक्षित वसूली योग्य				
स्टाफ ऋण व अग्रिम	**0.72**		0.73	
सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकदारों को अग्रिम	**57.33**	**58.05**	60.54	61.27
ख. अरक्षित, वसूली योग्य				
प्रतिभूति जमा				
- सरकारी विभाग	**3.95**		2.62	
- ग्राहकों से	**56.94**		25.92	
- अन्य	**0.56**	**61.45**	0.48	29.02
संबंधित पक्षों से ऋण				
संयुक्त उपक्रम				
-आईएसटीपीएल	-		10.00	
निम्न से वसूलनीय राशियां :				
संयुक्त उपक्रम				
- रिकॉन सीईटीए एसएआरएल	**3.90**		10.96	
- सीसीएफबी	**0.60**		1.41	
- इरकॉन-आरसीएस-पिफ्डरर	**0.01**	**4.51**	-	22.37
कर्मचारी ऋण व अग्रिम	**3.25**		2.03	
ठेकदारों व आपूर्तिकर्ताओं को ऋण	**128.10**		109.10	
सरकारी विभागों से जमा	**10.38**		4.49	
ग्राहकों के पास धारित राशि	**76.62**		114.92	
टीडीएस - बिक्री कर	**17.38**		34.58	
मूल्य संवर्धित कर	**64.26**		50.29	
सेवाकर इनपुट ऋण	**0.93**		-	
आयकर (टीडीएस सहित)	**227.73**		239.39	
पूर्वप्रदत्त व्यय	**7.87**		9.21	
अन्य	**7.51**	**544.03**	15.17	579.18
ग. संदिग्ध समझे गए				
ठेकदारों व आपूर्तिकर्ताओं को ऋण	**5.31**		5.37	
सरकारी विभागों से जमा	**0.95**		0.10	
प्रतिधारण राशि सहित जमा	**15.41**		2.58	
मूल्य संवर्धित कर	**2.50**		-	
अन्य	**1.56**		1.56	
	25.73		9.61	
घटाः- संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**25.73**	-	9.61	-
कुल		**668.04**		**691.84**

ऊपर उल्लिखित व्यापार प्राप्यों में कंपनी फर्मों के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय **शून्य रू** (शून्य रू) ऋण शामिल हैं जिनमें ऐसे निदेशक साझेदार हैं या निजी कंपनी जिनमें ऐसे निदेशक सदस्य है निम्नानुसार को छोड़कर।

निदेशकों से देय राशियों का विवरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को	31मार्च 2011 को
कर्मचारी ऋण व अग्रिमों सहित निदेशको से देय राशि	**0.05**	0.02
	0.05	**0.02**

21 अन्य चालू परिसम्पतियाँ *

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को	31मार्च 2011 को
क) निम्न पर प्रोदभूत ब्याज:		
कार्मिकों को ऋण और अग्रिम(रक्षित)	**0.14**	0.20
बांड	**1.70**	1.57
स्टाफ ऋण और अग्रिम (अरक्षित)	**0.08**	0.13
भारतीय रेल कल्याण संगठन को ऋण	**0.20**	-
निम्न पर जमा व अग्रिम :		
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता एवं अन्य	**0.53**	5.85
-इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लि.	**-**	0.19
- संबंधित पक्ष- संयुक्त उद्यम-सीसीएफबी - बैंकों में जमा राशि	**56.29**	13.78
ख) प्रगतिरत ठेका कार्य (वसूलनीय मूल्य पर)	**189.27**	135.54
ग) निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्ति (i)	**0.01**	-
कुल	**248.22**	**157.26**

(i) मितव्ययी रुप से मरम्मत न किए जा सकने वाली तथा निपटान के लिए अलग रखी गई नियत परिसंपत्तियां (वसूलीयोग्य मूल्य तथा बुक मूल्य से कम):

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्तियों का ब्लाक	मार्च 2012 को		मार्च 2011 को	
	सकल ब्लाक	निवल ब्लाक	सकल ब्लाक	निवल ब्लाक
संयंत्र और मशीनरी	**3.30**	**0.01**	-	-
वाहन	**2.06**	**-**	-	-
कुल	**5.36**	**0.01**	**-**	**-**

*ऊपर उल्लिखित व्यापार प्राप्यों में कंपनी फर्मों के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय **शून्य रू** (शून्य रू) ऋण शामिल हैं जिनमें ऐसे निदेशक साझेदार हैं या निजी कंपनी जिनमें ऐसे निदेशक सदस्य है, नीचे प्रकाशित जेवी व सहायक कंपनी को छोड़कर।

निदेशकों से देय राशियों का ब्यौरा : (₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2012 को	31मार्च 2011 को
कर्मचारी ऋण व अग्रिमों सहित निदेशकों से देय राशि	**0.01**	-
	0.01	**-**

22 प्रचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
ठेका राजस्व	**3,514.30**	3,112.51
लोको पट्टा	**31.63**	26.20
मशीन किराया प्रभार	**0.38**	1.56
अन्य प्रचालनिक प्राप्तियां	**6.09**	6.52
कुल	**3,552.40**	**3,146.79**

23 अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12		2010-11	
कर मुक्त बांड पर ब्याज		**7.48**		5.41
बैंक ब्याज - सकल	**169.11**		57.30	
घटाः ग्राहकों को वापस किए जाने वाला ब्याज	**34.87**	**134.24**	15.70	41.60
वापस आए आयकर पर ब्याज		**6.31**		-
कर्मचारी अग्रिम पर ब्याज		**0.37**		0.26
अन्य अग्रिमों पर ब्याज		**5.63**		8.11
लाभांश आय		**0.41**		-
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ		**8.45**		5.15
विविध		**12.79**		11.18
कुल		**175.68**		**71.71**

24 प्रचालनिक व्यय तथा प्रशासनिक व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रचालनिक व्यय				प्रशासनिक व्यय	
	2011-12		2010-11		2011-12	2010-11
प्रयुक्त सामग्रियां तथा भंडारण						
आरंभिक शेष	**62.45**		107.50		-	-
जमाः वर्ष के दौरान खरीद	**455.49**		477.12		-	-
	517.94		584.62		-	-
घटाः अंतिम शेष	**67.75**	**450.19**	62.45	522.17	-	-
कार्यगत व्यय		**1,949.04**		1,621.78	-	-
डब्ल्यूआईपी में (वृद्धि) / कमी		**21.92**		(7.67)	-	-
अभिकल्प, आरेखण व्यवसाय विकास व परामर्श प्रभार		**67.55**		150.73	-	-
निरीक्षण,भू तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि		**3.44**		1.98	-	-
मशीनरी की मरम्मत तथा अनुरक्षण		**18.38**		17.01	-	-
मशीनरी का किराया प्रभार		**5.73**		12.00	-	-
विनिमय उच्चावचन हानि	**51.20**		27.86		-	-
घटा :विनिमय उच्चावचन लाभ	**35.25**		3.80		-	-
निवल विनिमय उच्चावचन हानि (नोट 47 का संदर्भ लें)		**15.95**		24.06	-	-
किराया-गैर आवासीय (नोट 33 (III) का संदर्भ लें)		**4.20**		3.54	**0.20**	0.42
दर एवं कर		**55.72**		39.43	**0.83**	1.36
वाहन प्रचालन व अनुरक्षण		**15.62**		12.84	**0.69**	0.77
मरम्मत और रखरखाव						
- भवन		**0.25**		0.26	**0.51**	0.45
- कार्यालय तथा अन्य		**3.18**		1.88	**2.33**	1.94
बिजली, विद्युत व जल प्रभार		**3.56**		3.38	**1.04**	1.14
बीमा		**9.83**		9.55	**0.12**	0.03
यात्रा और वाहन		**10.02**		9.06	**1.53**	2.25
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		**2.00**		1.94	**0.64**	0.89
डाक टिकट, टेलीफोन, टेलेक्स		**2.48**		1.96	**0.52**	0.63
विधिक और व्यावसायिक प्रभार		**3.96**		2.44	**1.70**	1.24
सुरक्षा सेवाएं		**3.41**		4.56	**0.18**	0.27
व्यवसाय संवर्धन		**1.11**		0.95	**0.09**	0.09
बट्टा खाताः						
अशोध्य ऋण		-		-	-	-
अशोध्य अग्रिम		**0.23**		-	-	-
- परिसंपत्तियां		-		0.01	-	-
परिसंपति तथा भंडार की बिक्री से हानि		-		-	**0.06**	0.14
निवेश पर प्रदत प्रीमियम का परिशोधन		-		-	**0.36**	0.20
प्राथमिक व्यय बट्टा खाता					-	0.06
बैंक और अन्य वित प्रभाव		-		-	**6.51**	8.34
निदेशकों की फीस		-		-	**0.02**	0.02
चंदा		-		-	**0.15**	0.03
लेखापरीक्षकों की फीस (i)		-		-	**0.76**	0.60
विज्ञापन और प्रसार		-		-	**4.49**	4.38
प्रशिक्षण और भर्ती		-		-	**0.29**	0.30
अनुसंधान एवं विकास व्यय		-			**0.05**	
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व		-		-	**2.22**	0.83
विवित व्यय		**2.65**		3.42	**0.87**	0.69
घटाएं-उपयोग किए गए प्रावधान (ii)		**(19.02)**		(31.50)	-	-
कुल		**2,631.40**		**2,405.78**	**26.16**	**27.07**

(i) **सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी**

	2011-12	2010-11
(i) लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	**0.24**	0.20
(ii) कर लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	**0.07**	0.05
(iii) प्रमाणीकरण फीस	**0.07**	0.06
(iv) व्यय की प्रतिपूर्ति :		
- स्थानीय	**0.32**	0.26
- विदेशी	**0.06**	0.03
कुल	**0.76**	0.60

(ii) ब्यौरा नोट सं. 26 पर उपलब्ध है

25 कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2011-12		2010-11	
	प्रचालनिक	प्रशासनिक	प्रचालनिक	प्रशासनिक
वेतन, पारिश्रमिक तथा बोनस(i)(नोट 33(III) का संदर्भ लें)	**108.13**	**23.52**	96.61	25.67
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	**7.65**	**2.10**	5.27	1.96
विदेश सेवा अंशदान	**0.27**	**0.43**	0.58	0.50
सेवानिवृत्ति लाभ	**12.32**		32.14	-
वीआरएस व्यय	-	-	-	0.03
कर्मचारी कल्याण	**2.48**	**0.46**	1.94	0.36
कुल	**130.85**	**26.51**	**136.54**	**28.52**
कुल	**157.36**		**165.06**	

(i) आयकर सहित गैर-मौद्रिक अनुलब्धियों पर आयकर शामिल है **0.21 करोड़ रुपए** (0.23 करोड़ रुपए)

26 प्रावधान (निवल)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	1-4-2011 को शेष			2011-12 के दौरान			31-3-2012 को शेष		
	दीर्घकालीन	अल्पकालीन	कुल	जमा	बट्टा खाता	उपयोग	कुल	दीर्घकालीन	अल्पकालीन
प्रावधान :									
क कर्मचारी संबंधित									
(i) **सेवानिवृत्ति लाभ**									
उपदान	42.98	1.63	44.61	7.08	-	2.06	**49.63**	46.77	2.86
घटा : एल आई सी उपदान के दावे	4.07	-	4.07				**-**		
	38.91	1.63	40.54	7.08	-	2.06	**49.63**	46.77	2.86
छुट्टी वेतन के लिए	52.20	1.82	54.02	9.31	3.27	2.47	**57.59**	52.44	5.15
सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान	1.40	0.05	1.45	0.13	-	-	**1.58**	1.45	0.13
पेंशन	9.20	-	9.20	4.56	0.96	-	**12.80**	12.80	-
सेवानिवृत्ति लाभों का योग (i)	101.71	3.50	105.21	21.08	4.23	4.53	**121.60**	113.46	8.14
(ii) अन्य									
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन (ii)	-	23.11	23.11	9.53	3.50	17.03	**12.11**	-	12.11
कुल कर्मचारी संबंधी प्रावधान (i+ii)	**101.71**	**26.61**	**128.32**	**30.61**	**7.73**	**21.56**	**133.71**	**113.46**	**20.25**
ख **अन्य**									
विसंग्रहण के लिए	15.17	0.31	15.48	13.03	0.14	0.22	**28.15**	18.12	10.03
अनुरक्षण के लिए	31.74	5.68	37.42	51.50	3.51	1.75	**83.66**	63.89	19.77
भावी आकस्मिकताओं के लिए (संविदा)	9.34	10.84	20.18	6.59	4.90	4.37	**17.50**	4.29	13.21
अभिकल्प गारंटी	129.69	-	129.69	53.65	-	-	**183.34**	183.34	-
संदिग्ध ऋण के लिए	-	10.53	10.53	27.30	1.52	-	**36.31**	-	36.31
संदिग्ध अग्रिम के लिए	7.90	9.61	17.51	53.92	2.05	0.15	**69.23**	43.50	25.73
निवेश की हानि	-	-	-	5.53	-	-	**5.53**	5.53	-
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	-	0.78	0.78	4.81	-	2.25	**3.34**	-	3.34
देयताएं (विधि मामले)	-	29.90	29.90	33.60	0.64	3.07	**59.79**	-	59.79
अन्य व्यय	37.13	32.14	69.27	16.02	4.05	7.21	**74.03**	32.64	41.39
आयकर और संपत्ति कर	-	542.38	542.38	235.73	43.95	288.86	**445.30**	-	445.30
लाभांश (अंतरिम तथा प्रस्तावित)	-	23.76	23.76	94.03	-	53.45	**64.34**	-	64.34
लाभांश पर कर (अंतरिम तथा प्रस्तावित)	-	3.85	3.85	15.25	-	8.67	**10.43**	-	10.43
कुल अन्य प्रावधान (ख)	**230.97**	**669.78**	**900.75**	**610.96**	**60.76**	**370.00**	**1,080.95**	**351.31**	**729.64**
सकल योग (ग = क+ख)	**332.68**	**696.39**	**1,029.07**	**641.57**	**68.49**	**391.56**	**1,214.66**	**464.77**	**749.89**
घ **घटा: अलग से विचार किए गए**									
नोट 18 में संदिग्ध समझे गए ऋण	-	10.53	10.53				**36.31**	-	36.31
नोट 14, 15, 20 में विचारित संदिग्ध अग्रीम के लिए	7.90	9.61	17.51				**69.23**	43.50	25.73
नोट 12 में विचारित निवेश की हानि	-	-	-				**5.53**	5.53	-
नोट 25 में विचारित सेवानिवृत्ति लाभ				21.08	4.23	4.53			
नोट 25 में वेतन मजदूरी लाभों सहित पीआरपी				9.53	3.50	17.03			
समायोजित/पृथक विचारित आयकर				235.73	43.95	288.86			
भुगतान किए गए /पृथक रुप से विचारित लाभांश				94.03	-	53.45			
भुगतान किए गए/पृथक विचारित निगमित कर				15.25	-	8.67			
कुल (घ)	**7.90**	**20.14**	**28.04**	**375.62**	**51.68**	**372.54**	**111.07**	**49.03**	**62.04**
निवल: चालू वर्ष (ग -घ)	**324.78**	**676.25**	**1,001.03**	**265.95**	**16.81**	**19.02**	**1,103.59**	**415.74**	**687.85**
पिछले वर्ष			597.63	204.41	14.30	31.50	1,000.99	310.82	690.17

नोट:

सकल प्रावधान(जमा/पश्चलिखित)लाभ व हानि लेखे मे शामिल किये गए	249.14			
नोट-25 के अन्तर्गत विचार किए गए सेवानिवृति लाभ		12.32		
वेतन, पारिश्रमिक के नोट-25 में निष्पादन संबंधित			(11.00)	
नोट 24 में विचरारित प्रयुक्त लाभ				19.02

27 पूर्व अवधि समायोजन

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2011-12		2010-11	
पूर्व अवधि मदें:				
आय :				
प्रचालन से राजस्व	**(0.61)**		(4.15)	
विविध	**0.01**		0.50	
		(0.60)		(3.65)
व्यय:				
कार्य व्यय	**1.11**		(2.45)	
मूल्यह्रास	-		0.61	
दरें व कर	**5.44**		-	
अभिकल्प, आरेखण, व्यवसाय विकास तथा परामर्श प्रभार	**4.01**		-	
अन्य	**0.07**		0.36	
		10.63		(1.48)
कुल		**(11.23)**		**(2.17)**

* पूर्व अवधि व्यय - वेट व्यय के प्रति 5.44 करोड़ रुपए सहित 9.52 करोड़ रुपए तथा अभिकल्प, आरेखण, व्यवसाय विकास तथा परामर्श प्रभार के प्रति 4.01 करोड़ रुपए हैं।

28. **प्रासंगिक देयताओं में शामिल हैं :**

क) कम्पनी के विरूद्ध वे दावे जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है 622.19 करोड़ रूपए (349.18 करोड़ रूपए) है। इसके विपरीत, कम्पनी ने 137.33 करोड़ रूपए (61.79 करोड़ रू.) का प्रति दावा किया है। यदि कम्पनी के विरूद्ध दावे कार्यान्वित होते हैं तो 327.12 करोड़ रूपए (143.24 करोड़ रूपए) की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की जाएगी। निश्चित न किए जाने वाले दावों पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाएगा।

ख) कम्पनी के विरूद्ध अदालत में कर्मचारियों/अन्यों से सबंधित कुछ मामले लम्बित हैं, जिसकी देयता निश्चित नहीं है।

ग) विवादास्पद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर मांगें जिनके लिए अपील की गई है 175.29 करोड़ रूपए (114.27 करोड़ रूपए) हैं। जिनमें से 46.21 करोड़ रूपए (29.31 करोड़ रूपए) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है ।

घ) भविष्य निधि आयुक्त, जम्मू और कश्मीर के दावे के लिए 1.75 करोड़ रूपए (1.75 करोड़ रूपए) है।

ड) रियायत करार के समाप्त होने की स्थिति में देयों में किसी प्रकार की कमी, यदि कोई हो, के 50 प्रतिशत की वसूली के लिए आईएसटीपीएल के आवधि ऋण के प्रति पंजाब नेशनल बैंक को अंडरटेकिंग और यह अधिकतम 300 करोड़ रुपए (600 करोड़ रुपए के कुल आवधिक ऋण के 50 प्रतिशत) तक होगी।

च) ग्राहकों से समय विस्तार के लिए आवेदन के लंबित निपटान हेतु कंपनी रुपए शून्य (0.03 करोड़ ₹) के स्तर तक तरलित क्षति के लिए आकस्मिक रुप से उत्तरदायी भी है।

29. वित्त वर्ष 1999-2000 से 2007-08 तक की अवधि के लिए रेलवे से संविदागत कार्यों के रुप में कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उत्पन्न कर देयताएं व उन पर ब्याज पर जम्मू और कश्मीर कर विभाग द्वारा 89.76 करोड़ रुपए (55.23 करोड़ रुपए) की मांग की गई है। बहरहाल, मांग की गई बिक्री कर की 41.95 करोड़ रुपए (16.67 करोड़ रुपए) की राशि का भुगतान विरोध के साथ विभाग को किया गया है। इस राशि को व्यय के रुप में प्रभारित किया गया और बिल ग्राहक को दिया गया है। कंपनी ने वर्ष 2005-06 से 2007-08 के लिए सम्पूर्ण आकलन हेतु उपायुक्त, बिक्री कर (अपील) के समक्ष अपनी अपील दायर की है और यह मामला लंबित है। वर्ष 1999-2000 से 2004-05 के लिए अपील राज्य विक्रय कर अपील अधिकरण, श्रीनगर में लंबित है। कंपनी का मत है कि इस लेखे के प्रति कोई अतिरिक्त देयता नहीं होनी चाहिए, इसलिए, खाता बहियों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बहरहाल, शेष राशि को आकस्मिक देयता का रुप में लिया गया है और उपर्युक्त 28 (ग) में शामिल किया गया है । वित्त वर्ष 2008-09 से 2011-12 के लिए विभाग द्वारा कोई आकलन नहीं किया गया है।

30. **प्रतिबद्धताएं :**

(क) अंग्रिमों के शुद्ध पूंजी लेखे में शामिल किए जाने के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि 1.92 करोड़ रूपए (0.22 करोड़ रूपए)है।

(ख) सहायक कंपनी (इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज लि.) के मामले में 34.95 करोड़ रुपए (67.99 करोड़ रुपए) मूल्य की अनुमानित संविदा राशि को पूंजीगत लेखे में निष्पादित किया जाना है।

(ग) अन्य प्रतिबद्धताएं

निधि अंशदानकर्ता/संयुक्त उद्यम/सहयोगियों को प्रतिबद्धता:

क. 5.10 करोड़ रुपए की इक्विटी के प्रति प्रस्तावित भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगमि लि. (12.04.2012 को गठित) को।

31. क) ऋणदाताओं, अग्रिमों, देनदारों तथा सामग्री के अन्तर्गत तीसरे पक्षों के साथ दर्शाए गए कुछ शेष पुष्टिकरण/समायोजन के मद्देनजर हैं। कम्पनी उपर शामिल कम्पनियों की पुष्टि के लिए पत्र भेज रही है।

ख) बिक्री-कर (टीडीएस सहित), मूल्य संवर्धन कर (वीएटी), आयकर(टीडीएस सहित) को पुष्टि/पुनर्वनियोजन/समायोजन, यदि कोई हो के मद्देनजर अग्रिमों के अंतर्गत दर्शाया गया है।

ग) प्रबन्धन के मतानुसार वसूली पर चालू परिस्थितियों ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया है, को उस मूल्य से कम नहीं होना चाहिए जिस मूल्य पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

32. क. **विदेशी मुद्रा में आय :**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
कार्य प्राप्तियाँ और लोको पट्टा	**1843.27**	1528.64
बैंक ब्याज	**5.94**	8.18
अन्य ब्याज	**0.42**	0.14
अन्य	**12.82**	4.67
कुल	**1862.44**	**1541.63**

ख. विदेशी मुद्रा में व्यय :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
प्रचालन व्यय	**1181.39**	728.21
परामर्शदात्री प्रभार	**66.13**	12.83
विदेशी मुद्रा उच्चावचन हानि (निवल)	**15.95**	25.25
प्रशासनिक और अन्य व्यय	**155.22**	347.73
कुल	**14 18.69**	**1114.02**

ग. आयातों का सीआईएफ मूल्य :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
सामग्री	**21.44**	17.76
उपभोज्य, अवयव तथा पुर्जे	**-**	0.23
कुल	**21.44**	17.99

33. पट्टे संबधित प्रकटन

i) **इंजनों के लिए प्रचालन पट्टे**

क. कंपनी ने 31.03.2012 को विदेशी क्लाइंट को 25 इंजनों को पट्टे पर दिया गया है। वर्तमान में, पट्टा की वैधता 31.12.2012 तक है।

ख. निम्नलिखित अवधियों के दौरान प्रचालन पट्टा के अधीन भावी निम्नतम पट्टा किराया देय/प्राप्य निम्न प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से 5 वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
प्राप्य	25.49 (20.13)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
देय	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

ग. वर्ष के दौरान प्राप्त पट्टा व्यवसाय परिसम्पति पर मूल्यह्रास का प्रकटन :- (₹ करोड़ में)

परिसंपतियों का विवरण	31.03.2012 को	31.03.2011 को
परिसंपतियों की सकल राशि	**24.82**	24.82
संचित मूल्यह्रास	**23.58**	8.82

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	**14.76**	2.43

ii) **हल्के वाहनों के लिए प्रचालन पट्टा**

कम्पनी ने 5 वर्षों के लिए अपने प्रयोग हेतु चार (पांच) हल्के वाहनों को पांच वर्षों प्रयोग के लिए पट्टादाता से खरीदने के दायित्व के बिना प्रचालन पट्टे पर लिए हैं। भावी न्यूनतम पट्टा किराया देय निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक से पांच वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
देय	0.04 (0. 06)	शून्य (0.04)	शून्य (शून्य)

iii) **परिसरों के लिए प्रचालन पट्टे**

कम्पनी की पट्टा व्यवस्थाएं कर्मचारियों के आवासीय उपयोग, कार्यालयों, गैस्ट हाउस तथा ट्रांजिट कैंपों के लिए परिसरों के प्रचालन पट्टों के संबंध में है। ये पट्टा व्यवस्थाएं, जिन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है, एक वर्ष के लिए है तथा समान्यतः आपसी सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं। कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसरों के संबंध मे शुद्ध पट्टा भुगतानों के प्रति कर्मचारी वेतन एवं लाभों के अन्तर्गत व्यय (नोट 25) के 5.42 करोड़ रुपए (5.13 करोड़ रुपए) तथा पूंजीगत प्रगतिरत कार्य (नोट सं 11 के अंतर्गत) 0.02 करोड रुपए (0.02 करोड़ रुपए)शामिल है। कार्यालय परिसरों, गेस्ट हाऊसों, ट्रांजिट कैम्पों के संबंध में पट्टा भुगतान के 4.40 करोड़ रुपए (3.96 करोड़ रुपए) को नोट 24 में तथा पूंजीगत प्रगतिरत कार्यों के 0.03 करोड़ रुपए (0.03 करोड़ रुपए) को नोट सं 11 में दर्शाया गया है।

34. **खण्ड रिपोर्टिंग :**

प्राथमिक खण्ड सूचना (भौगोलिक) **(₹** करोड़ में)

विवरण	अंतर्राष्ट्रीय		घरेलू		अन्य*		कुल	
	2011-12	**2010-11**	**2011-12**	**2010-11**	**2011-12**	**2010-11**	**2011-12**	**2010-11**
क. आवर्त्त								
प्रचालन से राजस्व	**1849.76**	1577.53	**1723.94**	1569.87	**2.14**	6.83	**3575.84**	3154.23
अन्य आय	**15.17**	9.74	**14.94**	15.22	**145.57**	46.75	**175.68**	71.71
अंत खण्ड	**-**	-	**-**	-	**-**	-	**-**	-
कुल राजस्व	**1864.93**	1587.27	**1738.88**	1585.09	**147.71**	53.58	**3751.52**	3225.94
ख. परिणाम								
प्रावधान मूल्यहास, ब्याज और कर पूर्व लाभ	**603.73**	542.60	**191.72**	50.45	**108.95**	31.98	**904.40**	625.03
घटाएँ- प्रावधान और पश्चलिखित (निवल)	**112.93**	158.41	**80.18**	16.64	**56.03**	15.06	**249.14**	190.11
मूल्यह्रास	**42.90**	16.51	**10.48**	16.01	**3.45**	4.38	**56.83**	36.90
ब्याज	**-**	-	**-**	-	**-**	-	**-**	-
कर पूर्व लाभ	**447.90**	367.68	**101.06**	17.80	**49.47**	12.54	**598.43**	398.02
कर व्यय	**44.72**	131.70	**56.15**	17.69	**32.60**	11.37	**133.47**	160.76
कर पश्चात् लाभ	**403.18**	235.98	**44.91**	0.11	**16.87**	1.17	**464.96**	237.26
ग. अन्य सूचना								
परिसंपत्तियां	**2131.79**	2113.35	**1607.92**	1189.01	**1782.42**	1673.71	**5522.13**	4976.07
स्थिर परिसंपत्तियां शामिल हैं (निवल ब्लाक)	**75.33**	99.84	**94.21**	86.20	**82.53**	85.04	**252.07**	271.08
देयताएं	**1756.02**	1876.17	**1565.80**	1154.97	**465.66**	565.95	**3787.48**	3597.09
पूंजीगत व्यय : स्थिर परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी	**13.62**	50.71	**0.37**	1.13	**0.55**	1.11	**14.54**	52.95

* अन्य में गैर - आवंटित राजस्व, व्यय, परिसम्पतियां तथा देयताएं शामिल हैं।

गौण खण्ड सूचना (व्यवसाय):

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रचालन आय		खण्ड परिसम्पतियां		स्थिर परिसंपतियों में बढ़ोतरी	
	2011-12	**2010-11**	**2011-12**	**2010-11**	**2011-12**	**2010-11**
निर्माण आदि	**3543.72**	3128.03	**5509.61**	4955.42	**14.36**	52.84
पट्टा और प्रचालन	**32.12**	26.20	**12.52**	20.65	**0.18**	0.11
जोड़	**3575.84**	3154.23	**5522.13**	4976.07	**14.54**	52.95

35) संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रकटन

क) गैर-निगमित संयुक्त उद्यम:

i) प्रचालनरत परियोजनाओं हेतु:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2012	2011
1	रीकॉन	इरकॉन, भारत राइटस, भारत	**49.00** **51.00**	49.00 51.00
2	इरकॉन-गन्नौन डंकर्ली	इरकॉन, भारत गन्नौन डंकर्ली	**55.70** **44.30**	55.70 44.30
3	इरकॉन-आरसीएस- फ्लीडरर	इरकॉन, भारत रायलसीमा कंक्रीट स्लीपर प्रा. लि., भारत फ्लीडरर इन्फ्रास्ट्रक्चर टैकनीक जी एम बी एच एण्ड क., जर्मनी	**65.08** **21.87** **13.05**	65.08 21.87 13.05
4	रीकॉन-सीटा एस ए आर एल	रीकान, भारत सी इ टी ए, मोजांबिक	**49.00** **51.00**	49.00 51.00
5	इरकॉन - एसपीएससीपीएल	इरकॉन, भारत एसपीएससीपीएल, भारत	**50.00** **50.00**	- -

(ii) परियोजनाओं के लिए जो पूर्ण हो चुकी है:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2012	2011
1	इरकॉन कोबरा- इलियोप	इरकॉन, भारत कोबरा, स्पेन इलियोप, स्पेन	**61.22** **34.35** **4.43**	61.22 34.35 4.43
2	इरकॉन-श्री भवानी बिल्डर्स	इरकॉन, भारत श्री भवानी बिल्डर्स, भारत	**24.21** **75.79**	24.21 75.79
3	एसएमजे-इरकॉन	इरकॉन, भारत संबर मित्रा जाया, इंडोनेशिया	**25.00** **75.00**	25.00 75.00
4	इरकॉन-एसएमजे परियोजना संयुक्त उद्यम	इरकॉन भारत संबर मित्रा जाया, , इंडोनेशिया	**55.00** **45.00**	55.00 45.00
5	इंटरनेशनल मैट्रो सिविल कांट्रेक्टर (आईएमसीसी)	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	**29.00** **26.00** **26.00** **9.50** **9.50**	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50

6	मेट्रो टनलिंग ग्रुप (एमटीजी)	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	**29.00** **26.00** **26.00** **9.50** **9.50**	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50

ख) संयुक्त उद्यम कंपनियां :

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	स्वामित्व का प्रतिशत	
			31 मार्च 2012 को	31 मार्च 2011 को
1	सीसीएफबी (कम्पनिया डोस कैमिनोस डे फैरा डा बेरा एस एआरएल) मोजाम्बिक	इरकॉन, भारत राइट्स भारत सीएफएम, मोजाम्बिक	**25.00** **26.00** **49.00**	25.00 26.00 49.00
2	इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा. लि.	इरकॉन, भारत सोमा इंटरप्राइजेज.लि. भारत	**50.00** **50.00**	50.00 50.00

ग) संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों के आय, व्यय, लाभ, परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का विवरण

(**₹** करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	रिकॉन-सीटा-एसएआरएल		रिकॉन		आईएमसीसी		एमटीजी		इरकॉन-एसपीएससीपीएल		कुल	
		2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
1	आय	0.24	-	1.76	2.83	-	0.19	0.27	4.43	21.16	-	23.44	7.44
2	व्यय	0.24	-	0.80	0.97	0.02	0.09	(0.23)	(0.23)	20.14	-	20.97	0.83
3	नियत परिसंपत्तियां	-	1.79	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	1.80
4	चालू देयताए	6.98	21.07	9.22	12.95	5.01	4.89	7.73	7.38	5.85	-	34.79	46.29
5	चालू परिसंपत्तियां	3.22	24.24	-	4.06	1.52	4.61	3.64	1.79	5.39	-	13.78	34.70

घ) संयुक्त उद्यमों में कंपनी के अनुपातिक शेयर के प्रति आकस्मिक देयताएं:

(i) आईएमसीसी के मामले में इंडैम्निटी बांड 1.24 करोड़ रूपए (1.24 करोड़ रूपए)

(ii) आईएमसीसी के मामले में बिक्री कर देयता 4.25 करोड़ रूपए (4.25 करोड़ रूपए) और सेवा कर 1.01 करोड़ रुपए(I.01 करोड़ रुपए) है।

(iii) एम टी जी के मामले में बैंक गारन्टी 0.59 करोड़ रूपए (2.36 करोड़ रूपए) है।

(iv) एम टी जी के मामले में सेंट्रल एक्साइज को निगमित गारन्टी 1.54 करोड़ रुपए (1.54 करोड़ रुपए) है।

(v) इरकॉन- आरसीएस-पीफ्लिडेरर के मामले में बैंक गारंटी 0.91 करोड़ रुपए (0.91 करोड़ रुपए) है।

(vi) आईएमसीसी(संयुक्त उद्यम) के मामले में आय कर देयता 5.29 करोड़ रुपए (5.29 करोड़ रुपए) है तथा एमटीजी के मामले में 0.09 करोड़ रूपए (शून्य) है।

(vii) 31.03.2012 को मैसर्स सांई इंजीनियर्स द्वारा आई.एम.सी.सी. के प्रति वसूली मामला 0.01 करोड़ रूपए (शून्य) है।

36. संबधित पक्ष प्रकटन

क. उद्यम जहां नियंत्रण विद्यमान है :

गैरनिगमित संयुक्त उद्यम : उपर्युक्त नोट सं 35(क) के अनुसार।

संयुक्त उद्यम कम्पनियां : उपर्युक्त नोट सं 35(ख) के समान।

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनीः इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड(इरकॉन आईएसएल)

ख. प्रमुख प्रबन्धन कार्मिकः

निदेशक : सर्वश्री मोहन तिवारी, के.के. गर्ग, दीपक सबलोक तथा हितेश खन्ना।

संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देनों का प्रकटीकरण : **(₹** करोड़ में)

विवरण	लेन-देन		बकाया राशि	
	2011-12	**2010-11**	**31-3-2012 को**	**31-3-2011 को**
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक (उपर्युक्त 'ख') तथा अन्य स्वतंत्र निदेशकों का बैठक शुल्क	नोट सं0-37 के अनुसार		**0.01**	0.01
सीसीएफबी/आईएसटीपीएल/आईआईएसएल में निवेश	**शून्य**	शून्य	**69.40**	69.40
सीसीएफबी/आईएसटीपीएल/आईआईएसएल को ऋण	**(10)**	18.32	**93.24**	103.24
सीसीएफबी/आईआईएसएल/आईएसटीपीएल/ रिकॉन से वसूली योग्य अग्रिम	**(1.73)**	(0.16)	**2.22**	1.40
रिकॉन/आईआईएसएल को देय राशि	**0.19**	7.59	**17.53**	11.08
सीसीएफबी/रिकॉन/आईएसटीपीएल/ आईआईएसएल से आय	**38.51**	10.20	**16.71**	3.28

ग. पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि. के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8) के अंतर्गत निदेशकों के संबंध में प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	2011-12	2010-11
1	पूंजी	**4.90**	4.90
2	आरक्षित निधियां	**2.61**	0.05
3	कुल परिसंपत्तियां	**72.21**	35.88
4	कुल दायित्व	**72.21**	35.88
5	निवेश	**शून्य**	शून्य
6	टर्नओवर	**6.14**	1.10
7	कर पूर्व लाभ	**3.81**	0.09
8	कर के लिए प्रावधान	**1.26**	0.02
9	कर पश्चात लाभ	**2.56**	0.07
10	प्रस्तावित लाभांश	**शून्य**	शून्य

37. निदेशकों का पारिश्रमिक निम्न प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	2011-12	2010-11
1	वेतन और भत्ते	**1.06**	0.78
2	भविष्य निधि पर अंशदान	**0.07**	0.06
3	सेवानिवृति सहित अधिवार्षिता लाभ	**0.01**	0.09
4	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	**0.01**	0.01
5	बैठक फीस	**0.02**	0.02
6	अन्य हित लाभ	**0.17**	0.18
	जोड़	**1.34**	1.14

निदेशकों को कंपनी की ओर से आवास और / या कार भी प्रदान की गई है जिसकी वसूली लागू नियमानुसार की गई है।

38. कंपनी ने इंस्टीट्यूट आफॅ चार्टेड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी एएस 28 परियोजना के अनुसार वर्ष के दौरान उगाही की जाने वाली शुद्व राशि या लागत से कम के आधार पर वसूल की जाने वाली राशि के आंकलन द्वारा वैयक्तिक परिसपंत्तियों के ह्रास का अनुमान निकाला है । कोई ह्रास हानि (शून्य रुपए) नहीं हुई है।

39. विदेशी ग्राहकों को किराए पर दिए गए इंजनों के लिए पट्टा करार का नवीकरण वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किया जाता है। बहरहाल, करार का नवीकरण हमेश अनिश्चित रहता है। ऐसे गैर-नवीकरण के मामले में, इंजनों के अनुरक्षण के लिए बचे हुए कलपुर्जे अनावश्यक तथा गैर मूल्यवान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भारत वापस लाने का खर्च अत्यधिक होता है। सुदृढ लेखांकन पद्धति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे कलपूर्जों की लागत को वर्ष के लिए खरीद में दर्शाया जाता है और इस पद्धति का निरन्तर अनुसरण किया जाता है।

40. क) खाड़ी युद्ध के कारण जब क्लाइंटों (इराक में निष्पादित समावा तथा अल-मुथाना परियोजनाओं सहित) से भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा था। उस समय भारत सरकार ने आस्थगित भुगतान करार प्रोटोकॉल (डीपीए) के अंतर्गत इरकॉन सहित ईरान में निर्यातकों की परियोानाओं को बेलआउट किया था।

ख) आस्थगित भुगतान करार प्रोटोकाल के तहत सितम्बर, 1995 तक सेंट्रल बैंक ऑफ इराक द्वारा प्रमाणितानुसार एक्जिम बैंक को देय बकाया शेष राशियों का निपटान भारत सरकार द्वारा 2 चरणों में बांड जारी करके किया गया था। दूसरे चरण के परिणामस्वरुप सेंट्रल बैंक ऑफ इराक ने इक्जिम बैंक को 0.89 करोड़ रुपए (एक अमरीकी डालर = 35.802 रुपए की अंतिम सहमत दर पर परिवर्तित 31.802 करोड़ रुपए के बराबर) की राशि को प्रमाणित (मई, 2000 में एक्जिम बैंक द्वारा पुष्ट) किया था, तथा भारत सरकार द्वारा इसका निपटान प्रतीक्षाधीन है, जिसके लिए कंपनी ने दिनांक 26.05.2005 के अपने पत्र के तहत रेल मंत्रालय को अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। इन देयों के परिणामस्वरुप बैक-टू-बैक आधार पर उप ठेकेदारों को देय 0.42 अमरीकी डालर (एक अमरीकी डालर = 35.802 रुपए की अंतिम सहमत दर पर परिवर्तित 15.04 करोड़ रुपए के बराबर) की ब्याज की राशि का प्रावधान लेखा बहियों में किया गया है।

ग) आस्थगित इराकी बकाया और उस पर ब्याज व बैक-टू-बैक आधार पर उप ठकेदारों को देय ब्यज के प्रावधान (आस्थगित भुगतान करार प्रोटोकॉल) को भारत सरकार के साथ तय अंतिम निपटान दर यथा 1 अमरीकी डालर = 35.802 रूपए पर परिवर्तित किया जाता है। यदि बकायों को ए. एस.-11 के अनुसार 31.3.2012 को बंद होने वाली विनिमय दर से रूपांतरित किया जाता है तो अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां 13.25 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 7.49 करोड़ रूपए तक अधिक), दीर्घकालीन प्रावधान 6.27 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 3.54 रुपए तक अधिक) तथा कर पूर्व लाभ 6.98 करोड़ रूपए (3.95 करोड़ रूपए की वृद्धि) होती ।

41. बीओटी आधार पर मोजांबिक सरकार द्वारा प्रदान की गई रेल परियोजना के निष्पादन के लिए वर्ष 2004 में मोजांबिक के कानूनों के अनुसार सीसीएफबी नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया था जिसमें कंपनी की 25 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी है और उसमें 1.25 मिलियन अमरीकी डालर (गैर-चालू निवेशों में दर्शाए गए 5.53 करोड़ रुपए (नोट 12))का भुगतान किया है। कंपनी ने सीसीएफबी को शेयरधारक ऋण उपलब्ध कराया है और 31.03.2011 तक संचित ब्याज सहित कुल राशि 21.124 मिलियन अमरीकी डालर (31.03.2011 को 93.43 करोड़ रुपए को विनिमय दर में परिवर्तित किया गया है-93.24 करोड़ रुपए को दीर्घकालीन आवधिक ऋण तथा अग्रिमों (नोट 14(ख) तथा (ग)में दर्शाया गया है)) 31.03.2011 के पश्चात निवेश की राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि, परियोजना पूरा हो गया था, मोजांबीक सरकार ने 09 नवंबर 2011 को रियायत करार को समाप्त कर दिया और 8 दिसंबर 2011 को परियोजना को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था।

सीसीएफबी के अनुसार यह रद्दीकरण संविदागत प्रावधानों के विरुद्ध है तथा गैरकानूनी है और उसने मोजांबिक सरकार के विरुद्ध मध्यस्थ प्रक्रिया आरंभ कर दी। कंपन मानती है कि वह मध्यस्थता के माध्यम से सीसीएफबी से संपूर्ण निवेश वापस प्राप्त कर लेगी, इसके बावजूद अत्यंत सावधानी के कारण तथा परम्परागत दृष्टिकोण को अपनाते हुए तथा मध्यस्थता की लंबित निष्कर्ष के कारण, 31.03.2011 को विद्यमान विनिमय दर पर ब्याज सहित ऋण और संभावित लाभ के प्रति 42.13 करोड़ रुपए (34.20 करोड़ रुपए ऋण

तथा उस पर ब्याज के प्रति, 0.81 करोड़ रुपए के समाप्ति पश्चात ब्याज में कमी के साथ रेलवे लाईन को प्रचालनिक करने के लिए सीसीएफबी द्वारा संभावित पूंजीगत व्यय के प्रति 3.21 करोड़ रुपए और इक्विटी निवेश के प्रति 5.53 करोड़ रुपए (नोट 12 का संदर्भ लें)) का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऊपर उल्लिखित कारणों से वर्ष के लिए 3.38 करोड़ रुपए की राशि के ऋण पर ब्याज को शामिल नहीं किया गया है।

यदि लेखांकन मानक-11 के अनुसार 31.03.2012 को समाप्त विनिमय दर पर देय राशियों को परिवर्तित किया जाता है तो, दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम 8.33 करोड़ रुपए अधिक होते (पिछले वर्ष शून्य) और करपूर्व लाभ 8.33 करोड़ रुपए अधिक होता (पिछले वर्ष शून्य)।

यदि नोट सं. 40 तथा 41 को संचित प्रभाव प्रदान किया होता तो दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम 274.76 करोड़ रुपए होते, अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां 94.81 करोड़ रुपए होती, दीर्घकालीन प्रावधान 422.01 करोड़ रुपए होते और कर पूर्व लाभ 613.74 करोड़ रुपए होता।

42 कम्पनी ने अपने आयकर रिटर्न में आकलन वर्ष 2000-2001 से पात्र निर्णय परियोजनाओं के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आई. ए के अन्तर्गत छूट का दावा किया है । कुछ आकलन वर्षों के लिए छूट के लिए सी आई टी (ए) द्वारा नामंजूरी नहीं दी गई है।। हालांकि, सीआईटी (ए) आकलन वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के लिए हमारे दावे पर विचार किया है, किन्तु आयकर विभाग सीआईटी (ए) के आदेशों के विरुद्ध अधिकरण में गया। तदनुसार, अनुच्छेद 80 आईए के अंतर्गत कटौतियों पर विचार किए बिना कर के लिए प्रावधान किया जा रहा है। आकलन वर्ष 2011-2012 तक कटौती 580.29 करोड़ रुपए (509.50 करोड़ रुपए) है । यह मामला अधिकरण के समक्ष लम्बित है ।

43. एएस-15 के अंतर्गत प्रकटन, कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि

कंपनी एक पृथक ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि के नियत अंशदान का भुगतान करती है तथा यह ट्रस्ट इस निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करेगी। ट्रस्ट के लिए यह अपेक्षित है कि वह ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज के न्यूनतम दर का भुगतान करेगी। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि कंपनी के दायित्व से अधिक है।

उपदान

कंपनी के नियमों के अनुसार अपदान के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा

कंपनी ने सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को अधिवार्षिता, चिकित्सा तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000-01 के दौरान 12 करोड़ रुपए के एकमुश्त अंशदान द्वारा एक अपरिहार्य ट्रस्ट की स्थापना की थी। एक स्वैच्छिक कल्याण उपाय होने के कारण कंपनी कर्मचारियों को यह लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। बहरहाल, वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार निवेशों से लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि अपेक्षित राशि से अधिक है ।

छुट्टी नगदीकरण

कंपनी के नियमों के अनुसार छुट्टी नगदीकरण के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है।

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल हैं गृह नगर या भारत में वह स्थान जहां वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, वहां बैगेज भत्ता सहित व्यवस्था करना। इस खाते में देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ली जाती है।

विभिन्न कर्मचारी लाभों को लाभ हानि खाता के विवरण तथा तुलन पत्र में निम्नानुसार सारबद्ध किया गया है:

i) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के प्रारम्भ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	44.61 (37.66)	54.01 (38.18)	1.45 (1.29)
ब्याज लागत	3.34 (2.82)	4.05 (2.86)	0.11 (0.09)
चालू सेवा लागत	2.72 (2.53)	3.94 (3.92)	0.08 (0.07)
पूर्व सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	(2.05) ((2.01))	(1.21) ((2.47))	(0.01) (-)
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	1.01 (3.61)	(5.18) (11.52)	(0.06) ((0.01))
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	49.63 (44.61)	55.61 (54.02)	1.57 (1.45)

ii) योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृत्ति* लाभ
अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (4.11)	- (-)	- (-)
योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ	- (0.36)	- (-)	- (-)
अंशदान	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	- ((0.13))	- (-)	- (-)
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	- ((0.26))	- (-)	- (-)
अवधि के अन्त में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (4.07)	- (-)	- (-)

iii) योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृत्ति* लाभ
अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (4.11)	- (-)	- (-)
योजना परिसम्पतियों पर वास्तविक लाभ	- (0.09)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	- ((0.13))	- (-)	- (-)
अवधि के अन्त में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (4.07)	- (-)	- (-)
वित्तपोषित स्थिति	(49.63) ((40.54))	(55.61) ((54.02))	(1.57) ((1.45))
योजना परिसम्पतियों पर सम्भावित लाभ की तुलना में वास्तविक अधिक	- ((0.26))	- (-)	- (-)

*इरकॉन चिकित्सा ट्रस्ट की समेकित निधि 26.32 करोड़ रुपए है।

iv) अवधि के लिए वास्तविक लाभ/हानि

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के लिए वास्तविक (लाभ)/हानि-दायित्व	(1.01) ((3.61))	5.18 ((11.52))	0.06 (0.01)
अवधि के लिए वास्तविक (लाभ)/हानि योजना परिसंपत्ति	- (0.26)	- (-)	- (-)
अवधि के लिए कुल (लाभ)/हानि	1.01 (3.87)	(5.18) (11.52)	(0.06) ((0.01))
अवधि के लिए वास्तविक लाभ/हानि	1.01 (3.87)	(5.18) (11.52)	(0.06) ((0.01))

v) तुलन पत्र में मान्य राशि

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	49.63 (44.61)	55.61 (54.02)	1.57 (1.45)
31.03.2011 को योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	- (4.07)	- (-)	- (-)
वित्तपोषण स्थिति	(49.63) ((40.54))	(55.61) ((54.02))	(1.57) ((1.45))
अनुमानित के ऊपर वास्तविक में अधिक	- ((0.26))	-	-
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता	(49.63) ((40.54))	(55.61) ((54.02))	(1.57) ((1.45))

vi) लाभ हानि के विवरण में मान्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
चालू सेवा लागत	2.71 (2.53)	3.94 (3.92)	0.08 (0.07)
विगत सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)
ब्याज लागत	3.34 (2.82)	4.05 (2.86)	0.11 (0.09)
योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ	- ((0.36))	- (-)	- (-)
वर्ष में निवल वास्तविक (लाभ)/हानि	1.01 (3.87)	(5.18) (11.52)	(0.06) ((0.01))
लाभ हानि खाते में मान्य व्यय	7.07 (8.87)	2.81 (18.31)	0.13 (0.16)

vii) चालू अवधि के लिए राशि

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
दायित्वों का वर्तमान मूल्य	49.63 (44.61)	55.61 (54.02)	1.57 (1.45)
योजना परिसम्पतियां	- (4.07)	- (-)	- (-)
सरप्लस(डैफिसिट)	(49.63) ((40.54))	(55.61) ((54.02))	(1.57) ((1.45))
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन-(लाभ)/हानि	(1.01) ((3.61)	5.18 ((11.52))	0.06 (0.01)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन-(लाभ)/हानि	- ((0.26))	- (-)	- (-)

viii) वास्तविक अनुमान

i)	प्रयुक्त पद्धति	प्रत्याशित इकाई ऋण पद्धति
ii)	रियायत दर	7.50%
iii)	उपभोग स्तर मे वृद्धि की दर	7.50%
iv)	सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों की औसत उत्कृष्ट सेवा	14.40 वर्ष
v)	लाभ दायित्वों की अनुमानित अवधि	14.40 वर्ष

44. प्रगतिरत संविदा के संबंध में प्रकटन*

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं	**विवरण**	**31.3.12 तक**	**31.3.11 तक**
क	लगाई गई लागत व निर्धारित लाभों की सम्पूर्ण राशि (घटाः निर्धारित हानियां)	**13143.81**	10531.77
		31.03.12 को	**31.03.11 को**
ख	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की राशि	**1391.36**	1650.33
ग	धारण की राशि (ग्राहकों द्वारा)	**124.29**	332.93

*31.3.2012 तक पूरी की गई परियोजनाओं को छोड़कर ।

45. (i) कम्पनी को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कम्पनी के अधीन आपूर्तिकर्ता सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006(एमएसएमईडी अधिनियम) के अधीन नहीं आते हैं। इस सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के प्रति 31 मार्च 2012 तक कोई देय नहीं है।

(ii) कम्पनी को अपने किसी भी आपूर्तिकर्ता से इस आशय की सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वह लघु औधौगिक इकाई भी है । इस सूचना के आधार पर 31 मार्च 2012 को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए लघु औधौगिक इकाई उपक्रम के प्रति देय राशि शून्य रुपए (शून्य) है ।

46. वर्ष के दौरान कंपनी ने मूल्यह्रास दर को 19 प्रतिशत से बढ़ा कर 31.67 प्रतिशत करके मोबाईल फोनों पर मूल्यह्रास की अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। इस परिवर्तन का कोई तथ्यात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।

47. वर्ष के दौरान, कंपनी ने राजस्व मदों पर विदेशी मुद्रा के परिवर्तन पर अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है जिसे मासिक औसत दरों से संव्यवहार की तिथि पर दर से परिवर्तित किया गया है।इस परिवर्तन के कारण, वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा हानि (निवल) में 9.89 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है , अन्य आय में 0.37 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, प्रचालनिक आय में 22.29 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, कुल व्यय (विदेशी लाभ/हानि शामिल नहीं है) में 12.77 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। तथापि, कंपनी के लाभ और हानि विवरण पर इसका निवल प्रभाव शून्य है।

48. प्रति शेयर मूलभूत आमदनी का परिकलन निवल कर पश्चात लाभ के 469.96 करोड़ रुपए (237.26 करोड़ रुपए) को 9,898,000 पूर्ण प्रदत्त 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के साथ भाग करके किया जाता है। प्रति शेयर विलयित आमदनी लागू नहीं है क्योंकि यहां काई विलयन शामिल नहीं है।

49. 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित संशोधित अनुसूची VI लागू की गई है। अपनाई गई संशोधित अनुसूची VI का वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले पहचान तथा मापन सिद्धांतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तथापि, इसका वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण तथा प्रकटन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। कोष्ठक में पिछले वर्ष के आंकडों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के साथ समायोजित करने के लिए, जहां कही आवश्यक हो, पुनःसमूहित, पुनःव्यवस्थित तथा पुनःनिर्धारित किया गया है।

निदेशक मंडल व निमित्त और उनकी ओर से

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 002263एन

सीए अनुज गुप्ता	**ललिता गुप्ता**	**के.के. गर्ग**	**मोहन तिवारी**
भागीदार	कंपनी सचिव	निदेशक/वित	प्रबन्ध निदेशक
स.सं.76560	व म.प्र(विधि)		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.07.2012

वाही एंड गुप्ता
सनदी लेखाकार
होटल रेक्स बिल्डिंग,
5, नेताजी सुभाष मार्ग,
दरियागंज, नई दिल्ली-110002
टेली : 23269921, 23252597

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनी के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न समेकित तुलनपत्र और उसके साथ लगे उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और समेकित हानि लेखा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इनके अनुबंधों की लेखापरीक्षा की है, जिन्हें हमने इस रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षर किए हैं। इन समेकित वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी कंपनी प्रबन्धन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा लेखापरीक्षित इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करने की है।

2. हमने भारत में सामान्यत स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों की ये अपेक्षा है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि जिससे हमें वित्तीय विवरणों के संबंध में यह तर्कसंगत आश्वासन मिल सके कि वे सूचना के यथार्थ कथनों से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों को समर्थन देने वाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रबन्धन द्वारा उपयोग में लाए लेखाकरण नियमों और किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ ही साथ समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय का तर्कसंगत आधार प्रस्तुत करती है।

3. हमने कंपनी की सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण दर्शाते हैं कि 31 मार्च, 2012 को कुल परिसंपत्तियां 72.21 करोड़ रुपए की हैं तथा इस तारीख को समाप्त अवधि के लिए कुल राजस्व 6.14 करोड़ रुपए है तथा निवल रोकड़ प्रवाह 2.10 करोड़ रुपए है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों ने की है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय में रिपोर्ट में दर्शाई गई राशियां संबंधित विषयों सहित पूर्ण रुप से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

4. हम यह प्रस्तुत करते हैं कि कंपनी द्वारा समेकित वित्तीय विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 21, समेकित वित्तीय विवरणों की आवश्यकता के अनुसार तैयार किए गये हैं और समेकित वित्तीय विवरणों में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी के पृथक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर है।

5. इस निम्नलिखित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों पर ध्यान आकर्षित करते हैं।

   (क) नोट सं 40(ख) तथा (ग): वर्ष 1995 में भारत सरकार के साथ देयों के विपटन के समय तत्कालीन विनिमय दर पर अग्रशेष तथा एएस (11) के अनुरूप दिनांक 31.03.2012 की वर्तमान दरों पर मूल्यांकन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरुप, अन्य चालू परिसम्पतियां 13.25 करोड़ रुपए तक कम, दीर्घकालीन प्रावधान 6.27 करोड़ रुपए तक कम तथा कर पूर्व लाभ 6.98 करोड़ रुपए तक कम हो गए हैं।

   (ख) नोट सं0-41: संयुक्त उद्यम कंपनी सीसीएफबी से शेयरधारक ऋण और उस पर ब्याज के 31.03.2011 को प्रचलित विनिमय दर पर शेषों को लेना और इसे 31.03.2012 को विद्यमान दरों पर अंतरित न करना लेखांकन अनुसूची-11 के अनुरुप नहीं है। इसके परिणामस्वरुप, दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम 8.33 करोड़ रुपए कम हुए हैं और कर पूर्व लाभ 8.33 करोड़ रुपए कम हुआ है।

   (ग) नोट सं0-47 : वर्ष के दौरान, कंपनी ने राजस्व मदों के विदेशी मुद्रा में अंतरण संबंधी लेखांकन नीति को मासिक औसत दरों से परिवर्तित करके संव्यवहार की तिथि की दरें कर दिया है। इस परिवर्तन के कारण, वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय हानि (निवल) 9.89 करोड़ रुपए बढ गई है, अन्य आय 0.37 करोड़ रुपए , प्रचालनिक आय 22.29 करोड़ रुपए तथा कुल व्यय 12.77 करोड़ रुपए

बढ़ गया है। तथापि, कंपनी की आय/व्यय कर शुद्ध प्रभाव शून्य है।

6. उपयुक्त पैरा 5 में हमारी टिप्पणियों तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर तथा पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के दृष्टिगत तथा घटकों के अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप सही व उचित विवरण प्रस्तुत करते हैं :

1) 31 मार्च, 2012 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी के कार्यकलापों के समेकित तुलनपत्र के मामले में,

2) इस तिथि को समाप्त अवधि के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी के प्रचालनों के समेकित लाभ और हानि खाता, समेकित प्रचालन परिणामों के मामले में, और

3) इस तिथि को समाप्त अवधि के लिए समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में।

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002263एन

सीए अनुज गुप्ता
साझेदार
एम. सं. 76560

स्थानः नई दिल्ली
तारीख : 25.07.2012

इरकॉन

इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड

सिविल, मकैनिकल, इलेक्ट्रिकल संचार एवं टर्नकी कॉन्ट्रैक्टर

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालयः सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत

टेली.: +91-11-29565666 फैक्सः +91-11-26854000, 26522000 ई-मेलः Info@ircon.org वेबसाइटः www.ircon.org

CENSER